महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण

कंपनी लिमिटेड

वी.

महाराष्ट्र विद्युत विनियमन

आयोग और ओआरएस।

(2021 की सिविल अपील No.1843)

08 अक्टूबर, 2021

[इंदिरा बनर्जी और वी. रामसुब्रमणियन, जे. जे.]

विद्युत अधिनियम, 2003:

एस. 125 - उच्चतम न्यायालय में अपील-बिजली खरीद समझौतों के साथ हस्तक्षेप-कानून में परिवर्तन-तथ्यों पर, याचिका यू/एस। 86 अपीलार्थी द्वारा-राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने यह मांग की है कि

आर. बी. आई. द्वारा ब्याज दर प्रणाली में प्रधान ऋण दर (पी. एल. आर.) से आधार दर और फिर धन की सीमांत लागत आधारित ऋण दर (एम. सी. एल. आर.) में परिवर्तन ने अपीलार्थी और "पावर" के बीच बिजली खरीद समझौतों के तहत कानून में बदलाव का गठन किया।

बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियाँ, ताकि अपीलकर्ता द्वारा बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों को देय विलंबित भुगतान अधिभार (एल. पी. एस.) की दर में परिवर्तन किया जा सके-जिसे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एम. ई. आर. सी.) द्वारा खारिज कर दिया गया और अपीलकर्ता को निर्धारित समय के भीतर एल. पी. एस. का भुगतान करने का निर्देश जारी किया गया-बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा बरकरार रखा गया आदेश-अपील पर कहा गयाः धारा 125 आर/डब्ल्यू एस के तहत दूसरी अपील के लिए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का अस्तित्व अनिवार्य है। 100 सी. पी. सी.-यह न्यायालय उस तरीके और तरीके की तथ्यात्मक जांच नहीं करेगा जिसमें बिजली पैदा करने वाली कंपनियां अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और ब्याज को पूरा करती हैं।

बिजली पैदा करने वाली कंपनियाँ अपने ऋणदाताओं को भुगतान करती हैं इस प्रकार, तत्काल अपील में शामिल कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं है-भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचनाएं कानून में बदलाव के समान होंगी, हालांकि बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रभार्य ऋण दरों में बदलाव से संबंधित अधिसूचना ऐसे कानून नहीं हैं जो बिजली खरीद समझौतों से संबंधित हैं और अपीलकर्ता या बिजली के वितरण में लगी बिजली पैदा करने वाली कंपनियों पर लागू नहीं हैं न कि अग्रिम ऋण के लिए-इसके अलावा, अदालतें पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से निष्पादित अनुबंध को फिर से नहीं लिख सकती हैं-स्पष्ट शर्तें

पार्टियों के इरादे के संबंध में अनुबंध हमेशा अंतिम शब्द होता है इस प्रकार, एम. ई. आर. सी. ने नियामक की अपनी शक्ति के दायरे में काम किया

1056 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी.

अपीलार्थी को निर्धारित समय के भीतर एल. पी. एस. का भुगतान करने का निर्देश देने में पर्यवेक्षण-ए. पी. टी. ई. एल. ने निर्देश को सही ढंग से बरकरार रखा-किसी भी मामले में, इस तरह के निर्देश को यू/एस. की शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। 125 - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-एस। 100 .

एस. 125 - उच्चतम न्यायालय में अपील-इसके लिए आधार-आयोजितः धारा 125 के तहत इस न्यायालय में अपील केवल धारा 100 सी. पी. सी. के तहत अनुमत आधारों पर की जाती है-धारा 124 के तहत अपील पर विचार करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त है

एक महत्वपूर्ण प्रश्न का अस्तित्व-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908s। 100 .

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एम. ई. आर. सी) -

रखने की शक्तिः विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत गठित एम. ई. आर. सी. में न्यायालय के सभी अधिकार हैं-एम. ई. आर. सी. लाइसेंसधारियों और बिजली के बीच सभी विवादों के संबंध में सिविल न्यायालय का विकल्प है।

उत्पादक कंपनियाँ।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 के तहत इस न्यायालय में केवल धारा में अनुमत आधारों पर अपील की जाती है। 100 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908। 2003 के अधिनियम की धारा 125 को सी. पी. सी. की धारा 100 के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने पर, यह है -

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस न्यायालय में अपील कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर आधारित है। धारा 125 के तहत एक अपील पर विचार करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त एक महत्वपूर्ण प्रश्न का अस्तित्व है। [पैरा 148,152] [1122-सी; 1123-ई-एफ]

भारतीय स्टेट बैंक और अन्य। वी. एस. एन. गोयल (2008) 8 एस. सी. सी. 92 [2008] 7 एस. सी. आर. 631; नजीर मोहम्मद बनाम। जे. कमला और अन्य 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 676; वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड बनाम। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और एक अन्य (2016) 16 एस. सी. सी. 541; तुप्पडाहल्ली एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम।

कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग और ए. एन. आर. (2017) 11 एस. सी. सी. 194; रामानुज नायडू बनाम। वी. कन्नैया नायडू और एक अन्य (1996) 3 एससीसी 392: [1996] 3 एस. सी. आर. 239; नवनीथम्मल बनाम। अर्जुन चेट्टी (1996) 6 एससीसी

166 : [1996] 5 पूरक। एस. सी. आर. 582 निर्दिष्ट है।

1.2 यह इस न्यायालय के लिए नहीं है कि वह नीचे दिए गए मंचों के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का पुनः विश्लेषण करे या समवर्ती निष्कर्षों पर अपील करे।

तथ्यों से। [पैरा 159] [1128-जी] [2021] 5 एस. सी. आर.

1.3 इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना कानून का गठन करती है। भारतीय रिजर्व बैंक

अधिसूचना जो पहले की अधिसूचना को बदलती है, संशोधित करती है, रद्द करती है या प्रतिस्थापित करती है, कानून में परिवर्तन के समान होगी। हालाँकि, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रभार्य ऋण दरों में परिवर्तन से संबंधित अधिसूचना ऐसे कानून नहीं हैं जो विचाराधीन बिजली खरीद समझौतों से संबंधित हैं, और इसलिए, जैसा भी मामला हो, चरण 1 समझौतों के अनुच्छेद 13 या चरण 2 समझौतों के अनुच्छेद 10 को आकर्षित नहीं करते हैं।

[पैरा 160] [1128-एच; 1129-ए-बी]

1.4 आर. बी. आई. द्वारा निर्दिष्ट परिपत्र/दिशा-निर्देश, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को जारी किए गए निर्देश हैं और वे नहीं हैं। अपीलार्थी या प्रत्यर्थी पर लागू-बिजली पैदा करने वाली कंपनियाँ, जो बिजली के उत्पादन, बिक्री/खरीद और/या वितरण के व्यवसाय में लगी हुई हैं, न कि अग्रिम ऋण के। इसके अलावा, बिजली खरीद समझौतों में परिभाषित स्टेट बैंक एडवांस रेट (एस. बी. ए. आर.) निश्चित रूप से किसी भी आर. बी. आई. दिशानिर्देशों या परिपत्रों से जुड़ा नहीं है। इस प्रकार दिशानिर्देश/परिपत्र इस अपील में शामिल मुद्दों के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। [पैरा 161] [1129-बी-सी]

1.5 बैंकों को सलाह देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र/दिशा-निर्देश

बैंक अपना मानदंड निर्धारित करते समय कुछ मानदंडों का पालन करेंगे

ऋणों के लिए संदर्भ दरों और उनमें किए गए संशोधनों का पक्षों के बीच अनुबंध पर कोई कानूनी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे नीचे दिए गए दोनों मंचों द्वारा सही ढंग से सराहा गया है।

[पैरा 162] [1129-डी]

बी. ओ. आई. फाइनेंस लिमिटेड बनाम अभिरक्षक और ओआरएस। (1997)

10 एससीसी 488: [1997] 3 एस. सी. आर. 51-संदर्भित।

1.6 एस. बी. आई. अपने ऋणों के लिए प्रधान ऋण दरों (पी. एल. आर.) को अधिसूचित कर रहा है और अधिसूचित करना जारी रखता है। अपीलार्थी ने स्वयं 2010 से अब तक एस. बी. आई. द्वारा अधिसूचित औसत पी. एल. आर. दी है।

आवेदन 2021 का आई. ए. सं. 69796 है। इसलिए देर से

ए. पी. टी. ई. एल., ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने पहले स्वीकार किया ए. पी. टी. ई. एल. ने कहा कि एस. बी. आई. ने आज तक पी. एल. आर. दरें जारी करना जारी रखा है।

[पैरा 164,165] [1129-एफ-एच] महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण आयोग। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी.

1.7 एस. बी. ए. आर. की परिभाषा स्पष्ट है और नीचे दिए गए दोनों मंचों द्वारा सही ढंग से लागू की गई है। समवर्ती निष्कर्ष हैं

तथ्य यह है कि एस. बी. आई. पी. एल. आर. (अर्थात पी. पी. ए. में उल्लिखित मानक संदर्भ दर) अभी भी प्रकाशित किया जा रहा है और उपलब्ध है। विद्युत अधिनियम की धारा 125 के तहत दूसरी अपील के इस चरण में न्यायालय इस तथ्यात्मक प्रश्न को फिर से नहीं खोल सकता है कि क्या एस. बी. आई. द्वारा अल्पकालिक ऋणों के लिए पी. एल. आर. दरों को अधिसूचित किया जा रहा था। इसलिए, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 के तहत दायर इस अपील में शामिल कानून का कोई ठोस सवाल नहीं है। [पैरा 166,167] [1130-बी-सी]

1.8 बिजली खरीद में एस. बी. ए. आर. की परिभाषा

समझौते स्पष्ट हैं। एस. बी. ए. आर. भारतीय स्टेट बैंक (एस. बी. आई.) द्वारा एक वर्ष की परिपक्वता वाले ऋणों के लिए समय-समय पर निर्धारित प्रति वर्ष प्रधान ऋण दर है। एल. पी. एस. की गणना एस. बी. आई. द्वारा समय-समय पर निर्धारित एक वर्ष की परिपक्वता वाले ऋणों के लिए पी. एल. आर. से 2 प्रतिशत अधिक की दर से की जानी है। इसके अलावा, दोनों पक्ष सचेत रूप से इस बात पर सहमत हुए हैं कि इस तरह की दर के अभाव में, एल. पी. एस. दर पर दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से सहमत होंगे। [पैरा 168] [1130-डी-ई] 1.9 बिजली खरीद समझौते में प्रावधान, जिसके तहत पक्षों को ब्याज की दर पर पारस्परिक रूप से सहमत होना होता है, यदि कोई एस. बी. आई. प्रधान ऋण दर नहीं है, तो अपने आप में बिजली खरीद समझौते के अनुच्छेद 13 में निहित कानून में परिवर्तन के लिए सामान्य प्रावधान की देर से भुगतान के लिए प्रयोज्यता को शामिल नहीं करता है।

अधिभार। [पैरा 170] [1130-एफ] 1.10 यह न्यायालय इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ है कि ए. पी. टी. ई. एल. का यह निष्कर्ष कि एल. पी. एस. शुल्क नहीं है, गलत है। द.

अभिव्यक्ति शुल्क के अर्थ पर विचार किया जाना चाहिए, और बिजली खरीद समझौतों के प्रासंगिक प्रावधान के संदर्भ में एपीटीईएल द्वारा उचित रूप से विचार किया गया है। शुल्क का शब्दकोश अर्थ शुल्क हो सकता है। हालांकि, चरण 1 के अनुच्छेद 13 और चरण 2 बिजली खरीद समझौतों के अनुच्छेद 10 में, शुल्क का अर्थ है मासिक शुल्क और इसके परिणामस्वरूप शुल्क समायोजन

कानून में परिवर्तन, बिजली की आपूर्ति के संबंध में मासिक शुल्क का है। [पैरा 173] [1131-बी-सी]

1.11 यह बिजली उत्पादन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था

एल. पी. एस. का भुगतान केवल मासिक [2021] 5 एस. सी. आर. के बदले में किया जाता है।

बिलों में देरी होती है और अन्यथा नहीं। एल. पी. एस. का उद्देश्य खरीदार यानी अपीलार्थी द्वारा शुल्क के समय पर भुगतान को लागू करना और/या प्रोत्साहित करना है। दूसरे शब्दों में, एल. पी. एस. खरीदार को शुल्क के भुगतान में देरी करने से रोकता है। एल. पी. एस. की दर का शुल्क पर कोई प्रभाव या प्रभाव नहीं पड़ता है। एल. पी. एस. की दरों के आधार पर परिवर्तन नहीं होते हैं। यह उस दर को प्रभावित करता है जिस पर बिजली खरीद समझौतों के तहत बिजली बेचने और खरीदने पर सहमति हुई थी। का सिद्धांत

बिजली खरीद समझौतों के कानून प्रावधानों में बदलाव के तहत शुल्क के संबंध में प्रतिपूर्ति आकर्षित की जाती है। [पैरा 174,175] [1131-डी-एफ] 1.12 एल. पी. एस. को बिजली की आपूर्ति के लिए वहन लागत या वास्तविक लागत के बराबर नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी के पास एक

विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा उठाए गए चालानों का समय पर भुगतान करने के लिए संविदात्मक दायित्व, निश्चित रूप से, उनकी जांच और सत्यापन के अधीन है। प्रत्यर्थी के वकील का कहना है कि यदि वित्तपोषण लागत एल. पी. एस. की दर से बहुत कम थी, जैसा कि अपीलार्थी ने तर्क दिया है, तो अपीलार्थी कम ब्याज दर पर धन जुटा सकता था, बिजली उत्पादन द्वारा जुटाए गए चालान का समय पर भुगतान कर सकता था।

कंपनियाँ, और एल. पी. एस. से बचें। [पैरा 176] [1131-एफ-जी] 1.13 यह प्रस्ताव कि अदालतें पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से निष्पादित अनुबंध को फिर से नहीं लिख सकती हैं, अच्छी तरह से तय किया गया है। अदालत ने

अपनी व्याख्यात्मक प्रक्रिया के माध्यम से, पक्षों के बीच एक नया अनुबंध फिर से नहीं लिख सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। न्यायालय को केवल समझौते के नियमों और शर्तों को लागू करना है जैसा कि दोनों के बीच सहमति हुई है।

दलों को। जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, यह अपील पी. पी. ए. की शर्तों पर फिर से बातचीत कर रही है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि न्यायालय वाणिज्यिक शर्तों की अनुमानित समझ के बारे में अपने स्वयं के दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। पक्षों द्वारा, यदि शर्तें स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई हैं। एक अनुबंध की स्पष्ट शर्तें हमेशा पक्षों के इरादे के संबंध में अंतिम शब्द होती हैं। [पैरा 177] [1131-एच; 1132-ए-सी]

श्री अम्बिका मेडिकल स्टोर और अन्य। वी. सूरत पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और अन्य (2020) 13 एस. सी. सी. 564: [2020] 3 एससीआर 359; नाभा पावर लिमिटेड बनाम। पंजाब राज्य बकाया निगम लिमिटेड (पी. एस. पी. सी. एल.) और एक अन्य (2018) 11 एस. सी. सी. 508: [2017] 14 एससीआर 301 -

संदर्भित किया गया।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी.

1.14 अपीलार्थी केवल बिजली खरीद समझौते के प्रावधानों में संशोधन की मांग करने के लिए बाध्य है

उसकी शर्तों के संशोधन के लिए सहमत प्रक्रिया के साथ। देर से भुगतान अधिभार की सहमत दर में केवल एस. बी. आई. पी. एल. आर. की अनुपस्थिति में संशोधन किया जा सकता है और वह भी बिजली खरीद समझौते के पक्षों की आपसी सहमति से। यह दलील कि बिजली उत्पादन कंपनियाँ कम ब्याज दर पर ऋण ले रही हैं, लेकिन उच्च ब्याज दर के आधार पर एल. पी. एस. वसूल रही हैं, जिससे अन्यायपूर्ण संवर्धन हो रहा है, कानून में असमर्थनीय है। बिजली खरीद समझौतों के तहत एल. पी. एस. अनुरूप नहीं है। विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा उनके द्वारा जुटाए गए धन के लिए भुगतान किए गए वास्तविक ब्याज तक। विलंबित भुगतान अधिभार का भुगतान

जैसा कि एस. बी. आई. द्वारा समय-समय पर एल. पी. एस. के लिए दर के रूप में अधिसूचित किया जाता है। इसलिए, निगमन के सिद्धांत के आधार पर, प्रत्येक वर्ष एस. बी. आई. द्वारा अधिसूचित पी. एल. आर. को पावर में शामिल किया जाता है। पक्षों के बीच बाध्यकारी के रूप में खरीद समझौते। इस प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्रणाली

एस. बी. आई. पी. एल. आर. की अनुपस्थिति और एम. ई. आर. सी. द्वारा अनुमोदित होने की स्थिति में पक्षों के बीच। [पैरा 180] [1132-एफ-एच] 1.16 जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, वैचारिक रूप से, पीएलआर, आधार दर और एमसीएलआर की तुलना नहीं की जा सकती है। यह निवेदन कि परिभाषा

एस. बी. ए. आर. को पी. एल. आर. के बजाय एम. सी. एल. आर. के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए यह मान्य नहीं है। पीएलआर अस्थायी दर वाले ऋणों पर ब्याज वसूलने के लिए आंतरिक मानक दर है, जिसकी गणना धन की औसत लागत के आधार पर की जाती है और ऋण को उनके मौजूदा पीएलआर पर छूट पर पेश किया जाता है। हालांकि, आधार दर बैंकों की निधियों की कुल लागत के आधार पर गणना की गई ऋण दर है और वह न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर एक बैंक अपने कर्मचारियों, अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और बैंक की अपनी जमा राशि के बदले ऋण दे सकता है। एमसीएलआर एक ऋण दर है जिसकी गणना [2021] 5 एस. सी. आर. की लागत पर की जाती है।

बैंक के लिए नई धनराशि जुटाना जिसमें सी. आर. आर./एस. एल. आर. (ऋण आरक्षित अनुपात/सांविधिक तरलता अनुपात), बैंकों की परिचालन लागत और अवधि प्रीमियम बनाए रखने की लागत शामिल है। एमसीएलआर सबसे कम ब्याज दर है जो कोई बैंक या ऋणदाता दे सकता है। इस प्रकार, एमसीएलआर पर एक मार्कअप पर ऋण की पेशकश की जाती है। इस प्रकार, दोनों दरों का आधार अलग-अलग है और इसकी तुलना नहीं की जा सकती है, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा किया गया है। जब पी. एल. आर., आधार दर और एम. सी. एल. आर. की तुलना साथ-साथ की जाती है। अंतर बहुत बड़ा है। ऋण आधार दर और एम. सी. एल. आर. के ऊपर दिए जाते हैं, जबकि पी. एल. आर. व्यवस्था के दौरान पी. एल. आर. पर छूट पर ऋण दिए जाते थे। [पैरा 181] [1133-ए-डी]

1.17 किसी भी मामले में, अपीलार्थी यह प्रस्तुत नहीं कर सकता है कि

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों को अनुच्छेद 13.3 के बाद से कानून में परिवर्तन माना जाना है। 1 चरण 1 समझौतों

अनुच्छेद 10.4 के अनुरूप। 1 चरण 2 समझौतों में यह प्रावधान है कि प्रभावित पक्ष द्वारा कानून की घटनाओं में परिवर्तन की सूचनाएँ, जितनी जल्दी हो सके, जारी की जानी चाहिए, जब प्रभावित पक्ष को कानून में परिवर्तन की घटना के बारे में पता चल जाए या जब उसे इस मामले में परिवर्तन के बारे में यथोचित रूप से पता होना चाहिए, तो अपीलार्थी द्वारा उद्धृत परिवर्तन जुलाई 2010 और अप्रैल 2016 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी किए गए थे और पहले से अधिसूचित किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बी. पी. एल. आर. प्रणाली के स्थान पर आधार दर प्रणाली शुरू करने के छह साल से अधिक समय बाद, अपीलार्थी ने सितंबर 2016 में कानून में बदलाव के नोटिस जारी किए। इसके अलावा, जबकि आधार दर प्रणाली पर दिशानिर्देश 9 अप्रैल 2010 को प्रकाशित किए गए थे और 01.07.2010 से प्रभावी रूप से पेश किए गए थे, अपीलार्थी ने बिजली खरीद समझौते में प्रवेश किया

9 अगस्त 2010 को और 16 फरवरी 2013 को प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी को बिजली की अनुबंधित मात्रा की आपूर्ति के लिए पी. एल. आर. को विलंबित भुगतान अधिभार दर के रूप में शामिल किया।

[पैरा 182,183] [1133-ई-एच]

1.18 उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता अपने उपभोक्ताओं से भुगतान में देरी @1.25% प्रति माह और/या इसके लिए ब्याज लेता है।

एम. ई. आर. सी. के एम. वाई. टी. विनियमों के अनुसार प्रति वर्ष 15 प्रतिशत। इससे यह भी पता चलता है कि ब्याज दर अपीलार्थी या उसके द्वारा लिए गए ऋणों पर वास्तविक ब्याज दर से सह-संबंधित नहीं है। बिजली उत्पादन कंपनियाँ।

उत्तरदाता महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण आयोग के अनुसार। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी.

बिजली उत्पादन कंपनियाँ, कोई अन्य वितरण लाइसेंसधारी नहीं

इसके अलावा अपीलार्थी ने कानून में परिवर्तन का दावा किया है। बिजली की खरीद करने वाले अन्य सभी वितरण लाइसेंस बिजली उत्पादक संबंधित बिजली खरीद समझौतों के अनुसार एल. पी. एस. का भुगतान करते हैं। मान लीजिए कि प्रत्यर्थी बिजली उत्पादक कंपनियों को समय पर भुगतान करने में देरी के कारण अपीलकर्ता अपनी वर्तमान स्थिति में आ गया है। 2017 में एम. ई. आर. सी. के समक्ष याचिका दायर करने और 2018 में ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष अपील करने के समय कोई महामारी नहीं थी। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी ने मार्च 2020 में भारत में कोविड-19 के प्रकोप के परिणामस्वरूप अपनी वित्तीय दुर्दशा के कारण बिलों के भुगतान में चूक की थी। [पैरा 184,186] [1134-ए-बी]

1.19 व्यापक प्रस्तुतियाँ कि अपीलार्थी ने बिजली उत्पादन द्वारा उठाए गए बिलों के भुगतान में चूक की

विभिन्न परिस्थितियों के कारण कंपनियां अपने नियंत्रण से परे हैं। अपीलार्थी द्वारा उल्लिखित विभिन्न परिस्थितियों, जो कथित रूप से अपीलार्थी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हैं, का अपील के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सलाहकारों एक स्वर में प्रस्तुत किया गया कि बिजली उत्पादन द्वारा उठाए गए चालानों के भुगतान में देरी और/या भुगतान न करना

अपीलार्थी को बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनियों ने प्रत्यर्थी-बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों को भारी नुकसान में डाल दिया था

वित्तीय तनाव, क्योंकि उनके राजस्व का स्रोत उनके बिजली संयंत्रों से उत्पन्न बिजली की बिक्री और आपूर्ति से है। द. प्रत्यर्थी बिजली उत्पादन कंपनियों पर अपीलार्थी के चूक के परिणामों का बोझ नहीं डाला जा सकता है।

[पैरा 187] [1134-एफ-एच; 1135-ए]

मेसर्स कैलाश नाथ एसोसिएट्स बनाम। दिल्ली विकास

प्राधिकरण और एन. आर. (2015) 4 एस. सी. सी. 136 [2015] 1 एस. सी. आर.

627 - प्रतिष्ठित।

हॉलिबर्टन ऑफशोर सर्विसेज इंक. बनाम। वेदांता लिमिटेड & एन. आर. , ओ. एम. पी. (आई) (कॉम.) नहीं. 88/2020, निर्दिष्ट 29.05.2020 पर तय किया गया।

1.20 इस मामले में, अपीलार्थी ने बिजली उत्पादन कंपनियों द्वारा उठाए गए बिलों का समय के भीतर भुगतान नहीं किया।

1] 5 एस. सी. आर.

देर से भुगतान के लिए बिजली खरीद समझौते प्रदान किए गए

इस धारणा पर अधिभार कि बिलों के भुगतान में देरी से उस विक्रेता को पूर्वाग्रह और नुकसान होता है जिसका बिल बकाया रहता है। तदनुसार, अपीलकर्ता अपने उन उपभोक्ताओं पर विलंबित भुगतान शुल्क भी लगाता है, जो प्रति माह डेढ़ प्रतिशत और/या अन्य 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बिलों के भुगतान के लिए निर्धारित नियत तिथि के बाद अपने बिलों का भुगतान करते हैं। एस. बी. ए. आर. से 2 प्रतिशत अधिक एल. पी. एस. दर भी नहीं है।

अनुचित रूप से अत्यधिक और न ही मनमाना। यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस एल. पी. एस. पर सहमति हुई है वह नुकसान का वास्तविक पूर्व अनुमान नहीं है। [पैरा 189] [1135-सी-ई]

भारत संघ बनाम। एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। 2020 (3) एससीसी 525: [2019] 16 एससीआर 672; हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम। उड़ीसा राज्य 1969 (2) एस. सी. सी 627: [1970] 1 एससीआर 753; अकबर बदरूद्दीन गिवानी बनाम। सीमा शुल्क कलेक्टर 1990 (2) एस. सी. सी. 203:

[1990] 1 एस. सी. आर. 369; जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़ 2003 (1) एस. सी. सी. 67; टेकुमसेह प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, हैदराबाद 2004 (6) एस. सी. सी. 30: [2004] 2 पूरक। एससीआर 202; जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम। वाणिज्यिक कर अधिकारी 1994 (4) एस. सी. सी. 276: [1994] 3 एस. सी. आर. 964; सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम रवींद्र और अन्य 2002 (1) एस. सी. सी. 367 [2001] 4 पूरक। एससीआर 323; मेसर्स कैलाश नाथ एसोसिएट्स बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और एएनआर

(2015) 4 एससीसी 136: [2015] 1 एस. सी. आर. 627-संदर्भित।

1.21 शायद यह ध्यान रखना उचित होगा कि समान शर्तों वाले बिजली खरीद समझौतों का रूढ़िबद्ध रूप और

विभिन्न बिजली उत्पादक कंपनियों के साथ अपीलार्थी द्वारा शर्तों का निष्पादन किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि बिजली पैदा करने वाली कंपनियां केवल नियमों और शर्तों पर सहमत होती हैं। अपीलार्थी द्वारा तैयार किया गया समझौता। यह स्वीकार करना कठिन है कि अपीलार्थी को अपनी रूढ़िवादी शक्ति में शामिल करना चाहिए।

खरीद समझौते, एस. बी. ए. आर. की तुलना में 2 प्रतिशत अधिक दर पर एल. पी. एस. के भुगतान के लिए एक प्रावधान, चालानों/बिलों के देर से भुगतान के मामले में, बिजली उत्पादन कंपनी को समय पर बिलों का भुगतान न करने के कारण होने वाले नुकसान के किसी भी पूर्व-अनुमान के बिना, विशेष रूप से तब जब विलंब भुगतान अधिभार महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण से जुड़ा हो।

लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी.

विशिष्ट प्रकार के ऋण के संबंध में ब्याज की दर,

मफस्सिल और ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में फैली शाखाओं की सबसे बड़ी संख्या के साथ एक प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा। [पैरा 192] [1137-सी-ई] 1.22 किसी भी मामले में, बिजली अधिनियम 2003 की धारा 125 के तहत इस दूसरी अपील में, जिस पर केवल सुनवाई की जानी है

कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर, यह न्यायालय उस तरीके और तरीके की तथ्यात्मक जांच करने की कवायद शुरू नहीं करेगा जिसमें बिजली पैदा करने वाली कंपनियां अपने काम को पूरा करती हैं। पूँजी की आवश्यकताएँ और ब्याज जो व्यक्तिगत बिजली उत्पादन कंपनियाँ अपने ऋणदाताओं को देती हैं। [पैरा 193] [1137-ई-एफ]

1.23 यह स्वयंसिद्ध है कि बिजली खरीद समझौते एक विशेष तरीके से विलंबित भुगतान अधिभार की गणना के लिए प्रदान करते हैं ताकि व्यक्तिगत बिजली उत्पादक कंपनियों के बिलों के विलंबित भुगतान के कारण होने वाले नुकसान का आकलन करने में समय लगे। एस. बी. ए. आर. को बेंच बनाया गया है।

एस. बी. आई. पी. एल. आर. से 2 प्रतिशत अधिक के विलंबित भुगतान को मनमाने ढंग से अधिक नहीं कहा जा सकता है। इस न्यायालय के लिए ब्याज की संविदात्मक दर को कम करने और इस तरह भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पक्षों के बीच अनुबंध में बदलाव या संशोधन करने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 195] [1138-बी] 1.25 इस प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है कि क्या अपीलार्थी के पास अपनी ब्याज देनदारी का भुगतान करने के लिए धन है या नहीं। अपीलार्थी बिना उचित व्यवस्था के बिजली की आपूर्ति प्राप्त करना जारी नहीं रख सकता है।

कोष। अपीलार्थी को अनिवार्य रूप से अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए धन जुटाना होगा। [पैरा 196] [1138-सी] [2021] 5 एस. सी. आर.

1.26 यह मानते हुए भी कि ब्याज का बोझ होगा

यह अपीलार्थी के लिए बिजली उत्पादन कंपनियों के प्रति अपनी संविदात्मक प्रतिबद्धता से पीछे हटने का आधार नहीं हो सकता है। अपीलार्थी भुगतान करने में देरी का भार बिजली उत्पादक कंपनियों पर नहीं डाल सकता है। किसी भी मामले में दावे 2 तारीख को एम. ई. आर. सी. के समक्ष याचिका दायर करने से पहले तीन साल की अवधि से संबंधित हैं।

दिसंबर, 2016 और इसलिए सीमा द्वारा वर्जित। [पैरा 197] [1138-डी] 1.27 अपीलार्थी द्वारा बिजली उत्पादन के लिए शुल्क के निर्धारण के लिए एम. ई. आर. सी. द्वारा बनाए गए शुल्क नियमों पर निर्भरता

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 के तहत कंपनियाँ

असमर्थनीय है क्योंकि इस मामले में शुल्क विनियमों का कोई अनुप्रयोग नहीं है जहां बिजली अधिनियम की धारा 63 के तहत बोली प्रक्रिया के अनुसार पी. पी. ए. को निष्पादित किया गया है। [पैरा 198] [1138 ई-एफ] 1.28 एक निर्धारित तिथि के भीतर देय और देय पाए जाने वाले एल. पी. एस. का भुगतान करने के लिए अपीलार्थी को दिए गए निर्देशों के आधार पर विवादित निर्णय और आदेश को चुनौती भी टिकाऊ नहीं है। [पैरा 203] [1140-बी-सी]

1.29 ए. पी. टी. ई. एल. सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है। समयबद्ध भुगतान के लिए निर्देश

एक निर्धारित समय सीमा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के फैसले के अनुरूप है। अदानी पावर का मामला जिसे इस अदालत ने बरकरार रखा है। इसके अलावा, बिजली अधिनियम के उद्देश्यों में से एक मामलों का समयबद्ध निपटान है। यह अधिनियम की विशेष धारा 111 (5) सहित उक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से स्पष्ट है। चूँकि ए. पी. टी. ई. एल. और एम. ई. आर. सी. सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं हैं, इसलिए ए. पी. टी. ई. एल. के लिए ऐसे आदेश पारित करने के लिए खुला था जो अंततः मुकदमेबाजी को समाप्त कर देंगे। [पैरा 204] [1140-सी-डी]

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अन्य। वी. अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड और ए. एन. आर 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन

एस. सी. 697 प्रतिष्ठित।

1.30 विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत गठित एम. ई. आर. सी. जैसे विद्युत नियामक आयोग के पास न्यायालय के सभी अधिकार होते हैं। एम. ई. आर. सी. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण आयोग के संबंध में एक दीवानी न्यायालय का विकल्प है।

लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी.

एम. ई. आर. सी. के आदेश में निर्धारित समय के भीतर एल. पी. एस. का भुगतान करने के लिए अपीलार्थी को निर्देश देने में नियामक पर्यवेक्षण। ए. पी. टी. ई. एल. ने इस निर्देश को सही ठहराया। किसी भी मामले में, इस तरह के निर्देश को विद्युत अधिनियम की धारा 125 के तहत शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है जो सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत दूसरी अपील, क्योंकि किसी अपील पर विचार करने के लिए अनिवार्य रूप से एक महत्वपूर्ण प्रावधान का अस्तित्व है।

कानून का सवाल। [पृष्ठ 205,207] [1140-ई-एफ; 1141-बी-सी]

तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम लिमिटेड बनाम पी. पी. एन. बिजली उत्पादन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (2014) 11 एस. सी. सी. 53: [2014] 4 एस. सी. आर. 667; आंध्र प्रदेश विद्युत समन्वय समिति और अन्य बनाम। लैंको कोंडापल्ली पावर लिमिटेड और अन्य। (2016) 3 एससीसी 468: [2015] 12 एससीआर 447; गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम। अमित गुप्ता और अन्य (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन 194; कर्नाटक राज्य बनाम। विश्वभारती हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और अन्य (2003) 2 एस. सी. सी. 412: [2003] 1 एस. सी. आर. 397; ऑल इंडिया पावर इंजीनियरिंग फेडरेशन और अन्य। बनाम सासन पावर लिमिटेड और अन्य (2017) 1 एस. सी. सी. 487 [2016] 9 एस. सी. आर. 901 संदर्भित।

अतिरिक्त तथ्यों और दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लाने के लिए आवेदन भारतीय स्टेट बैंक को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किए गए प्रश्नों का रूप और उनके उत्तर

यह दिखाने का प्रयास कि पी. एल. आर. अल्पकालिक ऋणों पर लागू नहीं होगा

आधार दर/एम. सी. एल. आर. प्रणाली में परिवर्तन के बाद एस. बी. आई. द्वारा अग्रिम। यह न्यायालय किसी भी दस्तावेज पर ध्यान नहीं दे सकता है।

सुनवाई के समापन के बाद प्रस्तुत किया गया। किसी भी मामले में, यह न्यायालय

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 के तहत दूसरी अपील में अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किए गए तथ्यों के आधार पर एम. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा प्राप्त समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए चालानों को स्वीकार कर रहा था- बिजली पैदा करने वाली कंपनियाँ और अपीलार्थी द्वारा खातों का विधिवत मिलान किया गया था। [2021] 5 एस. सी. आर. द्वारा प्रभारित एल. पी. एस.

प्रत्यर्थी बिजली उत्पादन कंपनियाँ कभी विवादित नहीं थीं। इसके अलावा, यह न्यायालय इस दूसरी अपील में पहली बार पेश किए गए दस्तावेजों पर गौर नहीं कर सकता है, जो एम. ई. आर. सी. या ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अन्यथा भी, 12 जुलाई 2021 को देर से किसी रैंक के बाहरी व्यक्ति द्वारा किए गए प्रश्नों या उनके उत्तरों पर साक्ष्य में भरोसा नहीं किया जा सकता है।

1.32 एपीटीईएल के फैसले और पारित आदेश की पुष्टि करने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है एमईआरसी द्वारा। [पैरा 209] [1141-जी]

डीएसआर स्टील (पी)। लिमिटेड वी. राजस्थान राज्य और अन्य (2012) 6 एससीसी 782: [2012] 5 एस. सी. आर. 583; भारतीय पावर ग्रिड निगम और अन्य। वी. तमिलनाडु पीढ़ी

और वितरण कंपनी लिमिटेड और अन्य। (2019) 7 एससीसी 34: [2019] 7 एस. सी. आर. 724; भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम पवन कुमार गुप्ता (2016) 1 एस. सी. सी. 363: [2015] 11 एस. सी. आर. 402; अडानी पावर (मुंद्रा) लिमिटेड बनाम गुजरात

विद्युत नियामक आयोग और अन्य (2019) 19 एस. सी. सी. 9; उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

और एक अन्य बनाम अडानी पावर लिमिटेड और अन्य (2019) 5 एससीसी 325 [2019] 4 एससीआर 487; सीएलपी इंडिया प्राइवेट

सीमित वी। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और एक और 2020 (5) एस. सी. सी. 185; पारेषण निगम

आंध्र प्रदेश लिमिटेड और अन्य बनाम जी. एम. आर. वेमागिरी पावर जेनरेशन लिमिटेड और एक अन्य (2018) 3 एस. सी. सी. 716; इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो-लीगल एक्शन बनाम। भारत संघ (2011) 8 एस. सी. सी. 161 [2011] 9 एस. सी. आर. 146; गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम। एस्सार पावर लिमिटेड (2008) 4 एससीसी

HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. मरियम-वेबस्टर। कॉम/शब्दकोश/शुल्क - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2012] 5 एससीआर 583

संदर्भित किया गया है

पै

रा 72

[2019] 7 एससीआर 724

संदर्भित किया गया है

पै

रा 73

[2015] 11 एससीआर 402

संदर्भित किया गया है

पैरा 74 हरियाणा राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी.

9) 19 एससीसी 9

पैरा 95

संदर्भित किया गया है

9] 4 एससीआर 487

संदर्भित किया गया है

पैरा 112

(5) एससीसी 185

पैरा 115

संदर्भित किया गया है

8) 3 एस. सी. सी. 716

संदर्भित किया गया है

पैरा 117

1] 9 एससीआर 146

संदर्भित किया गया है

पैरा 128

8] 4 एससीआर 822

संदर्भित किया गया है

पैरा 139

8] 7 एससीआर 631

संदर्भित किया गया है

पैरा 151

6) 16 एस. सी. सी. 541

संदर्भित किया गया है

पैरा 154

7) 11 एससीसी 194

संदर्भित किया गया है

पैरा 155

6] 3 एससीआर 239

संदर्भित किया गया है

पैरा 156

6] 5 पूरक। एससीआर 582

संदर्भित किया गया है

पैरा 157

7] 3 एससीआर 51

संदर्भित किया गया है

पैरा 163

7] 14 एससीआर 301

संदर्भित किया गया है

पैरा 177

0] 3 एससीआर 359

संदर्भित किया गया है

पैरा 177

5] 1 एससीआर 627

प्रतिष्ठित

पैरा 188

9] 16 एससीआर 672

संदर्भित किया गया है

पैरा 190

0] 1 एससीआर 753

संदर्भित किया गया है

पैरा 191

संदर्भित किया गया है

0] 1 एससीआर 369

पैरा 191

(1) एससीसी 67

संदर्भित किया गया है

पैरा 191

4] 2 पूरक। एससीआर 202

पैरा 191

संदर्भित किया गया है

4] 3 एससीआर 964

संदर्भित किया गया है

पैरा 191

1] 4 पूरक। एससीआर 323

संदर्भित किया गया है

पैरा 191

4] 4 एससीआर 667

पैरा 205

संदर्भित किया गया है

5] 12 एससीआर 447

संदर्भित किया गया है

पैरा 205

3] 1 एससीआर 397

पैरा 206

संदर्भित किया गया है

6] 9 एससीआर 901

संदर्भित किया गया है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.1843

2021 से।

2018 के अपील No.77 में नई दिल्ली में बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 27.04.2021 के निर्णय और आदेश से।

मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अमन आनंद, विवेक सिंह, अमन दीक्षित, महेश अग्रवाल, सुश्री पारुल शुक्ला, अर्शित आनंद, निशांत राव, ई. सी. अग्रवाल, विश्व मुखर्जी, गौरव रे, आलोक शंकर, सुश्री दिव्या आनंद, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी, जे.

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 125 के तहत यह अपील अपीलीय द्वारा पारित 27 अप्रैल 2021 के फैसले और आदेश के खिलाफ है।

विद्युत न्यायाधिकरण, जिसे इसके बाद संक्षेप में 'ए. पी. टी. ई. एल.' के रूप में संदर्भित किया गया है, ने अपीलकर्ता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर 2018 की अपील को खारिज कर दिया और महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा 16 नवंबर, 2017 को पारित एक आदेश की पुष्टि करते हुए, जिसे इसके बाद 'एम. ई. आर. सी.' के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसके तहत एम. ई. आर. सी. ने बिजली अधिनियम की धारा 86 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जो कि 2017 का मामला <आई. डी. 1 है, अपीलकर्ता के इस तर्क को खारिज करते हुए कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आधार दर प्रणाली की शुरुआत और निधि आधारित ऋण दर प्रणाली की सीमांत लागत ने 'परिवर्तन' अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर कानून में बदलाव का गठन किया। कानून में 'जैसा कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच संबंधित बिजली खरीद समझौतों में परिभाषित किया गया है, 3,4 और 5, जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से "बिजली पैदा करने वाली कंपनियों" के रूप में संदर्भित किया गया है, ताकि अपीलार्थी द्वारा संबंधित शक्ति के तहत बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को देय विलंबित भुगतान अधिभार (एल. पी. एस.) की दर में परिवर्तन किया जा सके।

खरीद समझौते।

2. अपीलार्थी, जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत शामिल किया गया था, महाराष्ट्र सरकार के पुनर्गठन के निर्णय के अनुसार

पूर्ववर्ती महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत एक वितरण लाइसेंसधारी है, जिसके पास महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र राज्य में बिजली की आपूर्ति करने का लाइसेंस है।

लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

मुंबई शहर। अपीलार्थी बिजली के जनरेटर से बिजली का एक बड़ा खरीदार होता है।

3. अपीलार्थी ने समय-समय पर निविदा सूचना जारी की थी,

अपीलार्थी को बिजली की थोक आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित करना, जिसके अनुसार, बिजली उत्पादन कंपनियों ने अपनी बोलियां प्रस्तुत कीं।

4. अपीलार्थी ने बिजली खरीद समझौतों को निष्पादित किया है

बिजली पैदा करने वाली कंपनियाँ, उत्तरदाता संख्या के रूप में श्रेणीबद्ध। 2 इस अपील में दो चरणों में 5 तक। बिजली खरीद समझौतों के दो सेट, जिन्हें इसके बाद चरण 1 और चरण 2 बिजली खरीद समझौते के रूप में संदर्भित किया गया है, में लगभग समान नियम और शर्तें हैं। संबंधित समझौतों की संबंधित तिथियां और संक्षिप्त विवरण (संख्या में पाँच) इस प्रकार हैं:

" चरण 1-पी. पी. ए

संबंधित

परियोजनाओं में से

एस. एल. नहीं। पीपीए की तिथि

का नाम

शुल्क का आहरण

उत्पादन का

बिजली (एम. डब्ल्यू. में) (रु./इकाई)

उत्पन्न कर रहा है

कंपनी

कंपनी

((i)

14.08.2008

अडानी पावर 1320

2.64

इसकी

इकाइयाँ 2 और 3

तिरोदा परियोजना

महाराष्ट्र

((ii) 23.02.2010

जेएसडब्ल्यू एनर्जी 300

2.71

इसकी इकाई

1

रत्नागिरी

रत्नागिरी

परियोजना

(उत्तरदाता

सं. 3)

चरण 2-पीपीए

$ 1 . पी. पी. ए. की तिथि उत्पादन का नाम

शुल्क का आहरण

का नाम

बिजली (मेगावाट में) (रुपये/इकाई)

प्रासंगिक परियोजनाएं

कंपनी

नहीं।

उ

त्पादन

का

कंपनी

(i) 17.03.2010 GMR वारोरा एनर्जी लिमिटेड. 200

वारोरा परियोजना

2.88

(प्रत्यर्थी संख्या 5)

((ii) 22.04.2010

अ

मरावती परियोजना

रतन इंडिया पावर लिमिटेड

450

3.26

05.06.2010 (प्रत्यर्थी संख्या 4)

750

(iii) 31.03.2010 अडानी पावर महाराष्ट्र

तिरोदा परियोजना

1200

3.28

09.08.2010 लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 2)

125

16.02.2013

440

5. चरण 1 शक्ति के प्रासंगिक नियम और शर्तें

क्रय समझौतों को नीचे निर्धारित किया गया है:

" अनुच्छेद 1: परिभाषाएँ और व्याख्याएँ

कानून में परिवर्तन-इसका वही अर्थ होगा जो इसमें दिया गया है

अनुच्छेद 13.1। 1 इस समझौते से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय सरकार के साधन का अर्थ है महाराष्ट्र सरकार का जी. ओ. एल. और कोई भी मंत्रालय या विभाग या बोर्ड, एजेंसी या अन्य नियामक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण जो जी. ओ. एल. या राज्यों की सरकार द्वारा नियंत्रित है जहां खरीददार और परियोजना स्थित है और इसमें सी. ई. आर. सी. शामिल है।

और एम. ई. आर. सी.

विलंबित भुगतान अधिभार का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 11.3 में दिया गया है। 4 कानून- का अर्थ है, इस समझौते के संबंध में, भारत में लागू बिजली कानूनों सहित सभी कानून और कोई भी कद, अध्यादेश, विनियमन, अधिसूचना या संहिता, नियम, या भारत सरकार के किसी उपकरण द्वारा उनमें से किसी की कोई व्याख्या और कानून का बल रखने वाला और इसमें आगे सभी लागू नियम, विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं शामिल होंगी।

इनमें सी. ई. आर. सी. और एम. ई. आर. सी. के सभी नियम, विनियम, निर्णय और आदेश शामिल होंगे। एस. बी. ए. आर.-जिसका अर्थ है प्रति वर्ष लागू प्रमुख ऋण दर।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित एक (1) वर्ष की परिपक्वता वाले ऋणों के लिए। ऐसी दर के अभाव में, कोई

अन्य व्यवस्था जो पार्टियों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत ऐसी प्रमुख ऋण दर को प्रतिस्थापित करती है।

अनुच्छेद 11: बिलिंग और भुगतान

11.3. 4 खरीदार द्वारा देय तिथि के बाद मासिक बिल के भुगतान में देरी की स्थिति में, विलंब की प्रत्येक तिथि के लिए दैनिक आधार पर (और मासिक विश्राम के साथ चक्रवृद्धि) गणना की गई बकाया भुगतान की राशि पर, खरीदार द्वारा विक्रेता को लागू एस. बी. ए. आर. प्रति वर्ष से दो (2) प्रतिशत अधिक की दर से विलंब भुगतान अधिभार देय होगा।

अनुच्छेद 13:

हरियाणा राज्य विद्युत वितरण आयोग के कानून में बदलाव। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

13.1 . परिभाषाएँ

इस अनुच्छेद 13 में निम्नलिखित शब्द हैं -

अर्थ।

13.1. 1 " कानून में परिवर्तन का अर्थ है इनमें से किसी की घटना।

बोली की समय सीमा से सात (7) दिन पहले की तारीख के बाद की घटनाएँ:

((i) अधिनियमन, प्रभाव में लाना, अपनाना, उद्घोषणा, संशोधन, संशोधन या निरसन या कोई कानून या

((ii) किसी सक्षम न्यायालय, न्यायाधिकरण या भारतीय सरकार द्वारा किसी भी कानून की व्याख्या में परिवर्तन।

बशर्ते कि ऐसा न्यायालय, न्यायाधिकरण या भारतीय सरकारी साधन कानून के तहत अंतिम प्राधिकरण हो।

व्याख्या।

लेकिन इसमें (i) किसी भी रोक कर में कोई बदलाव शामिल नहीं होगा।

विक्रेता के शेयरधारकों को वितरित आय या लाभांश पर, या (ii) एक उपयुक्त आयोग द्वारा यू. आई. शुल्क या आवृत्ति अंतराल के संबंध में परिवर्तन।

13.2 कानून में परिवर्तन के कम्प्यूटिंग प्रभाव के लिए अनुप्रयोग और मूलधन

इस अनुच्छेद 13 के तहत कानून में परिवर्तन के परिणाम का निर्धारण करते समय, पक्षों को इस सिद्धांत का पूरा ध्यान रखना होगा कि कानून में इस तरह के परिवर्तन से प्रभावित पक्ष को मुआवजा देने का उद्देश्य इस अनुच्छेद 13 में अनुध्यात सीमा तक मासिक शुल्क भुगतान के माध्यम से बहाल करना है।

प्रभावित पक्ष उसी आर्थिक स्थिति में है जैसे कि कानून में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है।

ख) संचालन अवधि - कानून में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, किसी के लिए मुआवजा

विक्रेता के राजस्व या लागत में वृद्धि/कमी का निर्धारण महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट द्वारा किया जाएगा।

एस सी आर।

आयोग जिसका निर्णय अंतिम और दोनों के लिए बाध्यकारी होगा

पक्षकार, अधीन प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन

लागू कानून और 13.4 में निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी। 1

13.3 . कानून में परिवर्तन की अधिसूचनाः

13.3. 1 . यदि विक्रेता अनुच्छेद 13.2 के अनुसार कानून में परिवर्तन से प्रभावित होता है और विक्रेता इस अनुच्छेद के तहत कानून में परिवर्तन का दावा करना चाहता है, तो वह विक्रेता को नोटिस देगा।

कानून में इस तरह के परिवर्तन का खरीदार जल्द से जल्द

उसी के बारे में जागरूक होने के बाद व्यावहारिक या होना चाहिए

कानून में परिवर्तन के बारे में यथोचित रूप से जानते हैं। 13.3. 2. अनुच्छेद 13.3 के बावजूद। 1 , विक्रेता इस अनुच्छेद 13.3 के तहत खरीददार को नोटिस देने के लिए बाध्य होगा। 2

यदि यह कानून में परिवर्तन से लाभकारी रूप से प्रभावित है। इसके बिना

भौतिकता या अन्य प्रावधानों के कारक के प्रति पूर्वाग्रह

इस समझौते में निहित, सूचित करने का दायित्व

इसमें निहित खरीददार सामग्री होगी।

बशर्ते कि यदि विक्रेता ने ऐसी सूचना नहीं दी है, तो खरीददार को ऐसी सूचना जारी करने का अधिकार होगा - विक्रेता।

13.3. 3 इस अनुच्छेद 13.3 के अनुसार दी गई कोई भी सूचना। 2 करेंगे।

अन्य बातों के अलावा, सटीक विवरण प्रदान करें:

(क) कानून में परिवर्तन; और

ख) लेख में निर्दिष्ट मामलों के विक्रेता पर प्रभाव

13.2

13.4 . कानून में बदलाव के कारण शुल्क समायोजन भुगतान

13.4. 1 . अनुच्छेद 13.2 के अधीन, मासिक शुल्क में समायोजन

भुगतान निम्नलिखित से प्रभावी होगाः

((i) स्वीकार करने, उद्घोषणा, संशोधन, पुनर्निर्धारण की तिथि

कानून का अधिनियमन, निरसन या कानून में परिवर्तन, या

((ii) सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण या भारतीय सरकारी लिखत के आदेश/निर्णय की तारीख, यदि परिवर्तन कानून में कानून की व्याख्या में बदलाव के कारण है।

6. चरण 2 बिजली खरीद समझौतों में, जैसा कि पहले कहा गया है, नियम और शर्तें लगभग हरियाणा राज्य बिजली वितरण निगम के समान हैं।

लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

समझौतों का पहला सेट। के दूसरे समूह के प्रासंगिक प्रावधान

विचार (चरण 2) इस प्रकार हैं:

" अनुच्छेद 1: परिभाषाएँ और व्याख्याएँ

कानून में परिवर्तन-इसका वही अर्थ होगा जो इसमें दिया गया है

अनुच्छेद 10.1। 1 इस समझौते से।

भारतीय सरकारी साधन-का अर्थ होगा -

भारत सरकार, राज्य सरकारें (ओं)

महाराष्ट्र, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मंत्रालय, विभाग, बोर्ड, प्राधिकरण, एजेंसी, निगम, आयोग

भारत सरकार या उपरोक्त राज्य सरकारों में से किसी का या दोनों का नियंत्रण, भारत में किसी भी न्यायालय या उपयुक्त आयोग या न्यायाधिकरण या न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निकाय सहित उनमें से किसी का भी राजनीतिक उप-विभाजन, लेकिन विक्रेता और खरीददार को छोड़कर।

विलंबित भुगतान अधिभार-इसका अर्थ निर्धारित होगा

अनुच्छेद 8.3 में। 5 इस समझौते से।

कानून का अर्थ होगा इस समझौते के संबंध में, सभी कानून

भारत में लागू विद्युत कानून और कोई भी क़ानून, अध्यादेश, विनियमन, अधिसूचना या संहिता, नियम या भारतीय सरकारी साधन द्वारा उनमें से किसी की कोई व्याख्या और कानून का बल रखने वाले और बिना किसी सीमा के सभी लागू नियमों, विनियमों को शामिल करेंगे।

भारतीय सरकार द्वारा आदेश, अधिसूचनाएँ

उनमें से किसी के अनुसार या उसके तहत साधन और इसमें बिना किसी सीमा के उपयुक्त आयोग के सभी नियम, विनियम, निर्णय और आदेश शामिल होंगे। एस. बी. ए. आर.-इसका अर्थ होगा प्रति वर्ष प्रमुख ऋण दर।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित एक (1) वर्ष की परिपक्वता वाले ऋणों के लिए लागू। ऐसी दर के अभाव में, एस. बी. ए. आर. का अर्थ कोई अन्य व्यवस्था होगी जो ऐसी प्रमुख ऋण दर को प्रतिस्थापित करती है जिस पर पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की गई हो। अनुच्छेद 8: बिलिंग और भुगतान [2021] 5 एस. सी. आर.

8.3. 5 खरीदार द्वारा देय तिथि के बाद मासिक बिल के भुगतान में देरी की स्थिति में, विलंबित भुगतान अधिभार लगेगा।

विलंब की प्रत्येक तिथि के लिए दिन-प्रतिदिन के आधार पर (और मासिक विश्राम के साथ चक्रवृद्धि) गणना की गई बकाया भुगतान की राशि पर, ऐसे खरीददार द्वारा विक्रेता को प्रति वर्ष लागू एस. बी. ए. आर. से दो (2) प्रतिशत अधिक की दर से देय होगा। विलम्बित भुगतान अधिभार का दावा विक्रेता द्वारा पूरक बिल के माध्यम से किया जाएगा।

अनुच्छेद 10: कानून में बदलाव

10.1 परिभाषाएँ

इस अनुच्छेद 10 में निम्नलिखित शब्द हैं -

अर्थ

10.1. 1 . " कानून में परिवर्तन का अर्थ है इनमें से किसी की घटना।

तारीख के बाद की घटनाएँ, जो बोली की समय सीमा से सात (7) दिन पहले की हैं, जिसके परिणामस्वरूप कोई अतिरिक्त आवर्ती /

विक्रेता द्वारा गैर-आवर्ती व्यय या किसी भी आय

विक्रेताः

* भारत में ऐसी विधि के अनुसरण में बनाए गए नियमों और विनियमों सहित किसी भी विधि का अधिनियमन, प्रभाव में आना, अपनाना, उद्घोषणा, संशोधन, संशोधन या निरसन (पुनः अधिनियमन या समेकन के बिना); * कानूनी शक्ति रखने वाले किसी भी भारतीय सरकारी साधन द्वारा किसी भी कानून की व्याख्या या अनुप्रयोग में परिवर्तन

ऐसी विधि या किसी सक्षम न्यायालय की व्याख्या करना या उसे लागू करना।

* किसी भी सहमति, मंजूरी और परमिट को प्राप्त करने की आवश्यकता को लागू करना जिसकी पहले आवश्यकता नहीं थी; * किसी भी सहमति, मंजूरी और परमिट प्राप्त करने के लिए निर्धारित शर्तों के नियमों में परिवर्तन या ऐसी सहमति, मंजूरी और परमिट प्राप्त करने के लिए किसी भी नए नियम या शर्तों को शामिल करना;

विक्रेताः

हरियाणा राज्य विद्युत वितरण निगम। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

* इस समझौते की शर्तों के अनुसार विक्रेता द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए लागू किए गए कर में कोई बदलाव या किसी भी कर की शुरुआत, लेकिन इसमें (i) विक्रेता को वितरित आय या लाभांश पर किसी भी रोक कर में कोई बदलाव शामिल नहीं होगा।

विक्रेता के शेयरधारक, या (ii) यूआई के संबंध में परिवर्तन

उपयुक्त आयोग द्वारा प्रभार या आवृत्ति अंतराल या (iii) उपलब्धता की गणना सहित उपयुक्त आयोग द्वारा विनियामक उपायों के कारण कोई परिवर्तन।

10.2 . कानून में परिवर्तन के प्रभाव की गणना के लिए अनुप्रयोग और सिद्धांत

10.2. 1 . इस अनुच्छेद 10 के तहत कानून में परिवर्तन के परिणाम का निर्धारण करते समय, पक्षों को इस सिद्धांत का पूरा ध्यान रखना होगा कि कानून में इस तरह के परिवर्तन से प्रभावित पक्ष को क्षतिपूर्ति करने का उद्देश्य मासिक शुल्क भुगतान के माध्यम से इस अनुच्छेद 10 में अनुध्यात सीमा तक बहाल करना है।

प्रभावित पक्ष उसी आर्थिक स्थिति में है जैसे कि कानून में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है।

10.3 कानून में बदलाव के लिए राहत 10.3. 2 संचालन अवधि के दौरान

राजस्व में किसी भी कमी या खर्च में वृद्धि के लिए विक्रेता को मुआवजा केवल तभी देय होगा जब राजस्व में कमी आई हो।

विक्रेता का राजस्व या व्यय में वृद्धि इससे अधिक है

संबंधित अनुबंध वर्ष के लिए कुल मिलाकर ऋण पत्र के मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर राशि।

10.4 कानून में परिवर्तन की अधिसूचनाः

10.4. 1 . यदि विक्रेता अनुच्छेद 10.1 के अनुसार कानून में परिवर्तन से प्रभावित होता है और विक्रेता इस अनुच्छेद 10 के तहत कानून में परिवर्तन का दावा करना चाहता है, तो वह इसके बारे में जागरूक होने के बाद जितनी जल्दी हो सके कानून में इस तरह के परिवर्तन के बारे में खरीदार को नोटिस देगा या उसे कानून में परिवर्तन के बारे में यथोचित रूप से पता होना चाहिए।

10.4. 2 अनुच्छेद 10.4 के बावजूद। 1 , विक्रेता इस अनुच्छेद के तहत खरीददार को नोटिस देने के लिए बाध्य होगा।

10.4. 2 , भले ही यह कानून में परिवर्तन से लाभकारी रूप से प्रभावित हो। भौतिकता या अन्य सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के कारक के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

21] 5 एस सी आर।

इस समझौते में निहित प्रावधान, सूचित करने का दायित्व

इसमें निहित खरीददार सामग्री होगी। बशर्ते कि यदि विक्रेता ने ऐसी सूचना नहीं दी है, तो खरीददार को ऐसी सूचना जारी करने का अधिकार होगा

विक्रेता।

10.4. 3 . इस अनुच्छेद 10.4 के अनुसार दी गई कोई भी सूचना। 2 करेंगे।

अन्य बातों के अलावा, सटीक विवरण प्रदान करें:

(क) कानून में परिवर्तन; और

ख) विक्रेता पर प्रभाव।

10.5 . परिवर्तन के कारण शुल्क समायोजन भुगतान

कानून

10.5. 1 . अनुच्छेद 10.2 के अधीन, मासिक शुल्क में समायोजन

भुगतान निम्नलिखित से प्रभावी होगा:

((i) स्वीकार करने, उद्घोषणा, संशोधन, पुनर्निर्धारण की तिथि

कानून का अधिनियमन, निरसन या कानून में परिवर्तन, या

((ख) सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण या भारतीय सरकारी लिखत के आदेश/निर्णय की तिथि, यदि विधि में परिवर्तन विधि की व्याख्या में परिवर्तन के कारण है।

10.5. 2 . कानून में परिवर्तन के लिए भुगतान अनुच्छेद 8.8 में उल्लिखित पूरक विधेयक के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि, इस समझौते के अनुसार निर्धारित कानून में बदलाव के कारण शुल्क में किसी भी बदलाव के मामले में, मासिक

शुल्क में इस तरह के बदलाव के बाद विक्रेता द्वारा उठाया जाने वाला चालान

परिवर्तित शुल्क को उचित रूप से प्रतिबिंबित करेगा।

7. ऋण दरों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, यानी ऋणों और अग्रिमों पर बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरों में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग की शुरुआत की थी

2003 में दर (बी. पी. एल. आर.) प्रणाली।

8. 1 जुलाई 2010 की एक अधिसूचना द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने बी. पी. एल. आर. प्रणाली की जगह आधार दर प्रणाली की शुरुआत की।

तत्काल प्रभाव। दिनांकित 01.07.2010 अधिसूचना के प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिए गए हैं:

" 2.2. 1 आधार दर प्रणाली, जैसा कि नीचे और अनुलग्नक 1 में विस्तृत है, 1 जुलाई, 2010 से बी. पी. एल. आर. प्रणाली का स्थान लेगी।

हरियाणा राज्य विद्युत वितरण निगम। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

30 जून, 2010 तक स्वीकृत ऋणों के लिए बी. पी. एल. आर.

लागू होता है, जैसा कि अनुलग्नक 3 और 4 में दिया गया है। लेकिन उन लोगों के लिए

30 जून, 2010 तक स्वीकृत ऋण

1 जुलाई, 2010 से आधार दर का नवीनीकरण किया जाएगा।

लागू होता है।

2.3. 6 . आधार दर प्रणाली सभी नए लोगों के लिए लागू होगी।

ऋण और उन पुराने ऋणों के लिए जो नवीनीकरण के लिए आते हैं। बी. पी. एल. आर. प्रणाली पर आधारित मौजूदा ऋण अपनी परिपक्वता तक चल सकते हैं। में।

यदि मौजूदा उधारकर्ता मौजूदा अनुबंधों की समाप्ति से पहले नई प्रणाली में जाना चाहते हैं, तो उन्हें पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर एक विकल्प दिया जा सकता है। हालांकि, बैंकों को शुल्क नहीं लेना चाहिए। इस तरह के स्विच-ओवर के लिए कोई शुल्क।

2.3. 7 बी. पी. एल. आर. प्रणाली के तहत ब्याज दरें लागू होती हैं -

30 जून, 2010 तक स्वीकृत सभी मौजूदा ऋण। हालांकि, जहां भी 30 जून, 2010 तक स्वीकृत ऋण उपलब्ध हैं। 1 जुलाई, 2010 से आधार दर प्रणाली लागू होगी। बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (बी. पी. एल. आर.) और स्प्रेड्स पर दिशा-निर्देश और 30 जून, 2010 तक स्वीकृत मौजूदा ऋणों के लिए इसका निर्धारण अनुलग्नक 3 में दिया गया है और

अनुलग्नक 4 "। (जोर दिया गया)

9. बाद में 3 मार्च 2016 की एक और अधिसूचना द्वारा, भारतीय रिजर्व ने निधि आधारित ऋण की सीमांत लागत की शुरुआत की।

(एम. सी. एल. आर.) 1 2016 से आधार दर प्रणाली की जगह ले रहा है। 03.03.2016 दिनांकित अधिसूचना में कहा गया हैः

आधार दर के संदर्भ में जो आंतरिक होगी ऐसे उद्देश्यों के लिए मानक।

6 (ख) (i) सभी अस्थायी दर वाले रुपया ऋण स्वीकृत और नवीनीकृत किए गए।

1 अप्रैल, 2016 से इसकी कीमत निधि की सीमांत लागत आधारित ऋण दर (एम. सी. एल. आर.) के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी, जो इस तरह के उद्देश्यों के लिए आंतरिक मानदंड होगा, बशर्ते कि -

इस मुख्य निर्देश के अनुच्छेद 7 में निहित प्रावधान। (जोर दिया गया)

21] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि देर से भुगतान करने की बाध्यता

अपीलार्थी पर बिजली उत्पादक कंपनियों द्वारा उठाए गए बिलों के भुगतान में देरी के मामले में अधिभार (एल. पी. एस.) बिजली खरीद से उत्पन्न होता है।

समझौतों, प्रासंगिक खंड अनुच्छेद 11.3 हैं। 4 चरण 1 बिजली खरीद समझौतों और अनुच्छेद 8.3। 5 चरण 2 बिजली खरीद समझौते। 11. एल. पी. एस. का भुगतान बिजली खरीद समझौतों के लिए पक्षों द्वारा सहमत दर पर किया जाता है। बिजली खरीद समझौते

यह निर्धारित करें कि बिलों के भुगतान में देरी के लिए एल. पी. एस. की गणना एस. बी. ए. आर. के अनुसार निर्धारित प्रधान ऋण दर, यानी स्टेट बैंक अग्रिम दर के आधार पर की जानी है।

12. एस. बी. ए. आर. (स्टेट बैंक एडवांस रेट) शब्द का अर्थ है -

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अधिसूचित प्रधान ऋण दर (इसके बाद)

समय-समय पर 'एस. बी. आई.' के रूप में संदर्भित), जो एस. बी. आई. द्वारा दिए गए एक वर्ष की परिपक्वता वाले ऋणों के लिए प्रति वर्ष लागू होता है। एस. बी. ए. आर. की अनुपस्थिति में ही एल. पी. एस. की दर को किसी अन्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

समझौता, आपसी समझौते द्वारा।

13. 23.09.2016 पर, अपीलार्थी ने बिजली उत्पादन सहित स्वतंत्र बिजली उत्पादकों को 'कानून में बदलाव' का नोटिस जारी किया

कंपनियों को उत्तरदाता Nos.2 से 5 के रूप में शामिल किया गया।

14. 02.12.2016 पर, अपीलार्थी ने एम. ई. आर. सी. के समक्ष 2017 का मामला No.24 दायर किया जिसमें दावा किया गया कि आधार दर और एम. सी. एल. आर. की शुरुआत की गई है।

कानून में परिवर्तन के रूप में योग्य है। 2017 का मामला No.24 खारिज कर दिया गया है विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 के तहत इस अपील में आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा 2018 की अपील में ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पुष्टि की गई है।

15. अपीलार्थी की ओर से श्री विकास सिंह ने प्रस्तुत किया कि यह अपील कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाती हैः

(अ)

क्या विलंबित भुगतान अधिभार (एल. पी. एस.) निर्धारित किया जा सकता है

प्रधान ऋण दर (पी. एल. आर.) पद्धति के आधार पर,

विशेष रूप से जबः

भारतीय रिजर्व बैंक ने पी. एल. आर. को बंद कर दिया

((i)

कार्यप्रणाली और महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम द्वारा अपनी अधिसूचना दिनांक 01.07.2010 और निधि-आधारित ऋण दर प्रणाली (एमसीएलआर) की सीमांत लागत द्वारा आधार दर प्रणाली में स्थानांतरित किया गया।

लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

अधिसूचना दिनांक 03.03.2016 के लिए कार्यप्रणाली के रूप में ब्याज दर की गणना?

क्या स्टेट बैंक अग्रिम दर (एस. बी. ए. आर.) के रूप में होनी चाहिए

((ख)

बिजली खरीद समझौते में परिभाषित केवल पी. एल. आर. के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, भले ही एस. बी. ए. आर. एक साल की परिपक्वता (यानी अल्पकालिक ऋण) वाले ऋणों के लिए हो, न कि दीर्घकालिक ऋणों के लिए?

क्या अधिसूचनाएँ दिनांकित 01.07.2010 और 03.03.2016 हैं

(ख)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया एक परिवर्तन की घटना है अपीलार्थी द्वारा निष्पादित शक्ति खरीद समझौतों के दो सेटों के अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 10 के संदर्भ में कानून में

बिजली उत्पादकों के साथ?

क्या एल. पी. एस., जो निश्चित रूप से प्रतिपूरक प्रकृति का है,

((ग)

क्या कानूनी रूप से प्रत्यर्थियों को वास्तविक नुकसान (पी. एल. आर. + 2 प्रतिशत की दर से निर्धारित एल. पी. एस. के बराबर) के किसी भी साक्ष्य के बिना प्रदान किया जा सकता है, विशेष रूप से जब बिजली उत्पादक आधार दर या एम. सी. एल. आर. के आधार पर बहुत कम ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा रहे हों?
क्या एल. पी. एस., जो मान लीजिए कि प्रतिपूरक प्रकृति का है,

((घ)

कानून में इस तरह से सम्मानित किया जा सकता है कि इसके परिणामस्वरूप बिजली उत्पादकों का अन्यायपूर्ण संवर्धन हो, विशेष रूप से जब से

ब्याज का भुगतान मासिक चक्रवृद्धि द्वारा किया जाना है?

16. श्री सिंह ने तर्क दिया कि उपरोक्त में से कोई भी सवाल कानून का नहीं है।

एल. पी. एस. के संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। कानून के ये सभी प्रश्न अपीलार्थी और बिजली पैदा करने वाली कंपनियों के बीच विवाद की जड़ तक जाते हैं और पक्षों के बीच समझौते के परिणाम पर सीधा असर डालते हैं। यदि कानून के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से किसी का भी किसी

भी तरह से निर्णय लिया जाता है, तो यह न केवल बिजली खरीद समझौतों की पूरी अवधि के दौरान पक्षों के बीच अंतर-अधिकारों का निर्धारण करेगा, बल्कि इसका व्यापक प्रभाव पूरे बिजली क्षेत्र पर भी पड़ेगा।

17. उनके इस तर्क के समर्थन में कि इस अपील में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, जो धारा 125 के चार कोनों के भीतर है। विद्युत अधिनियम, 2003 श्री सिंह ने भारतीय स्टेट बैंक और अन्य का हवाला दिया। वी.

एस. एन. गोयल ', जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

1 (2008) 8 एससीसी 92 [2021] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 13. दूसरी अपील उन मामलों में होगी जिनमें कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। "कानून के प्रश्न" के लिए उपसर्ग शब्द "सारवान" मामले में शामिल दांव को संदर्भित नहीं करता है, न ही केवल सामान्य महत्व के कानून के प्रश्नों को संदर्भित करने का इरादा रखता है, बल्कि पार्टियों के बीच सूची में निर्णय पर कानून के प्रश्न के प्रभाव या प्रभाव को संदर्भित करता है। कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अर्थ न केवल सामान्य महत्व के कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बल्कि महत्वपूर्ण भी हैं। पक्षकारों के बीच किसी मामले में उत्पन्न होने वाले कानून का प्रश्न। धारा 100 सी. पी. सी. के संदर्भ में, कानून का कोई भी प्रश्न जो किसी मामले में अंतिम निर्णय को प्रभावित करता है, पक्षकारों के बीच कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कानून का एक प्रश्न जो संयोग से या संपार्श्विक रूप से उत्पन्न होता है, जिसका अंतिम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है

परिणाम, कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल नहीं होगा। जहां इस न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा कानून के किसी प्रश्न पर स्पष्ट और तय किया गया स्पष्टीकरण है, यह नहीं कहा जा सकता है कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। यह कहा जाता है कि कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल तब उत्पन्न होता है जब कानून का सवाल,

जो इस न्यायालय द्वारा (या जहां तक राज्य का संबंध है, संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा) अंततः तय नहीं किया जाता है, के लिए उत्पन्न होता है

मामले में विचार करें। लेकिन यह कथन होना चाहिए

सही परिप्रेक्ष्य में समझें। जहां कानून का स्पष्ट प्रतिपादन है और निचली अदालत ने कानून के इस तरह के स्पष्ट प्रतिपादन का पालन किया है या सही ढंग से लागू किया है, जाहिर है कि मामले को कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म देने के रूप में नहीं माना जाएगा, भले ही कानून का प्रश्न सामान्य महत्व का हो। दूसरी ओर, यदि इस न्यायालय (या संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा) द्वारा कानून का स्पष्ट प्रतिपादन किया जाता है, लेकिन निचली अदालत ने इसे नजरअंदाज या गलत व्याख्या या गलत तरीके से लागू किया था, और इस न्यायालय (या संबंधित उच्च न्यायालय) द्वारा घोषित या प्रतिपादित कानून के सही अनुप्रयोग से एक अलग निर्णय होता, तो अपील में पक्षों के बीच कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होता। यहां तक कि जहां इस न्यायालय (या संबंधित उच्च न्यायालय) द्वारा कानून का उच्चारण किया गया है और निचली अदालत द्वारा इसका पालन किया गया है, यदि अपीलार्थी उच्च न्यायालय को यह समझाने में सक्षम है कि - वर्णित कानूनी स्थिति के लिए पुनर्विचार, परिवर्तन, संशोधन या स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है या यह कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण आयोग को हल करने की आवश्यकता है।

लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

कि विचार के लिए कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है। इसलिए, इस बारे में एक सीधी परिभाषा नहीं हो सकती है कि किसी मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न कब उत्पन्न होता है। वैसा ही रहे।

हो सकता है "। (जोर दिया गया)

18. श्री सिंह ने नजीर मोहम्मद बनाम का भी हवाला दिया। जे. कमला और अन्य 2, हममें से एक (इंदिरा बनर्जी, जे) द्वारा लिखित, जहाँ इस न्यायालय ने दोहराया किः

" 32. "सारवान" होने के लिए, कानून का प्रश्न बहस योग्य होना चाहिए, जो पहले देश के कानून या किसी भी बाध्यकारी द्वारा तय नहीं किया गया हो।

पूर्ववर्ती, और मामले के निर्णय और/या इसके समक्ष पक्षों के अधिकारों पर एक सामग्री होनी चाहिए, अगर किसी भी तरह से जवाब दिया जाए। (जोर दिया गया)

19. श्री सिंह ने कहा कि बिजली खरीद समझौतों के तहत एल. पी. एस. की गणना मौजूदा आधार दर/एम. सी. एल. आर. दरों पर की जानी चाहिए। जैसा कि समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। श्री सिंह ने तर्क दिया कि बिजली खरीद समझौते में एसबीएआर की परिभाषा के अनुसार एसबीएआर का अर्थ है

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित एक (1) वर्ष की परिपक्वता वाले ऋणों के लिए लागू होने वाली प्रति वर्ष प्रधान ऋण दर और ऐसी दर के अभाव में ऐसी कोई अन्य व्यवस्था जो ऐसी प्रधान ऋण दर को प्रतिस्थापित करती है, जैसा कि पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की गई हो।

20. श्री सिंह ने तर्क दिया कि बिजली खरीद समझौतों के तहत प्रदान की गई एस. बी. ए. आर. की परिभाषा स्पष्ट रूप से उस ब्याज दर को संदर्भित करती है जो एक वर्ष की परिपक्वता वाले ऋणों के लिए लागू होती है। इसलिए ब्याज दर का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण किया जाना है, और इसके अलावा, बिजली के तहत एल. पी. एस. पर केवल अल्पकालिक ऋणों के लिए ब्याज दरें लागू होंगी।

खरीद समझौते। ऋण के नवीनीकरण पर, आधार दर प्रणाली और/या एमसीएलआर प्रणाली, जैसा भी मामला हो, उस प्रासंगिक अवधि के लिए लागू होनी है, जिसके लिए एलपीएस की गणना की जानी है। 21. श्री सिंह ने कहा कि एस. बी. आई. द्वारा अल्पकालिक ऋणों के लिए पी. एल. आर. दरों को अधिसूचित नहीं किया जा रहा है। आधार दर प्रणाली और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एम. सी. एल. आर. दरों की अधिसूचना के बाद एस. बी. आई. द्वारा जारी पी. एल. आर. दरें केवल उन दीर्घकालिक ऋणों के लिए हैं जो नवीनीकरण के लिए नहीं आए हैं, और उन ऋणों के लिए हैं जो परिपक्वता तक चल रहे हैं। ऋण के मामले में भी आधार दर/एमसीएलआर प्रणाली पर स्विच करने का विकल्प है।

21] 5 एस सी आर।

22. श्री सिंह ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अन्य में प्रस्तुत किया। वी. अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड और ए. एन. आर. 3. , इस न्यायालय ने एल. पी. एस. पर ब्याज दर को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की सीमा तक सीमित कर दिया है, जिसमें लागू ब्याज दर से 2 प्रतिशत अधिक शामिल है। इसके अलावा, इस न्यायालय ने निर्देश दिया है कि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जानी चाहिए न कि मासिक रूप से जैसा कि खंड में प्रावधान किया गया है। श्री सिंह द्वारा उद्धृत उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 71. इस मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आरईआरसी और एपीटीईएल ने समवर्ती निष्कर्ष दिए हैं

कानून में परिवर्तन के संबंध में प्रत्यर्थी का पक्ष, जिससे हम भी सहमत हैं, अब हम विलंब भुगतान अधिभार के संबंध में अपीलार्थियों-राजस्थान डिस्कॉम के दायित्व के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। इस संबंध में, निम्नलिखित अनुच्छेद 8.3। 5 और पी. पी. ए. का 8.8, जो वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं,

इन्हें नीचे निकाला गया हैः

" 8.3. 5 . मासिक बिल के भुगतान में देरी की स्थिति में

खरीददारों द्वारा अपनी नियत तिथि के बाद, विलंब के प्रत्येक दिन के लिए, बकाया भुगतान की राशि, जिसकी गणना दैनिक आधार पर (और मासिक विश्राम के साथ चक्रवृद्धि) की जाती है, पर ऐसे खरीददारों द्वारा विक्रेता को लागू एस. बी. ए. आर. प्रति वर्ष से दो प्रतिशत (2 प्रतिशत) अधिक की दर से विलंब भुगतान अधिभार देय होगा। विक्रेता द्वारा विलंबित भुगतान अधिभार का दावा किया जाएगा पूरक विधेयक।

72. विलंबित भुगतान अधिभार की देयता जो अपीलार्थियों पर लगाई गई है, बकाया भुगतान की राशि पर लागू एस. बी. ए. आर. प्रति वर्ष से 2 प्रतिशत अधिक की दर से है, जिसकी गणना विलंब के प्रत्येक दिन के लिए दैनिक आधार पर (और मासिक विश्राम के साथ चक्रवृद्धि) की जाती है। इसलिए, विलंबित भुगतान अधिभार के भुगतान की भारी देनदारी होगी

अपीलार्थियों पर-राजस्थान डिस्कॉम।

73. ब्याज/विलंबित भुगतान के संबंध में

अधिभार, हम देखते हैं कि कानून में बदलाव की याचिका शुरू में वर्ष 2013 में ए. पी. आर. एल. द्वारा उठाई गई थी। ए. पी. आर. एल. द्वारा वर्ष 2013 में ही इस आधार पर अपना दावा करते हुए एक मामला भी दायर किया गया था। हालांकि, अपीलकर्ताओं-राजस्थान डिस्कॉम ने ऐसा नहीं किया

32020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 697 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

कानून में परिवर्तन के संबंध में दावे की अनुमति दें, जिसके कारण ए. पी. आर. एल. बिलों को उठाने से वंचित था

वर्ष 2013 में कानून में परिवर्तन की तिथि। इस प्रकार, हमारी राय है कि इस मामले के तथ्यों की समग्रता पर विचार करते हुए और पूर्ण न्याय करने और अपीलकर्ताओं-राजस्थान डिस्कॉम के दायित्व को कम करने के लिए, मासिक विश्राम के साथ प्रति वर्ष लागू एस. बी. ए. आर. से 2 प्रतिशत अधिक का भुगतान अधिक होगा। हमारी राय में, अपीलकर्ताओं-राजस्थान डिस्कॉम को संबंधित वर्षों के लिए लागू एस. बी. ए. आर. के अनुसार ब्याज/विलंब भुगतान अधिभार का भुगतान करने का निर्देश देना उचित होगा, जो प्रति वर्ष 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह भी प्रावधान किया गया है कि मासिक विश्राम के बजाय ब्याज प्रति वर्ष चक्रवृद्धि किया जाएगा।

74. हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि ब्याज/विलंबित भुगतान अधिभार की दर एस. बी. ए. आर. पर होगी, जो वार्षिक रूप से 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और 2 प्रतिशत से अधिक होगी।

एस. बी. ए. आर. (जैसा कि पी. पी. ए. के अनुच्छेद 8.3.5 में दिया गया है) नहीं होगा

वर्तमान मामले में आरोपित।

एल. पी. एस. के संबंध में संबंधित प्रावधानों के साथ समान सामग्री है। इस मामले में विचाराधीन बिजली खरीद समझौतों में। इस प्रकार, उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले को पूरी तरह से शामिल करता है।

24. श्री सिंह ने तर्क दिया कि बिजली खरीद समझौतों के अनुच्छेद 1 के संदर्भ में, "कानून का अर्थ बिजली कानूनों सहित सभी कानून हैं।

भारत में लागू और कोई क़ानून, अध्यादेश, विनियमन, अधिसूचना या संहिता, नियम, या उनमें से किसी की कोई व्याख्या किसी भारतीय द्वारा

सरकारी साधन और कानून का बल रखने वाला और

इसके अलावा सभी लागू नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं को एक भारतीय सरकारी साधन द्वारा या उसके तहत शामिल किया गया है।

उनमें से कोई भी और सभी नियम शामिल होंगे, "कानून में परिवर्तन को अधिनियम को शामिल करने, प्रभाव में लाने, अपनाने के लिए परिभाषित किया गया है,

किसी भी कानून की घोषणा, संशोधन, संशोधन या निरसन।

25. श्री सिंह ने आगे तर्क दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार का एक साधन है। ऊपर उल्लिखित अधिसूचनाएँ,

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 ए के तहत जारी किए गए थे और उनके पास कानून का बल है।

इस

प्रकार, ये [2021] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिसूचनाएँ बिजली खरीद समझौतों में प्रदान की गई कानून की परिभाषा के भीतर हैं।

26. श्री सिंह ने दृढ़ता से तर्क दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक

प्रत्यर्थी संख्या के साथ बिजली खरीद समझौतों के निष्पादन के बाद जारी की गई अधिसूचनाएं 01.07.2010 और 03.03.2016। 2 5 ने कानून में परिवर्तन का गठन किया, जैसा कि बिजली खरीद समझौतों में विचार किया गया है।

27. श्री सिंह ने कहा कि ए. पी. टी. ई. एल. गलती से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि एल. पी. एस. शुल्क नहीं है और आय का हिस्सा भी नहीं है। प्रत्यर्थी शक्ति उत्पन्न करने वाली कंपनियाँ और इस प्रकार कानून में परिवर्तन का गठन नहीं करती हैं। श्री सिंह ने कहा कि बिजली के उत्पादक को बिजली के खरीदार द्वारा किया गया कोई भी भुगतान बिजली खरीद समझौते के तहत देय शुल्क का एक पहलू है। 'शुल्क' शब्द को शुल्क के केवल दो पहलुओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता है, अर्थात, प्रति इकाई ऊर्जा शुल्क और उत्पादन क्षमता (क्षमता शुल्क) के आधार पर निश्चित ऊर्जा शुल्क। एल. पी. एस. सहित बिजली खरीद समझौतों के तहत बिजली की आपूर्ति के लिए बिजली उत्पादक को देय सभी भुगतान शुल्क के विभिन्न पहलू हैं। शुल्क में यह भी शामिल होगा कि वितरण लाइसेंसधारी अंततः उपभोक्ताओं से क्या शुल्क लेंगे।

अपने विवादित निर्णय और आदेश द्वारा गलत तरीके से अभिनिर्धारित किया गया है कि एल. पी. एस. का न तो प्रत्यर्थी बिजली उत्पादक कंपनियों की आय पर कोई प्रभाव पड़ता है और न ही यह शुल्क का हिस्सा है। ए. पी. टी. ई. एल. ने गलती से कहा है कि ब्याज दर की गणना में कार्यप्रणाली में परिवर्तन कानून में परिवर्तन नहीं है।

30. श्री सिंह ने आगे तर्क दिया कि एल. पी. एस. एक अवधारणा के रूप में है

विलंबित भुगतान, यदि कोई हो, के लिए प्रकृति में प्रतिपूरक।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण आयोग का आदेश। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

16.11.2017 एम. ई. आर. सी. द्वारा 2017 के मामले No.24 में पारित यह भी माना गया है कि एल. पी. एस. अनिवार्य रूप से प्रतिपूरक है, जो खरीदार द्वारा भुगतान करने में देरी के कारण विक्रेता पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में है।

भुगतान।

31. श्री सिंह ने आगे तर्क दिया कि एल. पी. एस. का भुगतान चालान के भुगतान में देरी के लिए बिजली उत्पादक को क्षतिपूर्ति करने के लिए किया जाता है, क्योंकि बिजली उत्पादक को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी ऋण की व्यवस्था करनी होगी।

बकाया विलंबित चालानों की राशि की सीमा तक। इस प्रकार, ऐसे अतिरिक्त कार्यशील पूंजी ऋण पर अतिरिक्त ब्याज के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए, बिजली खरीद समझौतों में एल. पी. एस. के लिए एक प्रावधान है। यह तथ्य कि एल. पी. एस. को मासिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाना है, बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए एक और लाभ है। इस प्रकार, एल. पी. एस. सार में और कुछ नहीं बल्कि चालान (ओं) के भुगतान में देरी के लिए एक प्रकार का परिसमापन नुकसान है।

32. श्री सिंह ने जोर देकर तर्क दिया कि एल. पी. एस. प्रतिपूरक है

प्रकृति में, इसे अप्रत्याशित लाभ के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। कार्यशील पूंजी ऋणों का लाभ उठाने के लिए प्रचलित ब्याज दरों के साथ प्रत्यर्थियों द्वारा दावा की गई एल. पी. एस. दर के तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलेगा कि प्रत्यर्थी बिजली उत्पादन कंपनियां मुआवजे और/या नुकसान की अवधारणा के विपरीत, अपीलार्थी की कीमत पर एल. पी. एस. से लाभ कमा रही थीं। 33. श्री सिंह ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय है कि कोई भी मुआवजा देते समय कानून किसी भी अप्रत्याशित लाभ की अनुमति नहीं देता है। इस संदर्भ में श्री सिंह ने मेसर्स कैलाश नाथ एसोसिएट्स बनाम का हवाला दिया। दिल्ली विकास

प्राधिकरण और Anr.4 जहाँ इस अदालत ने अभिनिर्धारित कियाः

" 43. ..... उपरोक्त प्राधिकारियों के निरीक्षण पर, धारा 74 के तहत अनुबंध के उल्लंघन के लिए मुआवजे पर कानून कर सकता है

निम्नलिखित के रूप में कहा जाए:

43.1 . जहाँ किसी अनुबंध में किसी राशि को परिसमापन के रूप में नामित किया जाता है।

हर्जाने के रूप में देय राशि, उल्लंघन की शिकायत करने वाला पक्ष उचित मुआवजे के रूप में ऐसी परिसमापन राशि केवल तभी प्राप्त कर सकता है जब यह दोनों पक्षों द्वारा निर्धारित हर्जाने का वास्तविक पूर्व-अनुमान हो और न्यायालय द्वारा ऐसा पाया जाए। अन्य मामलों में, जहां किसी अनुबंध में किसी राशि को नुकसान के रूप में देय परिसमापन राशि के रूप में नामित किया गया है, केवल

उचित क्षतिपूर्ति दी जा सकती है जो इससे अधिक न हो

इस प्रकार बताई गई राशि। इसी तरह, उन मामलों में जहां निर्धारित राशि जुर्माने की प्रकृति में है, केवल उचित मुआवजा दिया जा सकता है जो इस प्रकार बताए गए जुर्माने से अधिक न हो। दोनों ही मामलों में, परिसमापन राशि या जुर्माना अधिकतम सीमा से अधिक है।

जिसे न्यायालय उचित मुआवजा नहीं दे सकता।

43.2 . उचित क्षतिपूर्ति उन सर्वविदित सिद्धांतों पर तय की जाएगी जो अनुबंध के कानून पर लागू होते हैं, जो अनुबंध अधिनियम की धारा 73 में अन्य बातों के साथ पाए जाते हैं। 43.3 . चूंकि धारा 74 के लिए उचित मुआवजा प्रदान करता है

अनुबंध के उल्लंघन, क्षति या हानि के कारण होने वाली क्षति या हानि धारा की प्रयोज्यता के लिए एक अनिवार्य शर्त है। 43.4 . यह धारा लागू होती है कि क्या कोई व्यक्ति एक है

मुक़दमे में वादी या प्रतिवादी। 43.5 . बताई गई राशि का भुगतान पहले से ही किया जा सकता है या भविष्य में देय हो सकता है। 43.6 . "वास्तविक क्षति या हानि इसके कारण हुई है या नहीं" अभिव्यक्ति का अर्थ है कि जहां वास्तविक क्षति या हानि साबित करना संभव है, वहां ऐसा प्रमाण नहीं दिया जाता है। यह केवल उन मामलों में है जहां क्षति या हानि को साबित करना मुश्किल या असंभव है कि अनुबंध में नामित परिसमापन राशि, यदि क्षति या हानि का वास्तविक पूर्व-अनुमान है, तो प्रदान की जा सकती है।

43.7 . धारा 74 बकाया राशि को जब्त करने के मामलों पर लागू होगी।

एक अनुबंध के तहत धन। हालाँकि, ज़ब्ती कहाँ ले जाती है

सार्वजनिक नीलामी के नियमों और शर्तों के तहत स्थान

समझौता होने से पहले, धारा 74 में कोई प्रावधान नहीं होगा

आवेदन।

44. डिवीजन बेंच सैद्धांतिक रूप से गलत हो गई है। जैसाकि

नीलामी अप्रासंगिक है, क्योंकि यह नुकसान के पुरस्कार पर सबसे बुनियादी सिद्धांत के सामने उड़ान भरेगी- अर्थात्, कि क्षतिपूर्ति केवल नुकसान या नुकसान के लिए दी जा सकती है। यदि क्षति या हानि नहीं होती है, तो कानून में इसका प्रावधान नहीं है -

एक अप्रत्याशित गिरावट "(जोर दिया गया)"

34. इस न्यायालय को यह समझाने के लिए कि प्रत्यर्थी एल. पी. एस. से अपने दावे के अनुसार लाभ कमा रहे हैं, श्री सिंह ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन वितरण आयोग पर जोर दिया।

लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

प्रत्यर्थियों द्वारा दावा की गई एल. पी. एस. दरों और एल. पी. एस. की दरों के बीच का अंतर जो अपीलकर्ता ऋणों पर ब्याज दरों (बिजली खरीद समझौतों के संदर्भ में देय अतिरिक्त 2 प्रतिशत को छोड़कर) के आधार पर चाहता है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

वित्तीय औसत पी. एल. आर.

एवेराग

आधार औसत एमसीएलआर (%

में)

(% में) (अपीलार्थी द्वारा मांगी गई दर

(% में) (एल. पी. एस.

वर्ष

दर

द्वारा दावा किया गया

(अप्रैल 2016 से मांगी गई दर) * *

तक अपीलार्थी

उत्तरदाता *

मार्च 2016)

2010-11

12.17

7.55

13.67

2011-12

8.92

1

2012-13

9.73

14.50

|

2013-14

14.48

9.90

14.75

2014-15

9.85

1

2015-16

9.62

14.37

2016-17

14.05

9.0

8

7.98

2017-18

13.83

8.1

5

2018-19

13.43

2019-20

13.70

8.1

5
7.10

2020-21

12.28

35. श्री सिंह ने नीचे दी गई एक मेज पर भी भरोसा किया,

उत्तरदाताओं द्वारा दावा किए गए एल. पी. एस. और एल. पी. एस. के बीच मौद्रिक अंतर यदि आधार दर/एम. सी. एल. आर. पद्धतियों के अनुसार शुल्क लिया जाता हैः

एल. पी. एस. दावों का सारांश

आईपीपी

फाइनल

गणना करें।

राशि @

अतिरिक्त एलपीएस

डीएलपीएस @

द्वारा भुगतान

किया गया एल. पी. एस.

पीएलआर के अनुसार

कुल एलपीएस

द्वारा परिमापित

आधार

जनरेटर

एस्पर पीएलआर

एमएसईडीसी

एल

एम. एस. ई. डी. सी. एल. एम. ई. आर. सी. इन ऑर्डर

दर/एमसी

2017 का मार्च का मामला संख्या 24 तक

दर

एलआरयूपी से

दिनांकित

2021

मार्च

28.07.2021

2021

एस.

ए.

ई.

डी = बी + सी

एफ.

बी.

एपीएमएल

1001.64

आर. आई. पी. एल

2.17

243.95

241.78

191.
54

138.09

जेएसडब्ल्यू

186.22

132.
07

0.96

92.48

185.26

जीएमआर

41.01

0.47

41.48

36.
61

28.88

कुल

1124.
92

1469.69

36. श्री सिंह ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी शक्ति

उत्पादक कंपनियाँ भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार गणना किए गए ब्याज पर अपने कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा रही हैं। अधिसूचनाएँ, लेकिन प्राचीन और बंद पी. एल. आर. पद्धति को लागू करने वाले एल. पी. एस. का दावा कर रहे हैं। हालाँकि, इस तर्क की पुष्टि करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि प्रत्यर्थी बिजली कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की 3 मार्च, 2016 की अधिसूचना के अनुसार गणना किए गए ब्याज पर कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा रही हैं।

37. श्री सिंह ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने विधेयक की मांग की

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान अपीलार्थी से छूट। इस तरह की बिल छूट 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दी जाती थी। उन्होंने बताया कि अन्य बिजली उत्पादकों ने भी अपने ऊर्जा बिलों पर 4 से 6.5 प्रतिशत की ब्याज दरों पर छूट दी थी। हालाँकि, वे बिजली उत्पादक इस अपील के पक्षकार नहीं हैं।

38. श्री सिंह ने स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र को स्वीकार किया

कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड (सी. जी. पी. एल.), जो एक स्वतंत्र बिजली उत्पादक भी है, के लिए अल्पकालिक उधार पर ब्याज की वास्तविक दर की गणना पर। सी. जी. पी. एल. द्वारा 01.04.2018 से 25.01.2021 के बीच अल्पकालिक उधार पर ब्याज की वास्तविक दरें इस प्रकार हैं:

अवधि

ब्याज की दर

(% में)

1 अप्रैल 2018-31 मार्च 2019

9.04 %

अप्रैल 1,2019-31 मार्च, 2020

9.28 %

1 अप्रैल, 2020-25 जनवरी, 2021

8.18 %

सी. जी. पी. एल. इन कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं होने के कारण अपने ऋण या

उनके द्वारा उधार पर दिया गया ब्याज महत्वहीन है।

39. श्री सिंह ने आगे कहा कि अपीलकर्ता एक राजस्व है।

तटस्थ इकाई। अपीलार्थी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता को एम. ई. आर. सी. द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। एम. ई. आर. सी. द्वारा अनुमति नहीं दिए गए व्यय को वार्षिक राजस्व आवश्यकता से बाहर रखा गया है जो है -

एमईआरसी द्वारा अनुमोदित। बिजली खरीद समझौतों के तहत भुगतान में देरी कई बाहरी और अपरिहार्य कारणों से होती है ऐसी परिस्थितियाँ, जो अपीलार्थी के नियंत्रण से बाहर हैं, जिसमें अपीलार्थी के उपभोक्ताओं से देय राशि की विलंबित वसूली भी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप से पहले भी, अपीलार्थी को नकदी प्रवाह में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था।

40. श्री सिंह ने कहा कि अपीलकर्ता गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है

नकदी प्रवाह के मुद्दे, क्योंकि एम. ई. आर. सी. द्वारा अनुमोदित शुल्क वृद्धि आवश्यक शुल्क वृद्धि की तुलना में बहुत कम है। एम. ई. आर. सी. द्वारा अनुमत राजस्व की तुलना में अपीलार्थी द्वारा मांगे गए राजस्व में अंतर से भी यही स्पष्ट है, जिसके आंकड़े इस प्रकार हैं:

द्वारा दावा किया गया

स्

वीकृत।

विशिष्टताएँ

ए

मईआरसी द्वारा

एमएसईडीसीएल

(रु

पये करोड़ में)

(रु. करोड़ में)

एफ. वाई. 15-16 के लिए आवश्यकता को सही करें

5546

50

32

एफ. वाई. 16-17 के लिए आवश्यकता को सही करें

6704

48

97

17-18 के लिए राजस्व अंतर

5420

53

08

237

17670

कुल

41. श्री सिंह ने तर्क दिया कि Rs.2433 करोड़ का राजस्व अंतर है

वित्तीय वर्षों 2015-16,2016 17 और 2017-18 के लिए एम. ई. आर. सी. द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। इसके अलावा, अपीलार्थी ने रुपये के राजस्व अंतर का अनुमान/दावा किया है। 34,646 वित्तीय वर्ष 2019-20 तक करोड़ रुपये (पिछली अवधि के राजस्व अंतर सहित, 2015-16 से वित्त वर्ष 2017-18 तक)। हालांकि, एम. ई. आर. सी. ने कुल राजस्व अंतर निर्धारित किया है। 20,651 केवल 2017 की मध्यावधि समीक्षा याचिका मामले संख्या 195 में पारित अपने आदेश दिनांक 12.09.2018 के माध्यम से करोड़ रुपये। 8,269 टैरिफ में करोड़ों की वसूली की अनुमति दी गई थी। एम. ई. आर. सी. के आदेश के अनुसार शेष राशि Rs.12,382 करोड़ के संबंध में एक "विनियामक परिसंपत्ति" बनाई गई है। हालाँकि, उपरोक्त राशि की वसूली के लिए एम. ई. आर. सी. के आदेश में कोई समयसीमा या शर्तें प्रदान नहीं की गई हैं। इससे अपीलार्थी के लिए गंभीर वित्तीय समस्याएं पैदा हो गई हैं।

42. श्री सिंह ने कहा कि एम. ई. आर. सी. ने विभिन्न प्रकार की अनुमति नहीं दी है।

अपीलार्थी द्वारा मांगी गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता के घटक, जैसे कृषि (ए. जी.) बिक्री। एम. ई. आर. सी. ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वित्तीय वर्षों के लिए कृषि इकाइयों की बिक्री को क्रमशः 2414 और 3399 इकाइयों तक करने की अनुमति नहीं दी है, जिससे अपीलकर्ता को प्रत्येक वर्ष के लिए 2286 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जिससे राजस्व अंतर बढ़ गया है और जब तक एम. ई. आर. सी. राजस्व की अनुमति नहीं देता, तब तक इसे पूरा नहीं किया जा सकता है। 2017 के मामले संख्या 195 (ऊपर) के संदर्भ में अंतर। श्री सिंह ने कुल बिक्री और ए. जी. बिक्री के लिए वर्षवार अनुमोदन का उल्लेख किया है, जो इस अपील के लिए प्रासंगिक नहीं हैं और इसलिए इस निर्णय में पुनः प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, ताकि प्रासंगिकता से बचा जा सके।

43. श्री सिंह ने कहा कि ए. जी. बिक्री के आंकड़ों के बावजूद

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए वास्तविक उपभोग, एम. ई. आर. सी. [2021] 5 एस. सी. आर. पर आधारित थे।

एम. ई. आर. सी. ने स्वचालित रूप से ए. जी. बिक्री की गणना करने के लिए अपनी कार्यप्रणाली तैयार की, जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विवरण/वास्तविक आंकड़ों को ध्यान में नहीं रखती है। इसके कारण ए. जी. बिक्री की मात्रा को अस्वीकार कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा दावा की गई ए. जी. बिक्री के बीच अंतर, अनुमत मात्रा के मुकाबले, नकदी प्रवाह में कमी और भुगतान करने में अपीलार्थी की असमर्थता का कारण बना है। 44. श्री सिंह ने आगे कहा कि 2016 के मामले No.48 में एम. ई. आर. सी. द्वारा पारित टैरिफ आदेश दिनांक 03.11.2016 को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए टैरिफ 01.04.2016 के बजाय 01.11.2016 से लागू हुआ, जिससे वित्तीय वर्ष शुरू होने के 7 महीने बाद भी पुराना टैरिफ प्रभावी बना रहा।

45. श्री सिंह ने प्रस्तुत किया कि स्वीकृत राजस्व आवश्यकता की तुलना में वास्तविक राजस्व में कमी की भरपाई लगभग 2 वर्षों के बाद 2017 के मामले संख्या 195 में एक आदेश द्वारा की गई थी। इसलिए अपीलार्थी को ऋण लेने के लिए विवश किया गया है, जिसके ब्याज घटक को शुल्क घटक के रूप में पारित करने की अनुमति नहीं है।

46 श्री सिंह ने प्रस्तुत किया कि रियायत प्राप्त श्रेणियों (जैसे एच. टी. औद्योगिक और

व्यावसायिक) बहुत कम था। इसके अलावा, शीघ्र भुगतान करने के लिए शुल्क सब्सिडी ने व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर बढ़ा दिया है, इसलिए विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जो अपने बकाया के भुगतान में देरी करते हैं। 47. श्री सिंह ने तर्क दिया कि एम. ई. आर. सी. वास्तविक लाभ और हानि पर विचार करके शुल्क निर्धारित करता है। उन्होंने तर्क दिया कि एम. ई. आर. सी. ने बहु-वर्षीय शुल्क (एम. वाई. टी.) आदेश पारित करते समय अपीलार्थी के लाभ/हानि पर विचार किया, बजाय इसके कि एम. वाई. टी. विनियमों में निर्दिष्ट अपीलार्थी के सही होने के समय उस पर विचार किया जाए, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को राजस्व का नुकसान हुआ।

48. श्री सिंह ने आगे तर्क दिया कि बहु-वर्षीय शुल्क (एम. वाई. टी.) और/या वार्षिक राजस्व निर्धारित करने में प्रस्तुत और अनुमोदित आंकड़े

आवश्यकता (ए. आर. आर.) अनुमान/अनुमान/मानदंडों पर आधारित है, जबकि सत्यनिष्ठा याचिका के समय प्रस्तुत किए गए आँकड़ों की तुलना में, जो लेखापरीक्षित खातों और आंकड़ों पर आधारित है जिन्हें वास्तव में रोक दिया गया है।

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण आयोग का विनियम 11।

लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

49. उदाहरण के रूप में, श्री सिंह ने बताया कि यदि किसी विशेष व्यय को एक निश्चित राशि पर अनुमोदित किया जाता है, लेकिन वास्तविक प्रक्रिया के दौरान, वास्तविक व्यय एम. वाई. टी. आदेश द्वारा अनुमोदित खर्च से अधिक होता है, तो अपीलार्थी अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उधार लेता है, जिसके लिए - ब्याज एम. ई. आर. सी. द्वारा अनुमोदित नहीं है, यदि यह मानक कार्यशील पूंजी को पार करता है। एम. वाई. टी. विनियमों के अनुसार, अंतर विनियम 11 के तहत परिकल्पित लाभ या हानि के बंटवारे के उपचार के अधीन होगा।

दूसरे शब्दों में, हानि और/या अंतर का केवल एक तिहाई हिस्सा शुल्क के माध्यम से वसूल करने की अनुमति होगी, और शेष दो तिहाई राशि अपीलार्थी को वित्तीय नुकसान के रूप में वहन करनी होगी। इससे अपीलार्थी के लिए नकदी प्रवाह की कमी और बढ़ गई।

50. श्री सिंह ने कहा कि मंजूरी के बीच का समय अंतराल

वार्षिक राजस्व आवश्यकता और अंतिम भुगतान के परिणामस्वरूप राजस्व और व्यय में गंभीर असंतुलन हुआ है जिससे अपीलार्थी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बढ़ गई है। अपीलार्थी को वित्तीय संस्थानों/बैंकों से ब्याज घटक पर उधार लेने के लिए विवश किया गया है, जो उसके वार्षिक राजस्व में पारित नहीं होता है।

आवश्यकता.

अपीलार्थी के माध्यम से आपूर्ति की गई। इसी तरह सरकारी विभागों, सार्वजनिक जल कार्यों और स्ट्रीट लाइटों को बिजली की आपूर्ति के कारण बकाया राशि भी जमा हो गई है। एम. वाई. टी. विनियमों के तहत एम. ई. आर. सी. केवल प्राप्तियों के डेढ़ प्रतिशत की सीमा तक खराब ऋणों के लिए एक प्रावधान की अनुमति देता है, भले ही अपीलार्थी का सबसे बड़ा उपभोक्ता आधार ग्रामीण क्षेत्रों में हो जहां उपभोक्ताओं के समय पर बिलों का भुगतान करने की संभावना कम हो। 52. श्री सिंह ने कहा कि ये मुद्दे अपीलार्थी के नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन इसका वित्तीय स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

कई वर्षों तक अपीलार्थी का। ऐसा नहीं है कि अपीलकर्ता अपने उपभोक्ताओं से समय पर अपने बकाया का भुगतान कर रहा है, लेकिन बिजली उत्पादन कंपनियों को भुगतान नहीं कर रहा है। अपीलार्थी स्वयं एक अनिश्चित वित्तीय स्थिति में है जो विलंब के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचनाओं में निर्धारित दरों से अधिक ब्याज लगाने से बदतर हो जाती है, जो अपीलार्थी के नियंत्रण में नहीं है।

53. श्री सिंह ने प्रस्तुत किया कि कोविड-19 महामारी ने अपीलार्थी की वित्तीय व्यवहार्यता को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है, और अपीलार्थी को लगभग 1 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसके अलावा, महामारी के दौरान उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए किए गए उपायों से अपीलार्थी की वित्तीय स्थिति भी प्रभावित हुई है। द.

अपीलार्थी ने जून-20 और जुलाई-20 के सभी बिलों (बकाया सहित) के समय पर भुगतान के लिए सभी आवासीय उपभोक्ताओं को 2 प्रतिशत की छूट दी है।

वास्तविक रीडिंग के आधार पर। इसके अलावा, आवासीय श्रेणी के उपभोक्ता जो एक बार में जून-20 और जुलाई-20 के बिजली बिलों का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे, उन्हें बिना ब्याज या विलंबित भुगतान शुल्क के तीन समान किश्तों में बिलों का भुगतान करने की अनुमति दी गई थी।

54. श्री सिंह ने आगे कहा कि 26.03.2020 पर एम. ई. आर. सी. ने निम्नलिखित 'अभ्यास निर्देश-जनता को कम करने के उपाय' जारी किए

कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए इंटरफेस '।

वितरण लाइसेंसधारियों को आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करनी थी।

(अ)

आपूर्ति की बहाली से संबंधित शिकायतों के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी शिकायतों पर वितरण लाइसेंसधारी को ध्यान देना जारी रखना था।

वितरण लाइसेंसधारक अन्य गैर-लाइसेंसधारकों को निलंबित कर सकते हैं।

(ख)

आवश्यक सेवाएँ जिनके परिसरों में जाने की आवश्यकता होती है

उपभोक्ता या व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ताओं से मिलना अर्थात मीटर रीडिंग, बिलिंग, बिल भुगतान पर ऑफ़लाइन बिल संग्रह

केंद्र, नए कनेक्शन जारी करना आदि।

((ग)

जब भी उपलब्ध हो स्वचालित मीटर पढ़ने की सुविधा

मीटर रीडिंग के लिए उपयोग किया जाता है।

मीटर रीडिंग के अभाव में, उपभोक्ताओं को

((घ)

औसतन गणना किए गए उनके अनुमानित बिल के बारे में ईमेल, एस. एम. एस., मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल चैनलों के माध्यम से सूचित किया जाए। आपूर्ति संहिता विनियमों के अनुसार।

(ई)

बिल भुगतान के लिए, वितरण लाइसेंसधारी की आवश्यकता थी -

वैकल्पिक भुगतान विधियों को सुविधाजनक बनाना और अद्यतन करना अर्थात डिजिटल

भुगतान विधि।

(च)

उपरोक्त सभी उपायों को सूचित करने का निर्देश दिया गया था

व्यापक प्रचार के लिए सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

तीन बिलिंग चक्रों के लिए बिजली के बिलों के भुगतान पर 25.03.2020 की लॉकडाउन तिथि। श्री सिंह ने प्रस्तुत किया कि एम. ई. आर. सी. द्वारा दी गई उक्त रोक ने अपीलार्थी के राजस्व तंत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है क्योंकि अपीलार्थी ने अपने सार्वभौमिक सेवा दायित्वों के कारण खर्च करना जारी रखा है जबकि वसूली बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसके अलावा,

एम. ई. आर. सी. ने 09.05.2020 पर जारी अपने अभ्यास निर्देशों के माध्यम से और 21.05.2020 , उपभोक्ताओं को निम्नलिखित छूट और/या राहत दी गई:

यह स्पष्ट किया गया कि 3 बिलिंग चक्रों पर रोक लगा दी गई है।

(अ)

औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को निश्चित शुल्क के भुगतान के लिए दिया जाता है, जिसके लिए वे उत्तरदायी होंगे
बाद के तीन बिलिंग चक्रों में समान ब्याज में भुगतान करें।

मुफ्त किश्तें।

(ख)

यदि उपभोक्ता पूरी अधिस्थगन राशि का भुगतान करना चुनते हैं

ऐसे उपभोक्ताओं को एक बार में 1 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

एचटी औद्योगिक और एचटी वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को अनुमति दी गई थी।

((ग)

उनके अनुबंध को संशोधित करने के लिए एक बिलिंग चक्र में 3 बार तक की मांग करें।
कम तनाव औद्योगिक और कम तनाव वाणिज्यिक

((घ)

मांग-आधारित शुल्क वाले उपभोक्ताओं को एक बिलिंग में अपनी अनुबंध मांग को 2 गुना तक संशोधित करने की अनुमति दी गई थी।

चक्र।
औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए, केवल एक टोकन

(ई)

औसत ऊर्जा खपत का 10 प्रतिशत था

लॉकडाउन के तहत परिसर के संबंध में बिल दिया जाए।

56. श्री सिंह ने तर्क दिया कि ये कारक स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि

अपीलार्थी अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से समय पर भुगतान नहीं कर सका, जिसके लिए अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इस देरी के लिए एल. पी. एस. के माध्यम से बिजली खरीद समझौतों के तहत मुआवजा निर्धारित किया जाता है। श्री सिंह ने अपनी इस दलील को दृढ़ता से दोहराया कि इस तरह का मुआवजा कानूनी रूप से अपीलार्थी और हाशिए पर पड़े उपभोक्ताओं यानी कृषि उपभोक्ताओं, झुग्गियों में रहने वाले लोगों और समाज के दलित वर्ग सहित उत्तरदाताओं का अप्रत्याशित लाभ या अन्यायपूर्ण संवर्धन नहीं हो सकता है।

57. श्री सिंह ने अंत में तर्क दिया कि अपीलार्थी का दावा समय से बाधित नहीं है, जैसा कि बिजली उत्पादकों ने तर्क दिया है। अनुच्छेद [2021] 5 एस. सी. आर. के संदर्भ में

13.3. 2 बिजली खरीद समझौतों में से विक्रेता इसके लिए बाध्य है -

जनरेटर नहीं बनाए जा सकते थे, विशेष रूप से अपीलार्थी की अपील में। अपीलार्थी की अपील में कोई मौद्रिक राहत नहीं दी जा सकी। प्रत्यर्थियों को कानून के दावों में परिवर्तन के निष्पादन और मात्रा निर्धारण के लिए एम. ई. आर. सी. को प्रेषित किया जाना चाहिए था।

59. इस अपील में एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दर प्रणाली में प्रधान ऋण दर (पी. एल. आर.) से आधार दर में परिवर्तन किया गया है।

और फिर एम. सी. एल. आर. बिजली खरीद समझौतों के तहत कानून में बदलाव के बराबर है।

60. प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी, उनके बाद डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से पेश हुए अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से पेश हुए श्री विशरोव मुखर्जी और प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से पेश हुई सुश्री दिव्या आनंद ने अपील का विरोध करते हुए अग्रिम दलीलें दीं। संबंधित वकील के तर्कों के कुछ अतिव्यापी होने के कारण, इस न्यायालय ने अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचने के लिए सभी वकील के प्रस्तुतिकरण को पूरी तरह से दर्ज नहीं किया है।

61. श्री रोहतगी, श्री सिंघवी, श्री विश्व मुखर्जी और सुश्री दिव्या आनंद सभी ने एक स्वर में तर्क दिया कि यह अपील संविधान की धारा 125 के तहत की गई है। विद्युत अधिनियम 2003, बनाए रखने योग्य नहीं है, कानून का कोई सवाल नहीं है, अपीलार्थी द्वारा उठाए गए कानून के महत्वपूर्ण सवाल की बात नहीं है।

62. प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से श्री रोहतगी, प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से श्री सिंघवी, प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से श्री मुखर्जी उपस्थित हुए।

प्रत्यर्थी संख्या 4 और प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से उपस्थित सुश्री दिव्या आनंद ने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 8.3।

5 चरण 2 बिजली खरीद महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

अनुच्छेद 11.3 के अनुरूप समझौते। 4 बिजली की आपूर्ति के लिए वितरण लाइसेंसधारी, अर्थात खरीदार के रूप में अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी होने के नाते बिजली उत्पादन कंपनियों के बीच चरण 1 बिजली खरीद समझौतों के तहत, जब भी बिलों के भुगतान में देरी होती है, अपीलकर्ता द्वारा बिजली उत्पादन कंपनियों को देय एल. पी. एस. को नियंत्रित किया जाता है। अनुच्छेद 11.3। 4 . चरण 1 बिजली खरीद समझौते, और अनुच्छेद 8.3। 5 इस निर्णय में पहले चरण 2 बिजली खरीद समझौते का उल्लेख किया गया है।

63. श्री रोहतगी ने कहा कि एस. बी. ए. आर. जो वास्तव में है

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऋण/वित्त अनुदान के लिए ब्याज दर को बिजली खरीद समझौतों में शामिल किया गया है और एल. पी. एस. के लिए सहमत दर एस. बी. ए. आर. से 2 प्रतिशत अधिक है। यह एस. बी. ए. आर. बदलता रहता है। इसलिए एल. पी. एस. बिलिंग अवधि के दौरान लागू एस. बी. ए. आर. से 2 प्रतिशत अधिक है।

64. श्री रोहतगी ने बताया कि एस. बी. आई. की दर अभी भी समान है।

आज, जैसा कि प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा पृष्ठ 48 से 50 पर अपीलार्थी द्वारा दायर 2021 की आई. ए. सं. 69796 पर रोक लगाने के लिए अपने उत्तर में अनुरोध किया गया है। मार्च 2021 के महीने के लिए एस. बी. ए. आर. <आई. डी1>% है।

65. प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से उपस्थित सुश्री दिव्या आनंद,

इस न्यायालय ने एमसीएलआर प्रणाली की शुरुआत करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना दिनांक 03.03.2016 के खंड 10 की ओर ध्यान आकर्षित किया।

आधार दर प्रणाली के स्थान पर 01.04.2016 से प्रभावी, जिसके संदर्भ में पी. एल. आर. प्रणाली पर आधारित मौजूदा ऋण पी. एल. आर. प्रणाली के तहत परिपक्वता तक जारी रहना था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एमसीएलआर प्रणाली 01.04.2016 के बाद स्वीकृत ऋणों पर लागू होनी थी, न कि उस तारीख तक पहले से मौजूद ऋणों पर।

66. सुश्री दिव्या आनंद ने प्रस्तुत किया कि भारतीय स्टेट बैंक ने

वर्ष 2020 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की ब्याज दरों की तालिका में प्रदर्शित तीनों दरों, यानी पी. एल. आर., आधार दर और एम. सी. एल. आर. को अधिसूचित किया जा रहा है जो नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

एस. बी. आई. अधिसूचित दर 10.12.2020

10.09.2020

10.06.2020

10.03.2020

12.05

12.90

12.15

12.15

बी पी एल आर

7.30

7.40

7.40

8.15

आधार दर

7.30

8.05

एमसीएलआर

7.30

67. श्री रोहतगी ने तर्क दिया कि अपीलार्थी का यह तर्क कि बिजली खरीद समझौतों में संविदात्मक दर को शामिल किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2016 से एम. सी. एल. आर. डब्ल्यू. ई. एफ. की शुरुआत से जो एस. बी. आई. दर है, वह पूरी तरह से बदल जाएगी।

गलत धारणा है। बिजली खरीद समझौते को एम. सी. एल. आर. की शुरुआत से संशोधित नहीं माना जा सकता है। यह अपीलार्थी के लिए खुला है, ए

सरकारी संस्था, यदि चाहे तो सस्ती दर पर ऋण ले और बिजली उत्पादन कंपनियों द्वारा उठाए गए बिलों का भुगतान करे।

68. श्री रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता चित्रित करने का इरादा रखता है

पुण्य के कार्य के रूप में देर से भुगतान। यदि अपीलार्थी भुगतान में देरी नहीं करता है, तो उसे कोई एल. पी. एस. नहीं देना होगा। एल. पी. एस. केवल नियत तिथि के बाद भुगतान में देरी की स्थिति में आकर्षित किया जाता है। अपीलार्थी बिजली खरीद समझौते के प्रावधानों को दरकिनार नहीं कर सकता है जो एक बाध्यकारी समझौता है।

अनुबंध।

69. श्री रोहतगी ने तर्क दिया कि ए. पी. टी. ई. एल. ने अपने विवादित निर्णय और दिनांक 27.04.2021 के आदेश द्वारा अपीलार्थी द्वारा दायर सांविधिक अपील को सही ढंग से खारिज कर दिया है, और दिनांक 16.11.2017 के एम. ई. आर. सी. के आदेश को बरकरार रखा है। वर्तमान दीवानी अपील में शामिल सीमित मुद्दा है -

क्या अपीलार्थी एस. बी. ए. आर. (स्टेट बैंक एडवांस रेट) के अनुसार गणना की गई एल. पी. एस. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जैसा कि अपीलार्थी और श्री रोहतगी के ग्राहक के बीच किए गए बिजली खरीद समझौतों में दिया गया है या 2010 में शुरू की गई आधार दर प्रणाली और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित 2016 में शुरू की गई निधि आधारित ऋण दर प्रणाली (एम. सी. एल. आर.) की सीमांत लागत के अनुसार। श्री रोहतगी ने कहा कि अपीलार्थी ने किसी भी स्तर पर इस बात से इनकार नहीं किया था कि उसने समय पर भुगतान में कई चूक की थी।

70. श्री रोहतगी ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि ए. पी. टी. ई. एल. ने, विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, बहुत सही माना था कि अधिसूचनाएँ,

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश या परिपत्र, जिसमें आधार दर शुरू करने और एमसीएलआर शुरू करने की अधिसूचना शामिल है, अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच दिनांकित बिजली खरीद समझौतों के निष्पादन के बाद, कानून में परिवर्तन के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे। उन्होंने तर्क दिया कि ए. पी. टी. ई. एल. ने सही माना था कि एस. बी. ए. आर. पर गणना किए गए ब्याज के साथ एल. पी. एस. का भुगतान किया गया है।

उपर्युक्त बिजली खरीद समझौतों की स्पष्ट शर्तों में प्राधिकरण। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक के 09.04.2010 दिनांकित परिपत्रों के बाद से, आधार दर शुरू करना महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम अस्तित्व में था।

लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

2010 के बाद से, केवल 23.09.2016 पर जारी किए गए कानून में परिवर्तन नोटिस को उचित रूप से समय वर्जित माना गया था।

71. श्री रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि यह अपील विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है, जो केवल सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद "सीपीसी" के रूप में संदर्भित) की धारा 100 के तहत निर्दिष्ट आधारों की अनुमति देती है। सी. पी. सी. की धारा 100 में कहा गया है कि पहला अपीलीय न्यायालय तथ्यों का अंतिम न्यायालय है। सी. पी. सी. की धारा 100 प्रथम अपीलीय न्यायालय के तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देती है।

72. श्री रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि सी. पी. सी. की धारा 100 में अनुमत आधारों के विपरीत, इस अपील में धारा 125 के तहत

विद्युत अधिनियम, 2003, अपीलार्थी ने तथ्य के शुद्ध प्रश्न उठाए हैं, जिनका निर्णय विद्युत उत्पादन कंपनियों के पक्ष में किया गया है। अतः यह अपील विचारणीय नहीं है। उपरोक्त तर्क के समर्थन में श्री रोहतगी ने डी. एस. आर. स्टील (पी) का हवाला दिया। लिमिटेड वी. राजस्थान राज्य और अन्य, तमिलनाडु उत्पादन और वितरण

निगम लिमिटेड बनाम। पी. पी. एन. पावर जेनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड बनाम। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और एक अन्य '।

73. श्री विश्व मुखर्जी ने डी. एस. आर. स्टील (पी) लिमिटेड बनाम का हवाला दिया। राजस्थान राज्य और अन्य। (उपर्युक्त) पैरा 4,14,15,16,18 और 19 और भारतीय पावर ग्रिड निगम और अन्य का उल्लेख करते हुए। वी. तमिलनाडु

उत्पादन और वितरण कंपनी लिमिटेड और अन्य। 8 इस तर्क के समर्थन में कि बिजली की धारा 125 के तहत यह अपील

अधिनियम, 2003 को खारिज किया जा सकता है क्योंकि इसमें कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है।

74. श्री मुखर्जी ने भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम का भी हवाला दिया। पवन कुमार गुप्ता ', वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड बनाम। एम. एस. ई. डी. सी. एल और ए. एन. आर. , (उपर्युक्त) और तुप्पडाहल्ली एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम। कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग और Anr.10, जहाँ यह न्यायालय

कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के अभाव के आधार पर वैधानिक अपीलों को खारिज कर दिया गया।

5 (2012) 6 एससीसी 782 (पैरा 14) 6 (2014) 11 एससीसी 53 (पैरा 53 और 70) 7. (2016) 16 एस. सी. सी. 541 (पैरा 5) 8 . (2019) 7 एससीसी 34 (पैरा 1 और 6) 9 9। . (2016) 1 एस. सी. सी. 363

10. (2017) 11 एससीसी 194 [2021] 5 एस. सी. आर.

75. श्री रोहतगी ने बताया कि एम. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. दोनों

अपीलार्थी के खिलाफ समवर्ती निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं जैसा कि नीचे दिए गए सारणीबद्ध कथन में दिखाया गया है:

समवर्ती निष्कर्ष

फैसला

का आदेश

एमईआरसी

और

आदेश

एपीटीईएल का

पैरा 13 @

अपीलार्थी (एम. एस. ई. डी. सी. एल.) को पैरा 12 @का भुगतान करने के लिए कहा जाता है।

एल. पी. एस. केवल तभी होता है जब वह मासिक भुगतान में देरी करता है या

pg 109-111

पृष्ठ 11-14

नियत तिथि के बाद के पूरक बिल।

पैरा 13 @

एक वर्ष की परिपक्वता वाले ऋणों के लिए एस. बी. आई. पी. एल. आर.,

पैरा 12 @

पृष्ठ 109-111

प्रचलन में है और इसका मूल्य बना हुआ है

पृष्ठ

11-14

समय-समय पर एस. बी. आई. द्वारा घोषित। आर. बी. आई. ने 2010 में पी. एल. आर. को आधार दर में संशोधित किया

पैरा 14 @

पैरा

14 @

और 2016 में एमसीएलआर की राशि नहीं है

पृष्ठ 109-111

पृष्ठ

11-14

बिजली खरीद के संदर्भ में कानून में बदलाव

समझौते (पी. पी. ए.)।

पैरा 16 @

पैरा

23 @

अपीलार्थी (एम. एस. ई. डी. सी. एल.) ने कई मामलों में प्रवेश किया

पृष्ठ 109-111

पी. पी. ए., संभवतः खुली आँखों के साथ, इसके बाद

पृष्ठ

16

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आधार दर प्रणाली की अधिसूचना।

पैरा

23

एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने कानून में बदलाव के लिए नोटिस जारी किए

पैरा 15

(ए

केवल सितंबर, 2016 में उत्तरदाता, अर्थात अधिक

@पृष्ठ

पृष्ठ

16

आर. बी. आई. द्वारा आधार दर लागू करने के 6 साल बाद

109-111

बी. पी. एल. आर. प्रणाली के स्थान पर प्रणाली।

76. श्री रोहतगी ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता यह मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहा है

उपरोक्त मुद्दे जो एक बार फिर एक साथ तय किए गए हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 के तहत दायर इस अपील में कानून का कोई ठोस सवाल नहीं उठा है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है। श्री रोहतगी ने रामानुज नायडू बनाम का हवाला दिया। वी. कन्नैया नायडू और एक अन्य 1 1 और नवनीथम्मल बनाम। अर्जुन चेट्टी 1 2 अपने उपरोक्त के समर्थन में

तर्क।

77. श्री रोहतगी ने तर्क दिया कि चूंकि एस. बी. ए. आर. जारी है

संचालन, यह नहीं कहा जा सकता है कि कानून में कोई बदलाव हुआ है। प्रत्यर्थी संख्या 2 और अपीलार्थी ने चार शक्ति खरीद की हैं।

अपीलार्थी द्वारा शुरू की गई प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के अनुसार, 1320 मेगावाट की आपूर्ति के लिए पहली तारीख आई. डी. 2,1200 मेगावाट की आपूर्ति के लिए दूसरी तारीख आई. डी. 4,125 मेगावाट की आपूर्ति के लिए तीसरी तारीख आई. डी. 1 और 440 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए चौथी तारीख आई. डी. 3 समझौते। अनुच्छेद 8.3। 5 आधार दर प्रणाली की शुरुआत के बाद निष्पादित बिजली खरीद समझौतों दिनांक 31.03.2010,09.8.2010 और 16.02.2013 में विशेष रूप से गणना का प्रावधान है।

11 1. . (1996) 3 एस. सी. सी. 392 (पैरा 11)

12. (1996) 6 एस. सी. सी. 166 (पैरा 11)

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

एस. बी. ए. आर. के अनुसार एल. पी. एस. का, संदर्भ द्वारा निगमन के सिद्धांत के आह्वान में। बिजली खरीद समझौतों में एस. बी. ए. आर. का एक विशिष्ट संदर्भ है, जो अनुबंध की पूरी अवधि यानी 25 वर्षों के लिए पक्षों पर बाध्यकारी है। 1320 मेगावाट की आपूर्ति के लिए दिनांक 14.08.2008 का बिजली खरीद समझौता अपीलार्थी और सरकार के बीच किया गया।

प्रत्यर्थी संख्या 2 में भी एल. पी. एस. के लिए इसी तरह का प्रावधान है।

78. श्री रोहतगी ने आगे तर्क दिया कि बिजली खरीद

समझौतों के अनुसार एस. बी. ए. आर. का अर्थ है "भारतीय स्टेट बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित एक (1) वर्ष की परिपक्वता वाले ऋणों के लिए लागू प्रति वर्ष प्रमुख ऋण दर। ऐसी दर के अभाव में, एस. बी. ए. आर. का अर्थ कोई अन्य व्यवस्था होगी जो इस तरह के प्रमुख को प्रतिस्थापित करती है।

पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत ऋण दर "।

79. श्री रोहतगी ने कहा कि बिजली खरीद समझौतों में एस. बी. ए. आर. की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि बिजली में कोई भी संदर्भ

एस. बी. ए. आर. के लिए खरीद समझौतों को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित प्रधान ऋण दर के संदर्भ में माना जाना चाहिए। इन प्रावधानों का भारतीय रिजर्व बैंक से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा, बिजली खरीद समझौते भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित आधार दर/एम. सी. एल. आर. में स्वचालित बदलाव पर विचार नहीं करते हैं, भले ही एस. बी. आई. पी. एल. आर. का अस्तित्व समाप्त हो गया हो। ऐसी स्थिति में सहमत स्थिति संविदाकारी पक्षों के लिए किसी भी अन्य पारस्परिक रूप से सहमत व्यवस्था के साथ एस. बी. आई. पी. एल. आर. को प्रतिस्थापित करने के लिए है। होने के नाते

बिजली खरीद समझौतों में इस तरह की व्यवस्था के लिए सहमत, आधार दर/एम. सी. एल. आर. को कानूनी घटना में परिवर्तन के रूप में मानने के लिए अपीलार्थी के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है।

80. श्री रोहतगी ने तर्क दिया कि 2010 में आधार दर प्रणाली और 2016 में एम. सी. एल. आर. प्रणाली की शुरुआत करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने मौजूदा ऋणों के लिए पहले की बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (बी. पी. एल. आर.) व्यवस्था को जारी रखने का प्रावधान किया था। नतीजतन, खंड 8.3 में निर्दिष्ट एस. बी. ए. आर. दर। 5 और/या 11.3। 4 बिजली खरीद समझौतों के दो सेटों में से, जो ऋण के लिए एस. बी. आई. पी. एल. आर. है

एक वर्ष की परिपक्वता, आज भी अधिसूचित की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांकित 03.03.2016 अधिसूचना से भी यही स्पष्ट है।

81. श्री रोहतगी ने आगे तर्क दिया कि, कानून में परिवर्तन के संबंध में बिजली खरीद समझौतों में प्रासंगिक खंडों के संदर्भ में, आवश्यकता यह है कि विचाराधीन घटना वह होनी चाहिए जो खंड 10.1 द्वारा कवर की गई हो। 1 चरण 2 बिजली खरीद समझौतों के अनुरूप [2021] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खंड 13.1 के लिए। 1 . चरण 1 शक्ति खरीद समझौतों, अर्थात, यह एक नया अधिनियम होना चाहिए, या मौजूदा कानून का संशोधन, या एक सक्षम अदालत द्वारा नई व्याख्या, घटना के बाद हुई होनी चाहिए

कट-ऑफ तिथि, जो इस मामले में स्वीकार की गई 31.07.2009 है, यानी बोली की समय सीमा से सात दिन पहले की तारीख, जो 07.08.2009 है और ऐसी घटना के परिणामस्वरूप विक्रेता के लिए अतिरिक्त आवर्ती या गैर-आवर्ती व्यय या आय हुई होगी। इनमें से पहली और तीसरी शर्तों को अपीलार्थी द्वारा पूरा नहीं किया जाता है क्योंकि बिजली खरीद समझौतों के तहत एल. पी. एस. दर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों या दिशानिर्देशों से जुड़ी नहीं है और निर्दिष्ट आर. बी. आई. अधिसूचनाओं के परिणामस्वरूप बिजली उत्पादक कंपनियों के लिए कोई अतिरिक्त आय या व्यय नहीं हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी अधिसूचनाओं/परिपत्रों द्वारा 2010 में आधार दर और 2016 में एमसीएलआर की शुरुआत, इसलिए, कानून में बदलाव के बराबर नहीं है। इसलिए, अपीलार्थी का यह तर्क कि भारतीय रिजर्व बैंक का 2016 का निर्देश "कानून में परिवर्तन" के बराबर है, गलत और भ्रामक है। इसलिए, अपीलार्थी एस. बी. ए. आर. के अनुसार एल. पी. एस. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जैसा कि एम. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा उचित रूप से आयोजित किया गया है।

प्रस्तुत करना कि अपीलार्थी खंड 13.3 के बाद से कानून में परिवर्तन का दावा करने का हकदार नहीं है। 1 1320 मेगावाट की आपूर्ति के लिए दिनांकित बिजली खरीद समझौते और अनुच्छेद 10.4। 1 अन्य तीन बिजली खरीद समझौतों में यह प्रावधान है कि कानूनी घटनाओं में बदलाव की सूचना प्रभावित पक्ष द्वारा कानून में परिवर्तन के बारे में जागरूक होने के बाद जल्द से जल्द उचित रूप से व्यावहारिक रूप से जारी किया जाना है। जबकि अपीलार्थी द्वारा उद्धृत परिवर्तन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुलाई, 2010 और फिर से अप्रैल, 2016 से प्रभावी किए गए थे और अग्रिम रूप से अधिसूचित किए गए थे, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को केवल सितंबर 2016 में कानून में परिवर्तन की सूचना जारी की, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बी. पी. एल. आर. प्रणाली के स्थान पर आधार दर प्रणाली शुरू करने के 6 साल से अधिक समय बाद। अपीलार्थी उस समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए संशोधन से अनजान नहीं हो सकता था। न ही इसने अपना दावा उठाने में इस अत्यधिक देरी की व्याख्या की है। इसके अलावा, जबकि आधार दर 09.04.2010 पर पेश की गई थी, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ 09.08.2010 और 16.02.2013 पर बिजली खरीद समझौते किए, जिसमें पी. एल. आर. को एल. पी. एस. दर के रूप में शामिल किया गया ताकि अपीलार्थी को क्रमशः 125 मेगावाट और 440 मेगावाट बिजली की अनुबंधित मात्रा की आपूर्ति की जा सके। इस प्रकार, अपीलार्थी का दावा अस्वीकार्य है, इसे सीमा द्वारा वर्जित किया जा रहा है।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

83. श्री रोहतगी ने जोर देकर दोहराया कि देर से भुगतान

अधिभार (एल. पी. एस.) तभी लगाया जाता है जब बिलों के भुगतान में देरी होती है। इसलिए एल. पी. एस. के प्रति देयता अपीलार्थी के नियंत्रण में थी, क्योंकि यदि अपीलार्थी नियत तिथि के बाद मासिक या पूरक बिलों के भुगतान में देरी नहीं करता है तो कोई एल. पी. एस. देयता नहीं होगी। श्री रोहतगी ने तर्क दिया कि एल. पी. एस. एक जुर्माना है जिसके लिए अपीलकर्ता ने स्वेच्छा से सहमति व्यक्त की है, यदि यह बिजली उत्पादक कंपनियों को भुगतान में देरी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज के संबंध में कोई भी परिवर्तन, किसी भी तरह से उस दर को प्रभावित नहीं करता है जिस पर बिजली बेचने और खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की गई थी या जिस दर पर एल. पी. एस. प्रभार्य है। श्री रोहतगी ने जोर देकर तर्क दिया कि एल. पी. एस. भुगतान अनुशासन को लागू करने के लिए एक निवारक है और इससे पूरी तरह से बचा जा सकता है।

84. श्री रोहतगी ने बताया कि ए. पी. टी. ई. एल. ने अपने विवादित निर्णय और आदेश (पैरा 21) द्वारा अपीलार्थी के आदेश को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है।

एस. बी. ए. आर. दर पर एल. पी. एस. की गणना किए जाने के कारण प्रत्यर्थी बिजली उत्पादन कंपनियों के अन्यायपूर्ण संवर्धन का विवाद। ए. पी. टी. ई. एल. ने कहा हैः

अन्यायपूर्ण संवर्धन कहे जाने के लिए, लाभ प्राप्त किया गया

((i)

एक पक्ष द्वारा ऐसा होना चाहिए जिसके बिना रखा गया हो

कोई भी कानूनी आधार;

एल. पी. एस. का प्राथमिक उद्देश्य बिजली की भरपाई करना है।

((ख)

अपीलार्थी द्वारा भुगतान में देरी के कारण खोए गए धन के समय मूल्य के लिए जनरेटर, यह नहीं कहा जा सकता है कि एल. पी. एस. की वसूली के परिणामस्वरूप जनरेटर अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध हो जाते हैं;

एल. पी. एस. का भुगतान, प्रधान राशि पर गणना किए गए ब्याज के साथ

ऋण दर, बिजली खरीद समझौतों की स्पष्ट शर्तों में अधिकृत है;

((iv) एल. पी. एस. का दावा प्रत्यर्थी बिजली उत्पादक कंपनियों को प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन यह प्रतिपूरक प्रकृति का है। इसके अलावा, एल. पी. एस. आर्थिक नहीं है।

प्रतिपूर्ति लेकिन एक हतोत्साहित करने वाला है; एल. पी. एस. की तुलना वहन लागत या वास्तविक लागत से करना गलत है।

(v)

ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जुटाए गए वित्त के लिए भुगतान किए गए किसी भी ब्याज का एल. पी. एस. से कोई संबंध नहीं हो सकता है क्योंकि यह ऋण के समान नहीं है।

अग्रिम, लेकिन देरी के लिए जुर्माना है; [2021] 5 एस. सी. आर.

(vi) कानूनी रूप से लागू करने योग्य अनुबंधों के संदर्भ में देय एल. पी. एस. को अन्यायपूर्ण संवर्धन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एल. पी. एस. का भुगतान अपीलार्थी द्वारा चूक के कारण होता है, न कि बिजली उत्पादकों द्वारा की गई किसी कार्रवाई के लिए। यह तथ्यात्मक स्थिति होने के कारण, अपीलार्थी की ओर से अन्यायपूर्ण संवर्धन का आरोप लगाना गलत है।

85. श्री रोहतगी ने इस न्यायालय का ध्यान ए. पी. टी. ई. एल. के विवादित फैसले के अनुच्छेद 35 की ओर आकर्षित किया। स्पष्ट निष्कर्ष कि अपीलार्थी ने कभी भी गंभीर चूक से इनकार नहीं किया था

यह प्रत्यर्थी बिजली उत्पादक कंपनियों को बिलों के भुगतान में अत्यधिक देरी करके प्रतिबद्ध है। ए. पी. टी. ई. एल. ने पाया कि अपीलार्थी निर्विवाद रूप से एल. पी. एस. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

बिजली खरीद समझौतों के संदर्भ में एल. पी. एस. के भुगतान के अपने संविदात्मक रूप से बाध्यकारी दायित्व को त्यागना और किसी तरह बिजली खरीद समझौतों की शर्तों में एकतरफा संशोधन करना ताकि वे उनके लिए अनुकूल हों, जो कानून में अस्वीकार्य है। 87. श्री रोहतगी ने कहा कि एल. पी. एस. की गणना बिजली खरीद समझौतों के संदर्भ में मासिक विश्राम के साथ चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है।

और 2020 के मामले No.45 में एम. ई. आर. सी. के दिनांकित 29.08.2020 आदेश को देखते हुए इसे उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा सकता है।

88. श्री रोहतगी ने तर्क दिया कि इस अपील के माध्यम से, अपीलकर्ता वास्तव में संविदात्मक रूप से निर्धारित संशोधन को कम करने की मांग कर रहा है।

प्रत्यर्थी बिजली पैदा करने वाली कंपनियों की कीमत पर खुद को अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध करने के लिए जुर्माना, विशेष रूप से, क्योंकि अपीलकर्ता अपने उपभोक्ताओं से एस. बी. आई. पी. एल. आर. की तुलना में बहुत अधिक दरों पर विलंबित भुगतान अधिभार वसूल करता है।

89. प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से श्री सिंघवी उपस्थित हुए

अपीलार्थी को बिजली की आपूर्ति के लिए अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा और उनके बीच निष्पादित दिनांक 23.02.2010 बिजली खरीद समझौते को संदर्भित किया गया है। श्री सिंघवी ने बताया कि सत्ता विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत एम. ई. आर. सी. के तत्वावधान में अपीलार्थी द्वारा की गई बोली प्रक्रिया के अनुसार खरीद समझौते का निष्पादन किया गया था।

इस शुल्क को एम. ई. आर. सी. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम द्वारा अपनाया गया था। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

(प्रत्यर्थी संख्या 1) और बिजली खरीद समझौते को एम. ई. आर. सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था।

90. श्री सिंघवी ने तर्क दिया कि यह विवाद में नहीं है कि प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए बिजली शुल्क के लिए मासिक बिल का भुगतान

यहाँ पहले पुनः प्रस्तुत किया गया। 91. श्री सिंघवी ने कहा कि इस मामले में भी एल. पी. एस. की दर एस. बी. ए. आर. से 2 प्रतिशत अधिक थी। श्री सिंघवी ने परिभाषा का उल्लेख किया

एस. बी. ए. आर. को परिभाषित करते हुए संबंधित बिजली खरीद समझौते में एस. बी. ए. आर.

श्री सिंघवी ने कहा कि किसी भी प्रमुख ऋण दर के अभाव में ही एल. पी. एस. की दर ऐसी दर पर तय की जा सकती है जिस पर दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति हो। 92. श्री सिंघवी ने अपीलार्थी के इस तर्क की वैधता पर सवाल उठाया कि एस. बी. आई. पी. एल. आर. के प्रकाशन के उद्देश्य में आर. बी. आई. के परिपत्रों/अधिसूचनाओं को देखते हुए बदलाव आया है, एस. बी. आई. पी. एल. आर., जो निश्चित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है, अब इसका उपयोग विज्ञापन के रूप में नहीं किया जा सकता है।

बिजली खरीद समझौते में बेंचमार्क संदर्भ, कि बिजली खरीद समझौते के संदर्भ बेंचमार्क दर को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। श्री सिंघवी ने तर्क दिया कि अपीलार्थी की दलीलों का न तो कानूनी आधार था और न ही संविदात्मक। नीचे दिए गए दोनों मंचों ने समवर्ती निर्णयों को सही ढंग से प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है कि अनुबंध में एल. पी. एस. की दर पर आर. बी. आई. के परिपत्रों/दिशानिर्देशों का कोई प्रभाव नहीं है और अनुबंध की सहमत शर्तों को फिर से नहीं लिखा जा सकता है।

93. श्री सिंघवी ने तर्क दिया कि बिजली की बिक्री और खरीद के लिए बिजली खरीद समझौता, एक बिजली उत्पादक कंपनी और बिजली खरीददार के बीच था, जिस पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर लागू रिजर्व बैंक के परिपत्र/दिशानिर्देश लागू नहीं हो सकते हैं। बिजली खरीद समझौते में किसी भी आर. बी. आई. परिपत्र या दिशानिर्देश को शामिल या संदर्भित नहीं किया गया है। श्री सिंघवी ने बी. ओ. आई. फाइनेंस लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के फैसले का हवाला दिया। अभिरक्षक और Ors.[1]3 13 जहाँ यह न्यायालय

13. (1997) 10 एससीसी 488 [2021] 5 एस. सी. आर.

उल्लङ्घन के लिए जुर्माना है जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 46 में प्रावधान किया गया है। इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र/दिशानिर्देश दो पक्षों के बीच अनुबंध को बदल या संशोधित नहीं कर सकते हैं, जिनमें से कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान नहीं है। 94. श्री सिंघवी ने तर्क दिया कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच समझौते के संदर्भ में, अपीलार्थी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों/दिशानिर्देशों पर निर्भरता पूरी तरह से गलत है। आर. बी. आई. के परिपत्र/दिशानिर्देश

बैंकों और वित्तीय संस्थानों को जारी किए गए निर्देश स्वीकार्य हैं और वे अपीलार्थी या प्रत्यर्थी दोनों पर लागू नहीं होते हैं, जो बिजली की बिक्री और खरीद के व्यवसाय में लगे हुए हैं न कि अग्रिम ऋण के। इसके अलावा, पीपीए के तहत परिभाषित एसबीएआर भी है माना जा सकता है कि यह आर. बी. आई. के परिपत्रों/दिशानिर्देशों से जुड़ा नहीं है। इसलिए, जिस उद्देश्य के लिए एस. बी. आई. पी. एल. आर. को अधिसूचित किया जाना जारी है, उस पर आर. बी. आई. के परिपत्रों/दिशानिर्देशों का प्रभाव, इन उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है -

एस. बी. आई. पी. एल. आर. की अनुपस्थिति के मामले में, पी. पी. ए. के अनुच्छेद 13 में निहित सामान्य 'कानून में परिवर्तन' प्रावधान की प्रयोज्यता शामिल नहीं है। अपनी दलीलों के संदर्भ में श्री सिंघवी ने अडानी पावर (मुंद्रा) लिमिटेड बनाम का हवाला दिया। गुजरात विद्युत नियामक आयोग और अन्य 1 4 प्रासंगिक अनुच्छेद जिसका पुनरुत्पादन नीचे किया गया हैः

" 38. वर्तमान मामले में, विभिन्न अनुच्छेदों के अवलोकन से पता चलेगा कि अनुच्छेद 14 के तहत प्रावधान सामान्य हैं

प्रकृति। अनुच्छेद 3.4 के तहत प्रावधान। 2 विशिष्ट है, केवल किसी के साथ गैर-अनुपालन के मामले में लागू किया जाना है

अनुच्छेद के तहत दी गई शर्तें

3.1. 2 . इस प्रकार, अनुच्छेद 3.4 में विशेष प्रावधान किया गया है। 2 निहित सामान्य प्रावधानों की प्रयोज्यता को बाहर कर देगा

अनुबंध के अनुच्छेद 14 में।

96. श्री सिंघवी ने तर्क दिया कि कानून में परिवर्तन खंड के सामान्य प्रावधानों को पक्षों द्वारा जानबूझकर बाहर रखा गया है।

14 .

(2019) 19 एस. सी. सी. 9 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

एस. बी. आई. पी. एल. आर. की अनुपस्थिति और एल. पी. एस. की परिणामी गणना से उत्पन्न स्थिति के लिए। इसलिए, माननीय ए. पी. टी. ई. एल. को निम्नानुसार सही पाया गयाः

" 13 ..... इसके विपरीत, एक सचेत बहिष्कार है

एल. पी. एस. की गणना करते समय लागू की जाने वाली दर में किसी भी स्वतः संज्ञान परिवर्तन के संबंध में, धारणा पर बहस करना गलत है।

कि अनुबंध प्रणाली में स्वचालित परिवर्तन की अनुमति देता है।

97. श्री सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि परिवर्तन का परिणाम

बिजली खरीद समझौते के तहत कानूनी घटना का निर्धारण है

एम. ई. आर. सी. द्वारा विक्रेता को लागत के राजस्व में किसी भी वृद्धि/कमी के लिए मुआवजा। विलंबित भुगतान अधिभार केवल उस स्थिति में देय होता है जब खरीददार द्वारा मासिक बिलों के भुगतान में देरी की जाती है। इस प्रकार, एल. पी. एस. दर किसी भी तरह से उस शुल्क को प्रभावित नहीं करती है जिस पर बिजली बेचने और खरीदने के लिए सहमति दी जाती है। इसलिए, भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना/परिपत्रों के परिणामस्वरूप, समझौते के उद्देश्य, यानी बिजली के उत्पादन और बिक्री से जुड़े उत्तरदाता के राजस्व या लागत में कोई वृद्धि/कमी नहीं है। नतीजतन, एल. पी. एस. के संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा जिन आर. बी. आई. अधिसूचनाओं/परिपत्रों पर भरोसा किया गया है, उनमें कानूनी मुआवजे में बदलाव के किसी भी निर्धारण की आवश्यकता नहीं है।

98. श्री सिंघवी ने बताया कि एम. ई. आर. सी. ने अपने दिनांक 16.11.2017 के आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ अपीलार्थी के दावे को सही ढंग से खारिज कर दिया था।

ध्यान दें:

" 12. हालांकि, एल. पी. एस. प्रावधान केवल तभी आकर्षित होता है जब एम. एस. ई. डी. सी. एल. द्वारा पी. पी. ए. एस. में निर्धारित समय के भीतर विक्रेता के मासिक बिलों के खिलाफ भुगतान नहीं किया जाता है। आर. बी. आई. द्वारा संशोधन के परिणामस्वरूप एल. पी. एस. दरों के आधार पर कोई भी परिवर्तन किसी भी तरह से उन दरों को प्रभावित नहीं करता है जिन पर पी. पी. ए. एस. के तहत बिजली बेचने और खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की गई थी और इसके परिणामस्वरूप किसी भी पक्ष के लिए वित्तीय निहितार्थ होते हैं।

प्रभावित पक्ष को क्षतिपूर्ति करने के दायित्व में

99. श्री सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि ए. पी. टी. ई. एल. ने एम. ई. आर. सी. के निष्कर्ष से उचित रूप से सहमति व्यक्त की और कहाः

" 16. समग्र रूप से अनुबंध (पी. पी. ए.) की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रभावित पक्ष को कानून में परिवर्तन की घटना के लिए मुआवजे का प्रावधान केवल शुल्क के संबंध में आवश्यक है। एल. पी. एस. की दर का शुल्क पर कोई प्रभाव या प्रभाव नहीं पड़ता है।

एल. पी. एस. दरों के आधार पर संभावित परिवर्तन

आर. बी. आई. या उस मामले के लिए एस. बी. आई. द्वारा किए गए संशोधनों से उस दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिस पर पी. पी. ए. के तहत बिजली बेचने और खरीदने पर सहमति हुई थी और इसके परिणामस्वरूप किसी भी पक्ष के लिए व्यय या आय पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है। एल. पी. एस. केवल उस राशि की भरपाई करता है जो देरी के कारण धन के वास्तविक मूल्य के संदर्भ में खो गई थी।

भुगतान "।

100. श्री सिंघवी ने तर्क दिया कि अपीलार्थी ने अब तक प्रतिवादी संख्या 3 के साथ सुलह बयानों पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें -

अपीलार्थी ने एल. पी. एस. की गणना भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रकाशित पी. एल. आर. के आधार पर की, न कि आधार दर या एम. सी. एल. आर. के आधार पर, जैसा कि अब अपीलार्थी द्वारा दावा किया जा रहा है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि इस मामले में, ऊर्जा शुल्कों के प्रति अपीलार्थी के प्रमुख दायित्व के संबंध में कभी कोई विवाद नहीं हुआ है, और 5 वर्षों से अधिक समय से एल. पी. एस. के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया गया था।

101. श्री रोहतगी, श्री सिंघवी, श्री मुखर्जी और सुश्री आनंद सभी ने कहा कि अपीलार्थी की दलीलें खारिज की जा सकती हैं।

स्पष्ट रूप से, चूंकि बिजली खरीद समझौतों में एल. पी. एस. प्रावधान उस दर से जुड़ा नहीं है जिस पर प्रभावित पक्ष बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में सक्षम है। अपीलार्थी एल. पी. एस. का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है। एस. बी. आई. पी. एल. आर. में, जब तक यह मौजूद है, अब कोई अन्य दर जैसे कि एम. सी. एल. आर. या वास्तविक ब्याज दरों की मांग नहीं कर सकता है जिस पर प्रत्यर्थी को अधिकार है।

उत्पादन करने वाली कंपनियाँ वित्तीय समायोजन प्राप्त करती हैं। प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से श्री सिंघवी ने श्री रोहतगी की दलीलों का समर्थन किया।

102. श्री सिंघवी ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के फैसले को अलग किया। अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड और

एन. आर. (ऊपर) और तर्क दिया कि इस मामले में कोई वास्तविक विवाद नहीं है। अपीलार्थी ने बिजली खरीद समझौतों के तहत अपने दायित्वों की सचेत अवहेलना में कार्य किया है। श्री सिंघवी ने भारत संघ बनाम में इस न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया। एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया & Ors.[1] जहाँ इस न्यायालय ने लाइसेंस में एक समान ब्याज खंड पर विचार किया। ब्याज खंड, जिसे इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 182 में पुनः प्रस्तुत किया गया है, में लिखा हैः

" पुनः में - ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज का शुल्क। पैरा 182। खंड 20.2 में लाइसेंस शुल्क का प्रावधान किया गया है। मामले में

15 2020 (3) एस. सी. सी. 525 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

निर्धारित शुल्क से अधिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान में किसी भी देरी का

इस अवधि में उस दर पर जुर्माना लगेगा जो भारतीय स्टेट बैंक की प्रमुख ऋण दर (पी. एल. आर.) से 2 प्रतिशत अधिक होगी। खंड 20.5 और 20.8 के अनुसार, यदि लाइसेंसधारी मांग का भुगतान नहीं करता है, तो परिणाम सामने आएंगे। ये खंड हैं -

यहाँ नीचे निकाला गया हैः

" 20.5 . देय अनुज्ञप्ति शुल्क या अनुज्ञप्ति के तहत देय किसी अन्य देय राशि के भुगतान में निर्धारित अवधि से अधिक की देरी पर उस दर पर ब्याज लगेगा जो उक्त वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुज्ञप्ति शुल्क के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक की प्रमुख ऋण दर (पी. एल. आर.) से 2 प्रतिशत अधिक होगी जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में (अर्थात् 1 अप्रैल) थी। ब्याज को मासिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए महीने के एक हिस्से को पूरे महीने के रूप में माना जाएगा।

ब्याज की गणना। एक महीने को अंग्रेजी कैलेंडर महीने के रूप में माना जाएगा।

103. श्री सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (उपरोक्त) के मामले में, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि अनुबंध अधिनियम की धारा 74 के तहत, मुआवजा केवल उचित मुआवजा होना चाहिए। इसके लिए हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड पर निर्भरता रखी गई थी। उड़ीसा राज्य ", अकबर

बदरूद्दीन गिवानी बनाम। सीमा शुल्क कलेक्टर ", जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़ ", टेकुमसेह प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, हैदराबाद ", जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम। वाणिज्यिक कर अधिकारी 20, कैलाश नाथ एसोसिएट्स बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य 2 और भारतीय केंद्रीय बैंक बनाम। रवींद्र और अन्य 2 2. तथापि, इस न्यायालय ने पाया कि सकल राजस्व की परिभाषा के संबंध में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उठाया गया विवाद, उस मामले में,

18 2003 (1) एससीसी 67 19 2004 (6) एससीसी 30

21 2015 (4) एससीसी 136 22 2002 (1) एस. सी. सी. 367 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

21] 5 एस सी आर।

वितरण अनुज्ञप्तिधारी का और निष्कर्ष निकाला कि चूंकि एक है संविदात्मक शर्त पर ब्याज लगाया और चक्रवृद्धि की जा सकती है। श्री सिंघवी ने यहाँ पुनः प्रस्तुत किए गए उक्त निर्णय के हिस्से का उल्लेख कियाः

" 192 ..... मामले का अनुपात, यह कारण के लिए आकर्षित नहीं है

कि तत्काल मामले में, यह ब्याज और जुर्माने की संविदात्मक दर है जिस पर सहमति हुई है जिसे किसी भी तरह से कठिन नहीं कहा जा सकता है। ब्याज की दर पर सहमति हो गई है और

विशेष रूप से क्योंकि यह एक राजस्व साझाकरण व्यवस्था है, और

लाइसेंसधारियों ने उनकी सचेत उपेक्षा में कार्य किया है

दायित्व। इस प्रकार उपरोक्त निर्णय के आधार पर भी, वे ब्याज और जुर्माने के साथ बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

ऐसा कोई विवेकाधिकार उपलब्ध नहीं है जब पक्षकार

डिफ़ॉल्ट रूप से सहमत हुए हैं कि कितनी राशि का भुगतान किया जाना है। यह.

स्वचालित रूप से यह पता चलता है कि यह लाइसेंसधारक द्वारा एक बार फिर से निर्धारित नहीं किया जाना है। पार्टियाँ (लाइसेंसधारक और लाइसेंसधारी) अनुबंध के नियमों और शर्तों से बाध्य हैं। ब्याज की दर या उसमें प्रदान किए गए जुर्माने को बदलने के लिए कोई सक्षम खंड नहीं है और यदि अनुमत हो, तो भी समझौते के तहत निर्धारित ब्याज या जुर्माने को बदलने के लिए नहीं कहा जाता है।

मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ।

197. यह दंडात्मक ब्याज की वसूली नहीं है जो तत्काल मामले में शामिल है। इस प्रकार, ऊपर बताए गए निर्णय के आधार पर, हम पाते हैं कि जब अनुबंध की शर्त होती है, तो ब्याज

लगाया और चक्रवृद्धि किया जा सकता है "

104. श्री सिंघवी ने कहा कि इस मामले में कोई विवाद नहीं है।

मासिक बिलों के तहत देय मूल राशि के संबंध में; और इस न्यायालय ने एकीकृत दूरसंचार प्रदाताओं के संघ में एक विचार लिया है

भारत (ऊपर) कि एस. बी. आई. पी. एल. आर. से अधिक 2 प्रतिशत के विलंबित भुगतान पर ब्याज कठिन नहीं है, इस न्यायालय के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविदात्मक रूप से सहमत ब्याज दर को कम करने का कोई मामला नहीं बनाया गया है। दूसरी ओर, तथ्यों से पता चलता है कि इस मामले में अपीलकर्ता जानबूझकर और सचेत रूप से अपने दायित्व की अवहेलना कर रहा है और केवल बिजली खरीद समझौते की शर्तों के अनुसार भुगतान में और देरी करने की

दृष्टि से एक विचार के रूप में तुच्छ विवादों को उठा रहा है। इसलिए, अपीलार्थी को कोई अनुग्रह प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

105. श्री सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के पास ब्याज देयता का भुगतान करने के लिए धन है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने स्वयं एम. ई. आर. सी. के समक्ष सभी बकाया राशि का भुगतान करने का प्रस्ताव दिया था।

1 सप्ताह के समय में उत्तरदाता संख्या 3। इसलिए अपीलार्थी आगे समय देने का हकदार नहीं है।

106. श्री सिंघवी ने कहा कि अपीलार्थी के लिए यह गलत है कि

107. श्री सिंघवी ने आगे कहा कि किसी भी मामले में, याचिका दायर करने से पहले 3 साल की अवधि से संबंधित दावे एम. ई. आर. सी. जो कि 02.12.2016 से पहले है, स्पष्ट रूप से सीमा द्वारा वर्जित है।

108. श्री सिंघवी ने अपनी दलीलों को इस दलील के साथ समाप्त किया कि अपीलार्थी द्वारा जिन विनियमों पर भरोसा किया गया था, वे शुल्क थे।

अधिनियम की धारा 62 के तहत उत्पादन स्टेशनों के लिए शुल्क के निर्धारण के उद्देश्य से एम. ई. आर. सी. द्वारा बनाए गए विनियम, जिनका इस मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है, जहां बिजली अधिनियम की धारा 63 के तहत बोली प्रक्रिया के अनुसार बिजली खरीद समझौतों को निष्पादित किया गया है। श्री सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि खरीदार के रूप में अपीलकर्ता किसी भी तरह से इस बात से चिंतित नहीं था कि प्रत्यर्थी कैसे कमी का प्रबंधन करता है।

109. श्री सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा दायर दूसरी अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए और अपीलार्थी को निर्देश दिया जाना चाहिए कि शेष राशि का भुगतान किया जाए। 48.55 करोड़ (यानी 47.79 करोड़ + रु। 0.76 अपीलार्थी के हलफनामे दिनांक 29.06.2021 I. A. No.73474/2021 के अनुसार रु. 110. प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से पेश हुए श्री विश्व मुखर्जी ने श्री रोहतगी और श्री सिंघवी द्वारा दी गई दलीलों को स्वीकार किया और यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी का यह तर्क कि पी. एल. आर. को अन्य ब्याज दर प्रणालियों से बदल दिया गया था, गलत था। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार दर और एमसीएलआर को संभावित रूप से पेश किया था। प्रत्यर्थी के उत्तर के अनुलग्नक आर-2 का उल्लेख करते हुए। 4 अपीलार्थी के स्थगन आवेदन के लिए आई. ए. 69709/2021, [2021] 5 एस. सी. आर.

श्री मुखर्जी ने बताया कि पी. एल. आर. प्रणाली अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि एस. बी. आई. तिमाही आधार पर पी. एल. आर. को अधिसूचित करना जारी रखे हुए है। 111. श्री मुखर्जी ने श्री रोहतगी और श्री सिंघवी के इस कथन को दोहराया कि आधार दर और एम. सी. एल. आर. ब्याज दर की शुरुआत की गई है।

प्रणाली बिजली खरीद समझौतों के तहत कानून में परिवर्तन का गठन नहीं करती है। श्री मुखर्जी ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 13.1 के संदर्भ में। 1 अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 4 के बीच दिनांकित 23.02.2010 समझौते के अनुसार, विधि मूल्यांकन में परिवर्तन दो चरणों वाली प्रक्रिया हैः

क) कानून घटना में परिवर्तन के रूप में वर्णित एक घटना की घटना

अनुच्छेद 13.1। 1 और;

ख) कानून में इस तरह के परिवर्तन के परिणामस्वरूप विक्रेता की लागत/राजस्व में कोई वृद्धि/कमी होनी चाहिए, अर्थात, बिजली उत्पादन कंपनी अर्थात प्रत्यर्थी सं। 4 [कला. 13.2 (ख)]।

112. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और एक अन्य बनाम अडानी पावर लिमिटेड और अन्य का उल्लेख करते हुए 2 3 श्री मुखर्जी

आर. बी. आई. अधिसूचनाओं/परिपत्रों/दिशानिर्देशों से जुड़ा नहीं है। एल. पी. एस. के भुगतान के लिए लागू ब्याज दर संविदात्मक रूप से परिभाषित है, और इससे जुड़ी हुई है - 23 . (2019) 5 एस. सी. सी. 325 (पैरा 11)

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अधिसूचित पी. एल. आर. दरें। यह किसी भी आर. बी. आई. अधिसूचना/परिपत्र/दिशानिर्देश से स्वतंत्र है। भारत संघ बनाम का हवाला देते हुए। एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया एंड अदर्स 24, श्री.

मुखर्जी ने तर्क दिया कि एक बार किसी शब्द को संविदात्मक रूप से परिभाषित करने के बाद, पक्ष इस तरह की शर्तों को बदल नहीं सकते हैं। 115. श्री मुखर्जी ने अनुच्छेद 11.3 के संदर्भ में श्री रोहतगी और श्री सिंघवी के कथन को दोहराया। 4 की परिभाषा के साथ पढ़ें

एस. बी. ए. आर., पक्षकार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित एक वर्ष की परिपक्वता वाले ऋणों के लिए लागू प्रधान ऋण दर को लागू करने के लिए सहमत हुए हैं। पक्षों ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की है कि यदि एस. बी. आई. पी. एल. आर. उपलब्ध नहीं है, तो पक्षों को ब्याज दर के लिए पारस्परिक रूप से सहमत होना होगा। इसलिए, दलों ने निगमन के सिद्धांत के अनुसार, एल. पी. एस. की गणना के लिए एक विशेष ब्याज दर शामिल की है।

सी. एल. पी. इंडिया प्राइवेट में दी गई संविदात्मक सहमति से अलग ब्याज दर की मांग करना अपीलार्थी के लिए खुला नहीं है।

सीमित वी। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और अन्य 2,5। 116. श्री मुखर्जी ने तर्क दिया कि भारतीय स्टेट बैंक, किसी भी स्थिति में, अभी भी प्रधान ऋण दर को अधिसूचित कर रहा है। श्री मुखर्जी ने प्रस्तुत किया कि

इस प्रकार अधिसूचित दर सभी मामलों और उदाहरणों पर लागू होती है, चाहे अवधि, अवधि और लेन-देन का प्रकार, जिसमें एक वर्ष की परिपक्वता के ऋण शामिल हैं।

117. श्री मुखर्जी ने आगे तर्क दिया कि बिजली खरीद

समझौते जटिल तकनीकी दस्तावेज होते हैं जिन्हें पार्टियों ने जानबूझकर निष्पादित किया होता है। बिजली खरीद की स्पष्ट शर्तें

समझौतों को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। नाभा पावर लिमिटेड बनाम का हवाला देते हुए। पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पी. एस. पी. सी. एल.) और अन्य 26, आंध्र प्रदेश पारेषण निगम लिमिटेड और अन्य बनाम। जी. एम. आर. वेमागिरी पावर जेनरेशन लिमिटेड और अन्य 27, और श्री अम्बिका मेडिकल स्टोर और अन्य। वी. सूरत पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और अन्य 28, श्री मुखर्जी ने प्रस्तुत किया कि यह तय किया गया कानून है कि अदालतें न तो अनुबंध की शर्तों को फिर से लिखेंगी और न ही प्रतिस्थापित करेंगी।

118. श्री मुखर्जी ने तर्क दिया कि यदि ब्याज दर में परिवर्तन के लिए कानून में परिवर्तन लागू किया जाता है तो यह पक्षों से संबंधित प्रावधान प्रदान करेगा।

24. 2020 (3) एस. सी. सी. 525 25. 2020 (5) एस. सी. सी. 185 (पैरा 32 और 34) 26 (2018) 11 एस. सी. सी. 508 (पैरा 45 और 72)

(2018) 3 एस. सी. सी. 716

27

28 (2020) 13 एस. सी. सी. 564 (पैरा 20)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुखर्जी ने बिजली खरीद समझौतों के अनुच्छेद 1.2.13 की ओर इशारा किया, जिसमें कहा गया है कि सभी प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए बिजली खरीद समझौतों के विभिन्न प्रावधानों को सौहार्दपूर्ण तरीके से पढ़ना और उनकी व्याख्या करनी होगी। ब्याज दर प्रणाली में परिवर्तन को कानून में परिवर्तन के रूप में मानना (पक्षकारों द्वारा परिणामों पर पारस्परिक रूप से निर्णय लेने के लिए सहमत होने के बावजूद) एस. बी. ए. आर. परिभाषा के बाद के हिस्से को अनुचित बना देगा क्योंकि केवल नियामक आयोग ही कानून के दावों में परिवर्तन का निर्णय ले सकता है। 119. श्री मुखर्जी ने प्रस्तुत किया कि आधार दर 09.04.2010 से लागू की गई थी जबकि अपीलार्थी ने सत्ता में प्रवेश किया था

22.04.2010 पर उत्तरदाता संख्या 4 के साथ खरीद समझौते और 05.06.2010 . यह इस बात को और स्थापित करता है कि पक्ष सचेत रूप से एक विशेष ब्याज दर (एस. बी. आई. पी. एल. आर.) को लागू करने के लिए सहमत हुए हैं, न कि रिजर्व को।

बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों को अधिसूचित किया।

120. Mr.Mukherjee ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान बिजली खरीद समझौता केवल उद्धृत शुल्क के आधार पर प्रतिस्पर्धी बोली के अनुसार बिजली अधिनियम की धारा 63 के तहत किया गया है। वहाँ है। कार्यशील पूंजी पर ब्याज का कोई अलग तत्व नहीं है। उत्पादन कंपनी द्वारा किए गए खर्च/लागत के बावजूद, उसे केवल बोली शुल्क प्राप्त होता है। इसलिए, यह तर्क कि उत्पादन करने वाली कंपनियां एल. पी. एस. दर और उनके द्वारा भुगतान की जा रही ब्याज दरों के बीच मध्यस्थता के कारण लाभान्वित हो रही हैं, गलत है।

121. श्री मुखर्जी ने अंततः तर्क दिया कि एपीटीईएल और एमईआरसी

उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि एल. पी. एस. का भुगतान/अधिरोपण अपीलार्थी के नियंत्रण में है। श्री मुखर्जी ने प्रस्तुत किया कि चूक होने के कारण, अपीलार्थी को अपने चूक से लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और समय पर भुगतान करने के अपने दायित्वों का पालन करने में विफलता के लिए कम दंड की मांग करनी चाहिए। चूक 2011 से 2017 के दौरान हुई थी, जिस दौरान कोई महामारी नहीं थी। अपीलार्थी ने विचाराधीन अवधि के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 5 को भुगतान की जाने वाली राशि की वसूली कर ली है। अपने शुल्क के हिस्से के रूप में इस राशि की वसूली के बावजूद, उसने जानबूझकर और जानबूझकर उत्तरदाता बिजली उत्पादन कंपनियों को इन राशि के भुगतान में देरी की। स्वीकार किए जाने के आलोक में

चूक, अपीलार्थी राहत का हकदार नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में राहत की तो बात ही छोड़िए।

122. अपीलार्थी के निवेदन के जवाब में कि

प्रत्यर्थी संख्या 2 और अन्य बिजली उत्पादन कंपनियों के पास अन्यायपूर्ण रूप से महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम था।

लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

कंपनियाँ। 124. श्री मुखर्जी ने तर्क दिया कि किसी भी स्तर पर अपीलार्थी ने इस बात से इनकार नहीं किया कि भारतीय रिजर्व बैंक पी. एल. आर. को अधिसूचित करना जारी रखे हुए है। यह केवल

इस माननीय न्यायालय के समक्ष कि अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है कि पी. एल. आर. उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी को इस विलंबित चरण में ऐसी याचिका दायर करने से रोक दिया गया है। इसके अलावा, इस तरह की याचिका तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि एस. बी. आई. पी. एल. आर. को अधिसूचित कर रहा है।

125. श्री मुखर्जी ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता देश में एकमात्र डिस्कॉम है जिसने कानून में परिवर्तन का यह दावा किया है। कोई दूसरा नहीं

महाराष्ट्र या अन्य राज्यों में डिस्कॉम ने इसे कानून में बदलाव के रूप में दावा किया है।

126. श्री मुखर्जी ने आगे कहा कि कथित वित्तीय कठिनाई की अवधि के दौरान, अपीलकर्ता ने न केवल एनटीपीसी और अन्य केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों को भुगतान किया है, बल्कि अतिरिक्त बिजली के लिए कई बिजली खरीद समझौते भी किए हैं।

127. श्री मुखर्जी ने तर्क दिया कि अपीलार्थी का यह तर्क कि महाराष्ट्र राज्य में उपभोक्ता अंततः कथित शुल्क वहन करेंगे, गलत है। एम. ई. आर. सी. प्रशुल्क विनियमों के अनुसार, केवल विवेकपूर्ण तरीके से किए गए खर्च को ही प्रशुल्क के हिस्से के रूप में दावा किया जा सकता है। में।

यदि व्यय अपीलार्थी की लापरवाही या चूक के कारण होता है, तो ऐसी राशि का दावा अपीलार्थी द्वारा शुल्क के हिस्से के रूप में नहीं किया जा सकता है। श्री मुखर्जी ने प्रस्तुत किया कि श्री सिंह का विधेयक का तर्क [2021] 5 एस. सी. आर.

छूट का इस मामले पर कोई असर नहीं है क्योंकि रतनइंडिया नहीं है। बिल छूट का लाभ उठाना।

या न्याय और अच्छा विवेक। उन्होंने तर्क दिया कि एक व्यक्ति समृद्ध होता है यदि उसे कोई लाभ प्राप्त होता है, और वह अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध होता है यदि लाभ को बनाए रखना अन्यायपूर्ण होगा। अपने तर्क के समर्थन में, सुश्री आनंद ने इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो-लीगल एक्शन बनाम का हवाला दिया। भारत संघ "। 129. एम. ई. आर. सी. के आदेश के संदर्भ में भुगतान करने के लिए अपीलार्थी पर ए. पी. टी. ई. एल. के निर्देश को उचित ठहराते हुए श्री रोहतगी ने एक

विद्युत मंत्रालय का दिनांकित कार्यालय ज्ञापन 08.03.2019,

जिसके खिलाफ अपील की गई है, उस आदेश को संशोधित करना या रद्द करना। ए. पी. टी. ई. एल. ने धारा 111 (3) के तहत अपनी शक्तियों के दायरे में कार्य करते हुए प्रत्यर्थी उत्पादक कंपनियों को एल. पी. एस. बकाया के भुगतान का निर्देश दिया। इसके अलावा, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 120 के संदर्भ में, ए. पी. टी. ई. एल. के पास अपीलार्थी को बकाया एल. पी. एस. राशि का समयबद्ध तरीके से भुगतान करने का निर्देश देने की शक्ति है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 के तहत निर्धारित सिद्धांतों को प्राप्त किया जा सके। 131. श्री रोहतगी ने तर्क दिया कि एपीटीईएल ने अपीलकर्ता को विद्युत अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विवादित निर्णय और आदेश में निर्धारित समय के भीतर एलपीएस का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए बिजली क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल उपाय करना है। श्री रोहतगी ने कहा कि यह भी बिजली की धारा 61 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप है।

29 (2011) 8 एस. सी. सी. 161 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा। समय के लिए निर्देश निर्धारित समय सीमा के भीतर बाध्य भुगतान या भुगतान सुसंगत है।

ए. पी. टी. ई. एल. के पिछले निर्णयों के साथ, जिसमें 2018 की अपील 202 में 14.09.2019 दिनांकित निर्णय भी शामिल है, जिसे जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम में इस माननीय न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था। अदानी पावर

राजस्थान लिमिटेड (ऊपर)।

135. श्री मुखर्जी ने कहा कि बिजली अधिनियम के उद्देश्यों में से एक मामलों का समयबद्ध निपटान है। यह विद्युत अधिनियम की धारा 111 (5) से स्पष्ट है। भुगतान के लिए कोई भी निर्देश, केवल इस तरह के निर्देश को आगे बढ़ाने में है।

136. श्री मुखर्जी ने आगे तर्क दिया कि विवादित निर्णय के अनुच्छेद 27 से 34 में देरी सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई है। दावों का न्यायनिर्णयन। इस मामले में, निर्णय में देरी के परिणामस्वरूप वहन लागत और एल. पी. एस. के रूप में वित्तीय प्रभाव के अलावा बिजली क्षेत्र में गंभीर तनाव पैदा हुआ है। हालाँकि, ए. पी. टी. ई. एल. ने माना कि चूंकि बिजली अधिनियम में बिजली देने का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

विद्युत नियामक आयोग को अपने आदेशों को निष्पादित करने के लिए विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। [पैरा 33 और 34 @पीजी। 22 - 24 अपील की]।

21] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

137. श्री मुखर्जी ने कहा कि यह इस माननीय न्यायालय के लिए नियामक की नियामक शक्तियों की व्याख्या करने पर विचार करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

विद्युत अधिनियम की धारा 79/86 के तहत अपने स्वयं के आदेशों को निष्पादित करने की शक्ति को शामिल करने के लिए आयोग। श्री मुखर्जी ने गुजरात ऊर्जा का हवाला दिया विकास निगम लिमिटेड बनाम। अमित गुप्ता और अन्य 3, जिसमें इस माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विधायी कार्रवाई लंबित होने पर, न्यायालय एक व्यवहार्य सूत्र तैयार कर सकते हैं जो विधान के लक्ष्यों और उद्देश्य को आगे बढ़ाता है।

138. श्री मुखर्जी ने कहा कि विद्युत अधिनियम, 2003 में नियामक आयोगों द्वारा फरमानों/आदेशों के निष्पादन पर कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन नियामक आयोगों को "अदालत" माना गया है। तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम में लिमिटेड बनाम। पी. पी. एन. पावर (ऊपर), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के पास न्यायालय के अधिकार हैं। उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" 59. कानून के उपरोक्त स्पष्ट कथन को ध्यान में रखते हुए, हम

श्री नरीमन की इस दलील को स्वीकार करेंगे कि न्यायाधिकरण जैसे कि राज्य आयोग, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच निर्णय लेने में न्यायिक कार्यों का निर्वहन करता है और राज्य को न्यायिक शक्ति का प्रयोग करता है। यह दूरगामी प्रभाव के न्यायिक कार्यों का प्रयोग करता है। इसलिए, हमारी राय में, श्री नरीमन अपनी इस दलील में सही हैं कि इसमें अदालत को फंसाना आवश्यक है। यह राज्य में एक या अधिक न्यायिक सदस्यों की उपस्थिति से ही प्राप्त किया जा सकता है।

आयोग जिसे जटिल निर्णय लेने के लिए बुलाया जाता है

संविदात्मक या दीवानी मुद्दे जो आम तौर पर दीवानी अदालत द्वारा तय किए जाते। राज्य आयोग के फैसलों के न केवल दूरगामी परिणाम होते हैं, बल्कि वे अंतिम भी होते हैं

और पक्षकारों के बीच बाध्यकारी, विषय, निश्चित रूप से, न्यायिक

समीक्षा "।

कोंडापल्ली पावर लिमिटेड और Ors.[31], जहाँ अदालत ने यह निर्णय दिया कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में उसके फैसले को देखते हुए। एस्सार पावर सीमित 3 2, आयोग को एक विकल्प का दर्जा दिया गया है

30. (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन 194 (पैरा 142 और 188) 3 1. (2016) 3 एस. सी. सी. 468

(2008) 4 एस. सी. सी. 755 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

लाइसेंसधारियों और उत्पादन कंपनियों के बीच सभी विवादों के संबंध में सिविल न्यायालय के लिए।

140. यह कानून की एक स्थिर स्थिति है कि न्यायालयों को अपने आदेशों को निष्पादित करने की शक्ति है। उपरोक्त स्थिति की पुष्टि की गई है

कर्नाटक राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय बनाम। विश्वभारती हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और अन्य 3 3.

141. श्री मुखर्जी ने तर्क दिया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की व्याख्या कदमों से निष्पादित करने की शक्ति को शामिल करने और शामिल करने के लिए की जानी चाहिए

जैसे खातों की कुर्की, लाइसेंस का निलंबन/रद्द करना आदि। श्री मुखर्जी ने आगे तर्क दिया कि विद्युत नियामक आयोगों की भूमिका और कार्य को केवल 'दीवानी अदालतों' के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। सिविल न्यायालयों के विपरीत जो केवल अधिकार क्षेत्र ग्रहण करते हैं

जब कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो नियामक आयोगों के पास लाइसेंसधारियों पर एक व्यापक नियामक शक्ति होती है। नियामक आयोग विशेष रूप से शुल्क पर पक्षों (लाइसेंसधारियों) पर निरंतर नियामक पर्यवेक्षण करना जारी रखते हैं। अपने निवेदन के समर्थन में श्री मुखर्जी ने अखिल भारतीय पावर इंजीनियरिंग फेडरेशन और अन्य का हवाला दिया। बनाम सासण पावर लिमिटेड और अन्य 34. यह पैसे के लिए कैरी कॉस्ट/साइन वैल्यू के रूप में वित्तीय दायित्व का दुरुपयोग करके सार्वजनिक हित की रक्षा करते हुए क्षेत्र की वित्तीय सेहत की रक्षा करेगा। यह दृष्टिकोण विद्युत अधिनियम, 2003 की प्रस्तावना के अनुरूप भी है, जिसमें कहा गया है कि इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए बिजली क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल उपाय करना है।

142. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के निर्णय को अलग करते हुए। अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड (ऊपर) श्री रोहतगी ने तर्क दिया कि उस मामले में शामिल मुद्दा वह दर थी जिस पर वहन लागत पर ब्याज का भुगतान किया जाना था। जबकि एल. पी. एस. के लिए बिजली खरीद समझौते में एक विशिष्ट दर निर्धारित की गई है, विलंबित भुगतान पर ब्याज

बिजली खरीद समझौते में वहन लागत का उल्लेख नहीं है। इसलिए, ए. पी. टी. ई. एल. ने निर्देश दिया कि विलंबित भुगतान के लिए शुल्क

वहन लागत का भुगतान एल. पी. एस. के समान दर पर किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही धन के समय मूल्य के लिए हैं। अपील में इसका विरोध किया गया था। इस न्यायालय ने मामले के तथ्यों की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए, जहां बिजली उत्पादक बिल उठाने में असमर्थ था, जबकि बिजली उत्पादक द्वारा उठाए गए कानून में बदलाव का सवाल एम. ई. आर. सी. के समक्ष निर्णय के लिए लंबित था और ए. पी. टी. ई. एल. ने वहन लागत पर ब्याज की दर को कम कर दिया था।

33 . (2003) 2 एस. सी. सी. 412 (पैरा 59 से 62) 34. (2017) 1 एस. सी. सी. 487 (पैरा 31)

9 प्रतिशत तक। श्री रोहतगी ने कहा कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में विलंब भुगतान अधिभार के संबंध में कोई विवाद नहीं था। 143. श्री सिंघवी ने यह भी प्रस्तुत किया कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम। अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड (ऊपर) विशिष्ट था। में।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ऊपर), आयातित कोयले की लागत के लिए कानून के दावों में बदलाव किया गया था, जो जनरेटर द्वारा किए गए थे

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस आधार पर विवाद किया गया कि स्वयं उत्पादक द्वारा प्रस्तुत बोली आयातित कोयले पर आधारित थी। चूंकि पहली बार में वितरण लाइसेंसधारी द्वारा मूल दावे पर विवाद किया गया था, इसलिए जनरेटर कानूनी मुआवजे में बदलाव के लिए कोई पूरक बिल नहीं उठा सका।

144. इसके विपरीत, इस मामले में जिन बिलों के भुगतान में देरी हुई है, वे ऊर्जा बिल हैं, जो बिजली की आपूर्ति से संबंधित हैं। अपीलार्थी; और अपीलार्थी द्वारा खुदरा शुल्क के भुगतान के विरुद्ध अपने उपभोक्ताओं को आगे आपूर्ति की गई। दूसरा, प्रत्यर्थी उत्पादक कंपनियों द्वारा उठाए गए ऊर्जा बिलों पर अपीलार्थी द्वारा कभी विवाद नहीं किया गया है। ए. पी. टी. ई. एल. ने पैराग्राफ 24 में दिए गए अपने फैसले और आदेश में इस पर विधिवत ध्यान दिया है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

24. यह प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं (जनरेटर) द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

कि 01.07.2010 और के बीच की अवधि के लिए समय पर भुगतान में चूक के कारण अपीलार्थी का एल. पी. एस. दायित्व

31.03.2017 क्रिस्टलीकृत था और दर के बारे में विवाद था

इसे और परेशान करने के लिए एल. पी. एस. बढ़ा दिया गया था। इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि अपीलार्थी ने पी. पी. ए. के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी मासिक बिल या पूरक बिल पर विवाद नहीं किया था। यह प्रस्तुत किया गया

मांगें अंतिम और निर्णायक हो गई हैं। सी. आई. एल. की याचिका के आधार पर नोटिस 2016 में जारी किया गया था, यह मुद्दा 5 साल से लंबित था, जिससे उत्पादकों को हुए नुकसान के मुआवजे से वंचित कर दिया गया था। एल. पी. एस. का भुगतान तभी शुरू किया जाता है जब एम. एस. ई. डी. सी. एल. द्वारा चूक की जाती है। एलपीएस है

पी. पी. ए. एस. के तहत लगाया जाता है जिसे एम. एस. ई. डी. सी. एल. द्वारा विधिवत निष्पादित किया गया था। इन परिस्थितियों में, यह प्रोजेक्ट करना अनुचित है

अतिरिक्त बोझ के रूप में एल. पी. एस. के प्रति बकाया देयता

एम. एस. ई. डी. सी. एल. पर रखा जा रहा है।

145. श्री मुखर्जी ने प्रस्तुत किया कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम में निर्णय।

अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड (ऊपर) महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम का मुकाबला करेगी। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

यह गलत धारणा है कि एल. पी. एस. की दर 9 प्रतिशत तक सीमित होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि निर्णय पर अपीलार्थी की निर्भरता निम्नलिखित कारणों से वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं होती हैः

((i)

मामला कानून के दावे में बदलाव से संबंधित था जिसकी आवश्यकता थी राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा पूर्व निर्णय। भुगतान करने की देनदारी तभी उत्पन्न हुई जब ए. पी. टी. ई. एल. ने राजस्थान वितरण कंपनियों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और कानूनी राशि में परिवर्तन के भुगतान का निर्देश दिया। अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड [पारस 24,70 और 73] को।

((ख)

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ऊपर) में निर्णय

यह राजस्थान वितरण कंपनियों द्वारा देय लागत वहन करने के संदर्भ में है न कि एल. पी. एस. के संदर्भ में। यह निर्णय के पैराग्राफ 62,69,70,71 और 73 से स्पष्ट है। एल. पी. एस. दर को वहन लागत दर निर्धारित करने के लिए संदर्भित किया जाता है जो दावों के निर्णय में अत्यधिक देरी और अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड की निर्णय होने तक बिल जुटाने में असमर्थता को देखते हुए लागू होगी।

पूरा किया।

(iii)

इस माननीय न्यायालय ने तथ्यों में ब्याज दर को सीमित कर दिया उस मामले में और पूर्ण न्याय करने के लिए। वितरण लाइसेंसधारी, जयपुर की ओर से कोई चूक नहीं हुई थी

विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

((iv) इस मामले में, अपीलार्थी ने स्वीकार किया है कि उसने देरी की है।

भुगतान करें। मासिक बिलों के भुगतान से पहले किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं थी। अतः यह निर्णय लागू नहीं होता है। एल. पी. एस. दर में कमी के परिणामस्वरूप अपीलार्थी को पुरस्कृत किया जाएगा।

बार-बार अपने दायित्वों में चूक करने के लिए।

146. श्री रोहतगी, श्री सिंघवी, श्री मुखर्जी और सुश्री आनंद सभी ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम. अदानी पावर

राजस्थान लिमिटेड (ऊपर), इस न्यायालय ने पूर्ण न्याय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एस. बी. ए. आर. की ब्याज दर को घटाकर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक नहीं कर दिया था, जिसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाना था। किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने का निर्देश दिया जाता है।

एक मिसाल के रूप में काम नहीं करते हैं। 147. यह अपील विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 के तहत है जो सुविधा के लिए नीचे दी गई हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 125. सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। - अपीलीय न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उस तारीख से साठ दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

अपीलीय के निर्णय या आदेश के संचार का

न्यायाधिकरण, उसे, निर्दिष्ट किसी एक या अधिक आधार पर

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 में:

बशर्ते कि उच्चतम न्यायालय, यदि यह संतुष्ट हो कि

अपीलार्थी को दाखिल करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था उक्त अवधि के भीतर अपील, इसे एक के भीतर दायर करने की अनुमति दें

आगे की अवधि साठ दिनों से अधिक नहीं होगी।

148. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सी. पी. सी.) की धारा 100 में उल्लिखित आधारों पर ही धारा 125 के तहत इस न्यायालय में अपील की जाती है। सी. पी. सी. के 100 पर नीचे दिया गया है:

" 100. दूसरी अपील। - (1) इस संहिता के मुख्य भाग में या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, किसी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।

उच्च न्यायालय, यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि मामला

इसमें कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। (2) इस धारा के तहत अपीलीय याचिका दायर की जा सकती है।

(4) जहाँ उच्च न्यायालय का समाधान होता है कि एक सारवान कानून का प्रश्न किसी भी मामले में शामिल है, यह उस प्रश्न को तैयार करेगा।

(5) इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर अपील की सुनवाई की जाएगी और प्रत्यर्थी को अपील की सुनवाई में यह तर्क देने की अनुमति दी जाएगी कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल नहीं है: बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई भी बात न्यायालय द्वारा प्रणीत नहीं किए गए कानून के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील की सुनवाई करने की न्यायालय की शक्ति को, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, छीनने या कम करने के लिए नहीं मानी जाएगी, यदि यह संतुष्ट है कि -

इस मामले में ऐसा सवाल शामिल है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

149. जैसा कि इस न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक और अन्य मामलों में अभिनिर्धारित किया है। वी. श्री सिंह द्वारा उद्धृत एस. एन. गोयल (उपर्युक्त) ने कहा कि "कानून का सारवान प्रश्न" शब्द का अर्थ न केवल सामान्य महत्व का कानून का सारवान प्रश्न है, बल्कि उन पक्षों के बीच किसी मामले में उत्पन्न होने वाले कानून का कोई सारवान प्रश्न भी है, जिस पर न्यायालय में निर्णय निर्भर करता है। कानून का एक सवाल जो संयोग से या संपार्श्विक रूप से उत्पन्न होता है और जिसका अंतिम परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल नहीं होगा। क्या उठाया गया प्रश्न कानून का प्रश्न है और यदि ऐसा है, तो क्या यह प्रश्न कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी मामले में शामिल दांव की विशालता से निर्धारित नहीं होता है। 150. नजीर मोहम्मद बनाम। जे. कमला और अन्य (ऊपर), जिनका श्री सिंह ने भी हवाला दिया है, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि "सारवान" होने के लिए, कानून का प्रश्न बहस योग्य होना चाहिए, जो पहले देश के कानून द्वारा हल नहीं किया गया था या

कोई बाध्यकारी पूर्ववर्ती, और मामले के निर्णय और/या उसके सामने पक्षों के अधिकारों पर एक सामग्री असर होना चाहिए, अगर दोनों में से कोई भी जवाब दिया जाए

रास्ता। 151. नजीर मोहम्मद बनाम में निर्धारित कानून का प्रस्ताव। जे. कमला और अन्य (ऊपर) और भारतीय स्टेट बैंक बनाम। एस. एन. गोयल

(सुप्रा) अच्छी तरह से व्यवस्थित है। हालाँकि, उपरोक्त निर्णय श्री सिंह के इस तर्क का समर्थन नहीं करते हैं कि इस अपील में शामिल कानून का एक बड़ा सवाल है। बल्कि, निर्णय समर्थन देते हैं

152. विद्युत अधिनियम की धारा 125 को सी. पी. सी. की धारा 100 के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने पर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस न्यायालय में अपील कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर आधारित है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 के तहत एक अपील पर विचार करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त एक महत्वपूर्ण प्रश्न का अस्तित्व है। 153. डी. एस. आर. स्टील (पी) लिमिटेड बनाम श्री सिंघवी द्वारा उद्धृत राजस्थान राज्य (ऊपर), इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 14. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 के तहत एक अपील केवल सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 में निर्दिष्ट आधारों पर इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय है। सी. पी. सी. की धारा 100 बदले में केवल तभी अपील दायर करने की अनुमति देती है जब मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो। तथ्यों के निष्कर्ष

निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा अभिलिखित, जो वर्तमान मामले में, विनियामक आयोग को पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के न्यायालय के रूप में सूचित करेगा।

21] 5 एस सी आर।

और अपीलीय न्यायाधिकरण पहली सुनवाई करने वाले न्यायालय के रूप में

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 के तहत अपील को इस न्यायालय के समक्ष फिर से नहीं खोला जा सकता है। जिस तरह उच्च न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत दूसरी अपील में नीचे दी गई अदालतों द्वारा दर्ज तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उसी तरह यह न्यायालय भी समवर्ती को किसी भी चुनौती पर विचार करने के लिए अनिच्छुक होगा।

द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष

विनियामक आयोग और अपीलीय न्यायाधिकरण। द.

इस मुद्दे पर इस न्यायालय के निर्णय एक सेना हैं। गोविंदराजू बनाम का संदर्भ। मरियममान [(2005) 2 एस. सी. सी. 500 ए. आई. आर. 2005 एस. सी.

1008] , हरि सिंह बनाम। कन्हैया लाल [(1999) 7 एस. सी. सी. 288: एयर

1999 एस. सी. 3325], रामास्वामी कलिंगयार बनाम। मथायन

पदायाची [1992 पूरक

(1) एससीसी 712: ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 115], केहर सिंह बनाम। यश पाल [ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 2212] और बिस्मिल्लाह बेगम बनाम। रहमतुल्लाह खान [(1998) 2 एससीसी 226: ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 970] हालांकि, पर्याप्त होना चाहिए।

154. वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड बनाम। महाराष्ट्र राज्य

विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (ऊपर) ने भी श्री सिंघवी द्वारा उद्धृत किया, इस न्यायालय ने कहाः

" 5. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 के तहत, इस न्यायालय में अपील केवल तभी होती है जब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के तहत दूसरी अपील के लिए आवश्यक कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। हालाँकि अपीलार्थी ने 34 प्रश्न उठाए हैं, लेकिन वे वास्तव में हमला करने के लिए आधार हैं।

अपीलीय आदेश। आदेश पर हमला करने के लिए आधार हैं

में विकसित कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न से अलग

अपील करें। समझौते के निर्वाह के दौरान पक्षों के बीच पत्राचार की सराहना पर, आयोग और अपीलीय न्यायाधिकरण दोनों ने इसके खिलाफ निर्णय लिया है

अपीलार्थी। '

155. तुप्पडाहल्ली एनर्जी इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग और एएनआर। (उपर्युक्त), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग और ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा बिजली खरीद राज्य विद्युत वितरण आयोग के खंड 6 (5) की व्याख्या में लिया गया दृष्टिकोण।

लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]एक प्रोत्साहन के रूप में, एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण होने के नाते, धारा 125 के तहत हस्तक्षेप करने के लिए कानून का कोई विरोधी प्रश्न नहीं था।

व्याख्यान अधिनियम।

156. रामानुज नायडू बनाम। वी कन्नैया नायडू और अन्य 3,

श्री रोहतगी द्वारा इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 7. 1976 में धारा के संशोधन से पहले ही सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के दायरे को मुल्ला की सिविल प्रक्रिया संहिता (15 वीं संस्करण) में बड़े करीने से संक्षेपित किया गया है। ,

खण्ड. I) पी पर। 703. उसमें इस प्रकार लिखा है-- " यह धारा अपने हाल के संशोधन से पहले भी केवल निर्धारित आधारों पर दूसरी अपील की अनुमति देती थी

खंड (ए), (बी) या (सी) में बाहर। इसलिए, जबकि प्रथम अपील न्यायालय तथ्य के प्रश्नों में प्रवेश करने के लिए सक्षम है और

अपने लिए तय करें कि क्या निम्न द्वारा तथ्य के निष्कर्ष

न्यायालय गलत हैं या नहीं हैं, दूसरी अपील का न्यायालय

निम्न न्यायालय द्वारा तथ्य के निष्कर्ष की दृढ़ता के बारे में प्रश्न पर विचार करने के लिए सक्षम नहीं था और सक्षम नहीं है। तदनुसार, दूसरी अपील केवल एक या दूसरे पर हो सकती है।

खंड में निर्दिष्ट आधार। .....

8. मदामांची रामप्पा बनाम। मुतालुर बोजप्पा [(1964) 2 एस. सी. आर. 673 ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1633] ने तीन सदस्यीय पीठ, जे. गजेंद्रगडकर, की ओर से बोलते हुए कानून का सारांश दिया।

इस प्रकारः (एससीआर पीपी। 683-85)

" प्रदत्त शक्तियों की सीमाओं के बारे में प्रश्न

दूसरी अपीलों से निपटने में उच्च न्यायालय पर किया गया है भारत में उच्च न्यायालयों और कई अवसरों पर प्रिवी काउंसिल द्वारा विचार किया गया। की प्रारंभिक घोषणाओं में से एक

इस मुद्दे पर प्रिवी काउंसिल दुर्गा चौधरीन के मामले में पाई जाती है [17 आई. ए. 122: आई. एल. आर. (1891) 18 कैल 23 (पी. सी.)]। देवता पट्टाभिरामस्वामी बनाम के मामले में। एस. हैनमय्या [ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 57 1958 ए. आई. आर. एल. टी. 834], इस न्यायालय ने

प्रिवी काउंसिल के उक्त निर्णय को संदर्भित करने का अवसर

और यह अवलोकन करने के लिए विवश था कि 'के दायरे पर इस तरह के स्पष्ट और आधिकारिक घोषणाओं के बावजूद

धारा 100, सी. पी. सी. के प्रावधान, के कुछ विद्वान न्यायाधीश

उच्च न्यायालय दूसरी अपीलों का निपटारा कर रहे हैं जैसे कि वे पहली अपील हों। यह इस तथ्य के अलावा पेश करता है कि उच्च न्यायालय एक अधिकार क्षेत्र को मानता है और प्रयोग करता है जो उसके पास नहीं है, मुकदमेबाजी में एक जुआ तत्व और वादी जनता के मन में भ्रम। इस आधार पर, इस न्यायालय ने दूसरे अपीलीय निर्णय को दरकिनार कर दिया जो था

अपीलार्थियों द्वारा इसके समक्ष लाया गया।

आर. रामचंद्रन अय्यर बनाम। रामलिंगम चेट्टियार [(1963) 3 एससीआर 604: ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 303], इस न्यायालय को एक बार फिर उसी विषय पर लौटने का अवसर मिला। धारा 100 के तहत दूसरे अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के संबंध में वास्तविक कानूनी स्थिति की एक बार फिर जांच की गई और यह बताया गया कि उच्च न्यायालयों के विद्वान न्यायाधीशों को दुर्गा चौधरी के मामले में प्रिवी काउंसिल द्वारा घोषित सावधानी और चेतावनी को ध्यान में रखना चाहिए और तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि देवता में इस न्यायालय का निर्णय

पट्टाभिरामस्वामी, वास्तव में विद्वानों से पहले उद्धृत किया गया था

एकल न्यायाधीश, लेकिन वह यह विचार रखने के लिए इच्छुक थे कि संहिता की धारा 100 में निहित प्रावधानों के कुछ पहलुओं पर इस न्यायालय द्वारा विधिवत विचार नहीं किया गया था और इसलिए, उन्होंने सोचा कि वर्तमान अपील में नीचे दिए गए न्यायालयों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना उनके लिए खुला है। विद्वान न्यायाधीश के अनुसार, यह दूसरे अपीलीय न्यायालय के लिए खुला है कि वह जिला न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप कर सकता है, न केवल जहां उक्त निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं, बल्कि वहां भी जहां उक्त निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित हैं जिन्हें उच्च न्यायालय उनका समर्थन करने के लिए अपर्याप्त मानता है।

दूसरे शब्दों में, विद्वान न्यायाधीश यह सोचते प्रतीत होते हैं कि किसी निष्कर्ष को बनाए रखने के लिए साक्ष्य की पर्याप्तता या पर्याप्तता वास्तव में यह कानून का मामला है जिसे दूसरी अपील में प्रभावी ढंग से उठाया जा सकता है। हमारी राय में, यह स्पष्ट रूप से वास्तविक कानूनी स्थिति की गलत धारणा है। साक्ष्य की स्वीकार्यता निस्संदेह कानून का एक बिंदु है, लेकिन एक बार यह दिखाया जाता है कि साक्ष्य

तथ्य की जिन अदालतों ने कार्रवाई की है, वे स्वीकार्य और प्रासंगिक हैं, यह निष्कर्षों से व्यथित महसूस करने वाले पक्ष के लिए खुला नहीं है

तथ्य की अदालतों द्वारा दूसरी अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क देने के लिए अभिलिखित किया गया है कि उक्त साक्ष्य पर्याप्त नहीं है।

लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

विचाराधीन तथ्य के निष्कर्षों को उचित ठहराने के लिए। यह हमेशा माना गया है कि तथ्य के निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए साक्ष्य की पर्याप्तता या पर्याप्तता अदालत के निर्णय का विषय है।

तथ्यों की और दूसरी अपील में उत्तेजित नहीं किया जा सकता है। कभी-कभी, इस स्थिति को यह कहकर व्यक्त किया जाता है कि तथ्य के सभी प्रश्नों की तरह, किसी मामले के समर्थन में साक्ष्य की पर्याप्तता या पर्याप्तता को भी जूरी पर उसके फैसले के लिए छोड़ दिया जाता है। इस स्थिति को हमेशा असहमति के बिना स्वीकार किया गया है और यह बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि यह उचित रूप से क्या हो सकता है

एक प्राथमिक प्रस्ताव के रूप में वर्णित। इसलिए,

जब भी इस न्यायालय का समाधान होता है कि दूसरी अपील पर विचार करने में, उच्च न्यायालय ने या तो अनजाने में और आकस्मिक तरीके से, या जानबूझकर, जैसा कि इस मामले में है, धारा 100 द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन किया है, तो यह इस न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है कि वह हस्तक्षेप करे और उक्त प्रावधानों को प्रभावी बनाए। यह हो सकता है कि कुछ मामलों में, उच्च न्यायालय दूसरे मामले से निपट रहा हो।

अपील इस दृष्टिकोण को लेने के लिए इच्छुक है कि जिसे वह मामले का न्याय या निष्पक्षता मानता है, वह तथ्य की अदालतों द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्षों द्वारा पूरा नहीं किया गया है; लेकिन ऐसे अवसरों पर यह याद रखना आवश्यक है कि अदालतों में जो प्रशासित किया जाता है वह कानून के अनुसार न्याय है और निष्पक्षता और निष्पक्षता चाहे जितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, उन्हें कानून के स्पष्ट और स्पष्ट प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। यदि दूसरी अपीलों में अपने निर्णयों तक पहुँचने में, उच्च न्यायालय धारा 100 के स्पष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह अनिवार्य रूप से ऐसे निर्णयों में परेशान करने वाले तत्व को शामिल करेगा।

अप्रत्याशितता जो आमतौर पर जुए से जुड़ी होती है और यह एक ऐसी निंदा है जिससे न्यायिक प्रक्रिया को लगातार और ईमानदारी से बचने का प्रयास करना चाहिए।

9. दूध नाथ पांडे बनाम। सुरेश चंद्र भट्टसाली [(1986) 3 एस. सी. सी. 360], इस न्यायालय की एक पीठ ने अभिनिर्धारित किया किः (एस. सी. सी. हेडोन P.360)

" उच्च न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय के तथ्य के निष्कर्षों को दरकिनार नहीं कर सकता है और इस पर एक अलग निष्कर्ष पर नहीं आ सकता है। साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन "।

10. इस न्यायालय के असंख्य बाद के निर्णय हैं जिन्होंने माना है कि तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष

निचली अदालत और प्रथम अपीलीय अदालत को [2021] एस. सी. आर. में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए। (देखिएः कमला देवी बुधिया बनाम। हेम प्रभा गांगुली [(1989) 3 एस. सी. सी. 145], रहेजो देवी बनाम। मोहरम अली [(1988) 1 एस. सी. सी. 372], पी. वेलायुधन बनाम। कुरुनगोट

इम्बिचिया मोइदु के बेटे अयमाद [1990 सप एस. सी. सी. 9], आदि। 11. हमारा विचार है कि निचली अदालतों के तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करते हुए, विद्वान

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इससे अधिक कार्य किया

सिविल की धारा 100 के तहत उस पर अधिकारिता निहित है।

प्रक्रिया संहिता। विद्वान न्यायाधीश ने अपने काम में पूरी तरह से गलती की

पूरे प्रश्न के लिए दृष्टिकोण और पुनर्मूल्यांकन और पूरे साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करना और उस पर विचार करना

मामले की संभावनाएँ, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णय 'विकृत' हैं और वादी संपत्ति के अनुरूप स्वामित्व की घोषणा और संपत्ति की वसूली का हकदार है। अधिकार।

157. नवनीथम्मल बनाम। अर्जुन चेट्टी ", इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निम्नलिखित न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप होना चाहिए

सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत टाल दिया जाता है जब तक कि बाध्यकारी द्वारा वारंट नहीं किया जाता है

कारणों से। किसी भी मामले में, इस न्यायालय से साक्ष्य की फिर से सराहना करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

158. श्री विकास सिंह द्वारा उठाए गए कानून के सवाल, जो पैराग्राफ 15 में ऊपर दिए गए हैं, उनमें कोई सामग्री नहीं होगी।

159. इस अपील में एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या परिवर्तन बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाए गए ब्याज के संबंध में लागू होता है। प्रधान ऋण दर से आधार दर और फिर एम. सी. एल. आर. बिजली खरीद समझौते के संदर्भ में कानून में परिवर्तन के बराबर है, और यदि ऐसा है, तो क्या इस अपील में शामिल कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसा कि श्री सिंह ने अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया था। यह इस न्यायालय के लिए नहीं है कि वह नीचे दिए गए मंचों के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करे या तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों पर अपील करे।

160. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना कानून का गठन करती है। भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना जो

पहले की अधिसूचना को बदल, संशोधित, रद्द या प्रतिस्थापित करता है

36 (1996) 6 एस. सी. सी. 166 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

यह कानून में बदलाव के बराबर है। हालाँकि, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रभार्य ऋण दरों में परिवर्तन से संबंधित अधिसूचना ऐसे कानून नहीं हैं जो विचाराधीन बिजली खरीद समझौतों से संबंधित हैं।

और इसलिए, जैसा भी मामला हो, चरण 1 समझौतों के अनुच्छेद 13 या चरण 2 समझौतों के अनुच्छेद 10 को आकर्षित नहीं करते हैं। 161. ऊपर उल्लिखित आर. बी. आई. के परिपत्र/दिशानिर्देश बैंकों और वित्तीय संस्थानों को जारी किए गए निर्देश हैं और लागू नहीं होते हैं।

अपीलार्थी या प्रत्यर्थी को-बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियाँ, जो बिजली के उत्पादन, बिक्री/खरीद और/या वितरण के व्यवसाय में लगी हुई हैं, न कि अग्रिम ऋण के। इसके अलावा, बिजली खरीद समझौतों में परिभाषित एस. बी. ए. आर. निश्चित रूप से किसी भी आर. बी. आई. दिशानिर्देशों या परिपत्रों से जुड़ा नहीं है। इस प्रकार दिशानिर्देश/परिपत्र इस अपील में शामिल मुद्दों के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

162. जैसा कि बिजली पैदा करने वाली कंपनियों की ओर से पेश वकीलों द्वारा सही तर्क दिया गया है, बैंकों को दिए गए भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र/दिशा-निर्देश, जिसमें बैंकों को ऋणों के लिए अपनी बेंचमार्क संदर्भ दर निर्धारित करते समय कुछ मानदंडों का पालन करने की सलाह दी गई है, और उसमें किए गए संशोधनों का पक्षों के बीच अनुबंध पर कोई कानूनी परिणाम नहीं है। इसे नीचे दिए गए दोनों मंचों द्वारा सही ढंग से सराहा गया है।

163. बी. ओ. आई. फाइनेंस लिमिटेड बनाम अभिरक्षक और ओआरएस। (ऊपर) इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों/निर्देशों/दिशानिर्देशों के परिणामस्वरूप बैंक और किसी तीसरे पक्ष के बीच भी अनुबंध अमान्य नहीं हो सकता है और उल्लंघन के लिए परिणाम जुर्माना है जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 46 में प्रावधान किया गया है। इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र/दिशानिर्देश दो पक्षों के बीच अनुबंध को बदल या संशोधित नहीं कर सकते हैं।

164. जैसा कि प्रत्यर्थी-बिजली पैदा करने वाली कंपनियों की ओर से पेश वकील द्वारा बताया गया है और अपीलकर्ता की ओर से स्वीकार किया गया है, एस. बी. आई. अपने ऋणों के लिए प्रधान ऋण दरों को अधिसूचित कर रहा है और अधिसूचित करना जारी रखता है। अपीलार्थी ने स्वयं अपने आवेदन में 2010 से अब तक एस. बी. आई. द्वारा अधिसूचित औसत पी. एल. आर. 2021 की आई. ए. संख्या 69796 दी है। इसलिए, बिजली खरीद समझौते के अनुसार विलंबित भुगतान अधिभार की गणना एस. बी. आई. द्वारा अधिसूचित प्रधान ऋण दर से 2 प्रतिशत अधिक की दर से की गई है।

165. ए. पी. टी. ई. एल. के विवादित निर्णय और आदेश के पैराग्राफ 12 से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष स्वीकार किया है।

कि एस. बी. आई. ने आज तक पी. एल. आर. दरें जारी करना जारी रखा है। विवादित निर्णय और आदेश का प्रासंगिक हिस्सा नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" ..... यह उचित रूप से स्वीकार किया जाता है कि एस. बी. आई. पी. एल. आर. जारी करना जारी रखता है।

अब तक की दरें।

166. एस. बी. ए. आर. की परिभाषा स्पष्ट है और सही ढंग से लागू की गई है।

नीचे दिए गए दोनों मंचों द्वारा। इस तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष हैं कि एस. बी. आई. पी. एल. आर. (यानी पी. पी. ए. में उल्लिखित बेंचमार्क संदर्भ दर) अभी भी प्रकाशित किया जा रहा है और उपलब्ध है। विद्युत अधिनियम की धारा 125 के तहत दूसरी अपील के इस चरण में न्यायालय इस तथ्यात्मक प्रश्न को फिर से नहीं खोल सकता है कि क्या एस. बी. आई. द्वारा अल्पकालिक ऋणों के लिए पी. एल. आर. दरों को अधिसूचित किया जा रहा था।

167. इसलिए, जैसा कि प्रत्यर्थी-बिजली पैदा करने वाली कंपनियों की ओर से प्रस्तुत किया गया है, इसमें शामिल कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं है

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 के तहत दायर इस अपील में।

168. जैसा कि श्री सिंघवी, श्री रोहतगी और अन्य वकीलों ने तर्क दिया, बिजली खरीद समझौतों में एस. बी. ए. आर. की परिभाषा स्पष्ट है। एस. बी. ए. आर. भारतीय स्टेट बैंक (एस. बी. आई.) द्वारा एक वर्ष की परिपक्वता वाले ऋणों के लिए समय-समय पर निर्धारित प्रति वर्ष प्रधान ऋण दर है। एल. पी. एस. की गणना एस. बी. आई. द्वारा समय-समय पर निर्धारित एक वर्ष की परिपक्वता वाले ऋणों के लिए पी. एल. आर. से 2 प्रतिशत अधिक की दर से की जानी है। इसके अलावा, दोनों पक्ष सचेत रूप से इस बात पर सहमत हुए हैं कि इस तरह की दर के अभाव में, एल. पी. एस. दर पर दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से सहमत होंगे।

169. श्री रोहतगी, श्री सिंघवी और श्री मुखर्जी ने तर्क दिया कि किस उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश/परिपत्र जारी किए गए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक या ऋण और अग्रिम पर ब्याज दरों पर उनका प्रभाव, इस अपील के लिए प्रासंगिक नहीं है।

170. बिजली खरीद समझौते में प्रावधान, जिसके तहत पक्षों को ब्याज की दर पर पारस्परिक रूप से सहमत होना है, यदि कोई एस. बी. आई. प्रधान ऋण दर नहीं है, तो अपने आप में शक्ति के अनुच्छेद 13 में निहित कानून में परिवर्तन के लिए सामान्य प्रावधान की प्रयोज्यता को शामिल नहीं करता है।

देर से भुगतान अधिभार के लिए खरीद समझौता।

171. अदानी पावर (मुंद्रा) लिमिटेड बनाम। गुजरात विद्युत नियामक आयोग (ऊपर), इस न्यायालय ने पाया किः

" 38. वर्तमान मामले में, विभिन्न अनुच्छेदों के अवलोकन से पता चलेगा कि अनुच्छेद 14 के तहत प्रावधान सामान्य हैं

प्रकृति। अनुच्छेद 3.4 के तहत प्रावधान। 2 विशिष्ट है, केवल किसी के साथ गैर-अनुपालन के मामले में लागू किया जाना है

अनुच्छेद 3.1 के तहत प्रदान की गई शर्तें।

2 ..... " महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

172. एपीटीईएल ने सही पाया किः

" 13 ..... इसके विपरीत, एल. पी. एस. की गणना करते समय लागू की जाने वाली दर में किसी भी स्वतः संज्ञान परिवर्तन के बारे में एक सचेत बहिष्कार है, इस धारणा पर बहस करना गलत है कि अनुबंध प्रणाली में स्वचालित परिवर्तन की अनुमति देता है।

173. यह न्यायालय श्री सिंह की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ है कि ए. पी. टी. ई. एल. का यह निष्कर्ष कि एल. पी. एस. शुल्क नहीं है, गलत है। अभिव्यक्ति शुल्क के अर्थ पर विचार किया जाना चाहिए, और बिजली खरीद समझौतों के प्रासंगिक प्रावधान के संदर्भ में ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा उचित रूप से विचार किया गया है। शुल्क का शब्दकोश अर्थ शुल्क हो सकता है। हालांकि, चरण 1 के अनुच्छेद 13 और चरण 2 बिजली खरीद समझौतों के अनुच्छेद 10 में, शुल्क का अर्थ है मासिक शुल्क और कानून में बदलाव के परिणामस्वरूप शुल्क समायोजन, बिजली की आपूर्ति के संबंध में मासिक शुल्क का है।

174. जैसा कि प्रत्यर्थी द्वारा तर्क दिया गया-श्री रोहतगी, श्री सिंघवी, श्री मुखर्जी और सुश्री के माध्यम से पेश होने वाली बिजली उत्पादन कंपनियाँ।

175. एल. पी. एस. का उद्देश्य खरीदार यानी अपीलार्थी द्वारा शुल्क के समय पर भुगतान को लागू करना और/या प्रोत्साहित करना है। दूसरे शब्दों में, एल. पी. एस. खरीदार को शुल्क के भुगतान में देरी करने से रोकता है। एल. पी. एस. की दर का शुल्क पर कोई प्रभाव या प्रभाव नहीं पड़ता है। एल. पी. एस. की दरों के आधार पर परिवर्तन उस दर को प्रभावित नहीं करते हैं जिस पर बिजली खरीद समझौतों के तहत बिजली बेचने और खरीदने पर सहमति हुई थी। बिजली खरीद समझौतों के कानून प्रावधानों में परिवर्तन के तहत पुनर्भुगतान का सिद्धांत शुल्क के संबंध में आकर्षित होता है।

176. एल. पी. एस. को बिजली की आपूर्ति के लिए वहन लागत या वास्तविक लागत के बराबर नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी के पास एक अनुबंध है बिजली द्वारा उठाए गए चालानों का समय पर भुगतान करने का दायित्व

कंपनियों को उत्पन्न करना, निश्चित रूप से, इसकी जांच और सत्यापन के अधीन है। श्री मुकुल रोहतगी का कहना है कि यदि वित्तपोषण लागत एल. पी. एस. की दर से बहुत कम होती, जैसा कि अपीलार्थी ने तर्क दिया है, तो अपीलार्थी कम ब्याज दर पर धन जुटा सकता था, बिजली उत्पादक कंपनियों द्वारा जुटाए गए चालान का समय पर भुगतान कर सकता था और एल. पी. एस. से बच सकता था।

177. यह प्रस्ताव कि अदालतें पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से निष्पादित अनुबंध को फिर से नहीं लिख सकती हैं, अच्छी तरह से तय किया गया है। न्यायालय, [2021] 5 एस. सी. आर. के माध्यम से नहीं कर सकता है।

इसकी व्याख्यात्मक प्रक्रिया, फिर से लिखें या उनके बीच एक नया अनुबंध बनाएँ

पार्टियाँ। न्यायालय को केवल समझौते के नियमों और शर्तों को लागू करना होगा जैसा कि पक्षों के बीच सहमति हुई है, जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है।

श्री अम्बिका मेडिकल स्टोर और अन्य। वी. सूरत पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक (ऊपर), सुश्री दिव्या आनंद द्वारा उद्धृत। यह अपील पी. पी. ए. की शर्तों पर फिर से बातचीत करने का एक प्रयास है, जैसा कि सुश्री दिव्या आनंद और अन्य वकीलों ने भी तर्क दिया है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि न्यायालय वाणिज्यिक शर्तों की अनुमानित समझ के बारे में अपने स्वयं के दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं

पक्षकार, यदि शर्तें स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई हैं। किसी अनुबंध की स्पष्ट शर्तें हमेशा पक्षों के इरादे के संबंध में अंतिम शब्द होती हैं, जैसा कि इस न्यायालय ने श्रीमती आनंद द्वारा उद्धृत नाभा पावर लिमिटेड (एन. पी. एल.) बनाम पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उपरोक्त) मामले में कहा है।

178. सुश्री आनंद के तर्क में सार है कि अपीलार्थी

बिजली खरीद समझौते की शर्तों में संशोधन के लिए सहमत प्रक्रिया के अनुसार ही बिजली खरीद समझौते के प्रावधानों में संशोधन करने के लिए बाध्य है। विलंबित भुगतान अधिभार की सहमत दर हो सकती है केवल एस. बी. आई. पी. एल. आर. की अनुपस्थिति में और वह भी बिजली खरीद समझौते के पक्षों की आपसी सहमति से संशोधित किया जाएगा।

179. यह तर्क कि बिजली उत्पादन कंपनियाँ कम ब्याज दर पर ऋण ले रही हैं, लेकिन उच्च ब्याज दर के आधार पर एल. पी. एस. वसूल रही हैं, जिससे अन्यायपूर्ण संवर्धन हो रहा है, कानून में असमर्थनीय है। बिजली खरीद समझौतों के तहत एल. पी. एस. इसके अनुरूप नहीं है -

विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा उनके द्वारा जुटाई गई धनराशि पर वास्तविक ब्याज का भुगतान। विलम्बित भुगतान अधिभार एल. पी. एस. जुर्माने का भुगतान समय पर भुगतान में चूक के कारण खरीदार यानी अपीलार्थी को करना पड़ता है। 180. जैसा कि ऊपर देखा गया है, बिजली खरीद समझौतों के पक्षकारों ने पारस्परिक रूप से और सचेत रूप से एल. पी. एस. की दर के रूप में पी. एल. आर. को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की है, जैसा कि समय-समय पर एस. बी. आई. द्वारा अधिसूचित किया जाता है। इसलिए, निगमन के सिद्धांत के आधार पर, प्रत्येक वर्ष एस. बी. आई. द्वारा अधिसूचित पी. एल. आर. पक्षों के बीच बाध्यकारी बिजली खरीद समझौतों में शामिल हो जाता है। इस प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने परिपत्रों द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य प्रणाली में कोई बियारी नहीं है।

बिजली खरीद समझौते की शर्तें और इसे बिजली खरीद समझौते में शामिल नहीं माना जा सकता है, सिवाय पक्षों के बीच आपसी समझौते के मामले में, एस. बी. आई. पी. एल. आर. की अनुपस्थिति की स्थिति में, और एम. ई. आर. सी. द्वारा अनुमोदित।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

181. जैसा कि सुश्री आनंद ने तर्क दिया, वैचारिक रूप से, पी. एल. आर., आधार दर और एम. सी. एल. आर. की तुलना नहीं की जा सकती है। प्रस्तुतिकरण कि एस. बी. ए. आर. की परिभाषा पी. एल. आर. के बजाय एम. सी. एल. आर. के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, इसलिए यह मान्य नहीं है। पीएलआर अस्थायी दर वाले ऋणों पर ब्याज वसूलने के लिए आंतरिक मानक दर है, जिसकी गणना धन की औसत लागत के आधार पर की जाती है और ऋण को उनके मौजूदा पीएलआर पर छूट पर पेश किया जाता है। हालांकि, आधार दर बैंकों की निधियों की कुल लागत के आधार पर गणना की गई ऋण दर है और वह न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर एक बैंक अपने कर्मचारियों, अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और बैंक की अपनी जमा राशि के बदले ऋण दे सकता है। एम. सी. एल. आर. एक ऋण दर है जिसकी गणना बैंक के लिए नई धनराशि जुटाने की लागत पर की जाती है जिसमें सी. आर. आर./एस. एल. आर. (ऋण आरक्षित अनुपात/सांविधिक तरलता अनुपात) को बनाए रखने की लागत, परिचालन लागत शामिल है।

बैंकों की लागत और अवधि प्रीमियम। एमसीएलआर सबसे कम ब्याज दर है जो कोई बैंक या ऋणदाता दे सकता है। इस प्रकार, ऋण एक मार्कअप पर पेश किए जाते हैं।

एमसीएलआर। इस प्रकार, दोनों दरों का आधार अलग-अलग है और इसकी तुलना नहीं की जा सकती है, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा किया गया है। जब पी. एल. आर., आधार दर और एम. सी. एल. आर. की तुलना साथ-साथ की जाती है। फर्क यह है कि

बहुत सख्त। ऋण आधार दर और एम. सी. एल. आर. के ऊपर दिए जाते हैं, जबकि पी. एल. आर. व्यवस्था के दौरान पी. एल. आर. पर छूट पर ऋण दिए जाते थे।

182. किसी भी मामले में, अपीलार्थी यह तर्क नहीं दे सकता कि आरक्षित

अपीलार्थी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू किए जाने के छह साल से भी अधिक समय बाद सितंबर 2016 में कानून में बदलाव के नोटिस जारी किए। बी. पी. एल. आर. प्रणाली के स्थान पर आधार दर प्रणाली। इसके अलावा, जबकि आधार दर प्रणाली पर दिशा-निर्देश 9 अप्रैल 2010 को प्रकाशित किए गए थे और 01.07.2010 से प्रभावी रूप से पेश किए गए थे, अपीलार्थी ने 9 अगस्त 2010 को प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ बिजली खरीद समझौते किए और 16 फरवरी 2013 को अपीलार्थी को बिजली की अनुबंधित मात्रा की आपूर्ति के लिए पी. एल. आर. को विलंब भुगतान अधिभार दर के रूप में शामिल किया।

184. उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता अपने उपभोक्ताओं से भुगतान में देरी के लिए प्रति माह और/या दूसरे शब्दों में 15 प्रतिशत की दर से ब्याज लेता है।

एम. ई. आर. सी. के एम. वाई. टी. नियमों के अनुसार प्रति वर्ष। इससे यह भी पता चलता है कि ब्याज दर अपीलार्थी या बिजली पैदा करने वाली कंपनियों द्वारा लिए गए ऋणों पर वास्तविक ब्याज दर से सह-संबंधित नहीं है। इसके अनुसार

उत्तरदाता-बिजली उत्पादन कंपनियाँ, कोई अन्य वितरण लाइसेंसधारी नहीं

इसके अलावा अपीलार्थी ने कानून में परिवर्तन का दावा किया है। उत्पादकों से बिजली की खरीद करने वाले अन्य सभी वितरण लाइसेंस

186. मान लीजिए कि प्रत्यर्थी बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को समय पर भुगतान करने में देरी के कारण अपीलकर्ता अपनी वर्तमान स्थिति में आ गया है। 2017 में एम. ई. आर. सी. के समक्ष याचिका दायर करने और 2018 में ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष अपील करने के समय कोई महामारी नहीं थी। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी ने मार्च 2020 में भारत में कोविड-19 के प्रकोप के परिणामस्वरूप अपनी वित्तीय दुर्दशा के कारण बिलों के भुगतान में चूक की थी। 187. श्री सिंह द्वारा न्यायालय को प्रभावित करने के लिए व्यापक प्रस्तुतियाँ की गई हैं कि अपीलकर्ता ने विभिन्न परिस्थितियों के कारण बिजली उत्पादन कंपनियों द्वारा उठाए गए बिलों के भुगतान में चूक की है, जो उसके नियंत्रण से बाहर है। अपीलार्थी द्वारा उल्लिखित विभिन्न परिस्थितियों, जो कथित रूप से अपीलार्थी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हैं, का अपील के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। श्री रोहतगी, श्री सिंघवी, श्री मुखर्जी और सुश्री आनंद ने एक स्वर में कहा कि बिजली उत्पादन कंपनियों द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए उठाए गए चालानों के भुगतान में देरी और/या भुगतान न करने के लिए

अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी-बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को भारी वित्तीय दबाव में डाल दिया था, क्योंकि उनके राजस्व का स्रोत महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम से है।

लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

उनके बिजली संयंत्रों से उत्पन्न बिजली की बिक्री और आपूर्ति। प्रत्यर्थी शक्ति उत्पन्न करने वाली कंपनियों पर अपीलार्थी के चूक के परिणामों का बोझ नहीं डाला जा सकता है। 188. मेसर्स कैलाश नाथ एसोसिएट्स बनाम मामले में इस न्यायालय का निर्णय। श्री सिंह द्वारा उद्धृत दिल्ली विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) स्पष्ट रूप से है

इस न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी (पैरा 44) द्वारा अनुबंध का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था। इसके अलावा, न्यायालय ने खंड पीठ के इस विचार को स्वीकार नहीं किया कि यह तथ्य कि डी. डी. ए. ने पुनः नीलामी से लाभ कमाया था, अप्रासंगिक था, क्योंकि अनुबंध के उल्लंघन के लिए नुकसान या नुकसान के लिए मुआवजा दिया जा सकता है। यदि उल्लंघन के कारण कोई नुकसान नहीं होता है, तो कानून अप्रत्याशित नुकसान का प्रावधान नहीं करता है। 189. इस मामले में, अपीलार्थी ने बिजली उत्पादन कंपनियों द्वारा उठाए गए बिलों का समय के भीतर भुगतान नहीं किया। द पावर

देर से भुगतान पर अधिभार के लिए प्रदान किए गए खरीद समझौते यह धारणा कि बिलों के भुगतान में देरी से विक्रेता को पूर्वाग्रह और नुकसान होता है जिसका बिल बकाया रहता है। तदनुसार, अपीलकर्ता अपने उन उपभोक्ताओं पर विलंबित भुगतान शुल्क भी लगाता है, जो प्रति माह डेढ़ प्रतिशत और/या अन्य 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बिलों के भुगतान के लिए निर्धारित नियत तिथि के बाद अपने बिलों का भुगतान करते हैं। एस. बी. ए. आर. से 2 प्रतिशत अधिक की एल. पी. एस. दर न तो अनुचित रूप से अत्यधिक है और न ही मनमाना है। यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस एल. पी. एस. पर सहमति हुई है वह नुकसान का वास्तविक पूर्व अनुमान नहीं है।

190. इस अपील में उठाए गए मुद्दे भारत संघ बनाम में शामिल मुद्दों के लगभग समान हैं। एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम

भारत के सेवा प्रदाता & Ors.³7 37 जहाँ यह न्यायालय एक अनुबंध में एक समान ब्याज खंड पर विचार कर रहा था जिसे यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" पुनः में - ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज का शुल्क। पैरा 182। खंड 20.2 में लाइसेंस शुल्क का प्रावधान किया गया है। मामले में

निर्धारित अवधि के बाद लाइसेंस शुल्क के भुगतान में किसी भी देरी पर 2 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगेगा। भारतीय स्टेट
बैंक की प्रमुख ऋण दर (पी. एल. आर.) से ऊपर। खंड 20.5 और 20.8 के अनुसार, यदि लाइसेंसधारी भुगतान नहीं करता है

मांग, परिणाम का पालन करेंगे। ये खंड हैं -

यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 20.5 . देय लाइसेंस शुल्क या निर्धारित अवधि के बाद लाइसेंस के तहत देय किसी भी अन्य देय राशि के भुगतान में किसी भी तरह की देरी पर 2 प्रतिशत से अधिक की दर से ब्याज लगेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय स्टेट बैंक की प्रमुख ऋण दर (पी. एल. आर.) जो उक्त वित्तीय वर्ष से संबंधित लाइसेंस शुल्क के संबंध में वित्तीय वर्ष (अर्थात् 1 अप्रैल) की शुरुआत में मौजूद थी। ब्याज को मासिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए महीने के एक हिस्से को पूरे महीने के रूप में माना जाएगा।

ब्याज की गणना। एक महीने को एक के रूप में गिना जाएगा

अंग्रेज़ी कैलेंडर का महीना।

191. उपरोक्त मामले में, लाइसेंसधारी ने तर्क दिया था कि अनुबंध अधिनियम की धारा 74 के तहत, मुआवजा उचित होना चाहिए

उड़ीसा राज्य 3, अकबर बदरूद्दीन गिवानी बनाम। सीमा शुल्क कलेक्टर 3 9 39, जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़ ", टेकुमसेह प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, हैदराबाद "1, जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम। वाणिज्यिक कर अधिकारी 42, कैलाश नाथ एसोसिएट्स बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य 43 और भारतीय केंद्रीय बैंक बनाम। रवींद्र और अन्य 44. इस न्यायालय ने अनुज्ञप्तिधारी की ओर से उद्धृत इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों पर विचार करने के बाद कहा कि कोई भी निर्णय अनुज्ञप्तिधारी की सहायता के लिए नहीं आएगा। इस न्यायालय ने कहाः

" 192 ..... मामले का अनुपात, यह इस कारण से आकर्षित नहीं होता है कि तत्काल मामले में, यह ब्याज और जुर्माने की संविदात्मक दर है जिस पर सहमति हुई है जिसे किसी भी तरह से कठिन नहीं कहा जा सकता है। ब्याज की दर पर सहमति हो गई है और

विशेष रूप से क्योंकि यह एक राजस्व साझाकरण व्यवस्था है, और

लाइसेंसधारियों ने उनकी सचेत उपेक्षा में कार्य किया है

दायित्व। इस प्रकार उपरोक्त निर्णय के आधार पर भी वे ब्याज और जुर्माने के साथ बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

ऐसा कोई विवेकाधिकार उपलब्ध नहीं है जब पक्षकार

डिफ़ॉल्ट रूप से सहमत हुए हैं कि कितनी राशि का भुगतान किया जाना है। यह.

स्वचालित रूप से यह पता चलता है कि यह लाइसेंसधारक द्वारा एक बार फिर से निर्धारित नहीं किया जाना है। पार्टियाँ (लाइसेंसधारक और लाइसेंसधारी) अनुबंध के नियमों और शर्तों से बाध्य हैं। वहाँ है।

38 1969 (2) एस. सी. सी. 627 39 1990 (2) एससीसी 203

43 43 2015 (4) एससीसी 136

44 2002 (1) एस. सी. सी. 367 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

ब्याज की दर या उसमें प्रदान किए गए जुर्माने को बदलने के लिए कोई सक्षम खंड नहीं है और यदि अनुमत हो, तो भी समझौते के तहत निर्धारित ब्याज या जुर्माने को बदलने के लिए नहीं कहा जाता है।

मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ। 197. यह दंडात्मक ब्याज की वसूली नहीं है जो तत्काल मामले में शामिल है। इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित निर्णय के आधार पर, हम पाते हैं कि जब संविदात्मक शर्त होती है, तो ब्याज लगाया और चक्रवृद्धि की जा सकती है।

192. शायद यह ध्यान रखना उचित होगा कि समान नियमों और शर्तों वाले रूढ़िवादी बिजली खरीद समझौते हैं:

अपीलार्थी द्वारा विभिन्न बिजली उत्पादक कंपनियों के साथ निष्पादित किया गया। यह स्पष्ट है कि बिजली पैदा करने वाली कंपनियां केवल सहमत हैं

अपीलार्थी द्वारा तैयार किए गए समझौते के नियमों और शर्तों के लिए। यह स्वीकार करना मुश्किल है कि अपीलार्थी को अपने रूढ़िवादी बिजली खरीद समझौतों में एस. बी. ए. आर. की तुलना में 2 प्रतिशत अधिक दर पर एल. पी. एस. के भुगतान का प्रावधान शामिल करना चाहिए, चालानों/बिलों के देर से भुगतान के मामले में, बिजली उत्पादक कंपनी को समय पर बिलों का भुगतान न करने के कारण होने वाले नुकसान का कोई पूर्व अनुमान लगाए बिना, विशेष रूप से तब जब विलंब भुगतान अधिभार को किसी प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा लिए गए विशिष्ट प्रकार के ऋण के संबंध में ब्याज की दर से जोड़ा जाता है।

मुफस्सिल और ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में शाखाओं की सबसे बड़ी संख्या के साथ।

193. किसी भी मामले में, धारा 125 के तहत इस दूसरी अपील में

विद्युत अधिनियम 2003, जिसकी सुनवाई केवल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर की जानी है, यह न्यायालय एक जिस तरीके और तरीके से बिजली पैदा करने वाली कंपनियां अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और व्यक्तिगत बिजली पैदा करने वाली कंपनियां अपने ऋणदाताओं को जो ब्याज देती हैं, उसकी तथ्यात्मक जांच।

194. यह स्वयंसिद्ध है कि बिजली खरीद समझौते प्रदान करते हैं

विलम्बित भुगतान अधिभार की गणना एक विशेष तरीके से करने के लिए ताकि व्यक्तिगत बिजली उत्पादक कंपनियों के बिलों के विलम्बित भुगतान के कारण होने वाले नुकसान का आकलन करने में लगने वाले समय से बचा जा सके। एस. बी. ए. आर. को विलंबित भुगतान अधिभार की गणना के लिए बेंचमार्क बनाया गया है, चाहे बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को भारतीय स्टेट बैंक या उसके किसी भी बैंक द्वारा वित्तपोषित किया गया हो। सहायक। एल. पी. एस. प्रावधान उनके मामलों और वित्त की व्यवस्था करने के लिए सावधानी की प्रकृति में है, जिसमें एल. पी. एस. की ऊपरी सीमा [2021] 5 एस. सी. आर. से 2 प्रतिशत अधिक रखी गई है।

एस. बी. ए. आर. को ध्यान में रखते हुए, ताकि बिजली उत्पादन कंपनी ब्याज की गैर-आर्थिक दर पर उधार लेने से बच सके।

195. इस संबंध में वर्तमान मामले में कोई विवाद नहीं है

मासिक बिलों के तहत देय मूल राशि, एस. बी. आई. पी. एल. आर. से अधिक 2 प्रतिशत के विलंबित भुगतान पर ब्याज को मनमाने ढंग से अधिक नहीं कहा जा सकता है। इस न्यायालय के लिए ब्याज की संविदात्मक दर को कम करने और इस तरह भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पक्षों के बीच अनुबंध को बदलने या संशोधित करने का कोई कारण नहीं है।

196. हमें इस प्रश्न में जाने की आवश्यकता नहीं है कि अपीलार्थी है या नहीं।

अपनी ब्याज देनदारी को चुकाने के लिए धन है। अपीलार्थी उचित धन के बिना बिजली की आपूर्ति प्राप्त करना जारी नहीं रख सकता है। अपीलार्थी को अनिवार्य रूप से अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए धन जुटाना होगा।

197. यहाँ तक कि यह मानते हुए भी कि ब्याज का बोझ होना चाहिए

उपभोक्ताओं को पारित किया गया, जो अपीलार्थी के लिए बिजली उत्पादन के लिए अपनी संविदात्मक प्रतिबद्धता से पीछे हटने का आधार नहीं हो सकता है कंपनियाँ। अपीलकर्ता बिजली उत्पादन कंपनियों को भुगतान करने में देरी का बोझ नहीं दे सकता है। किसी भी मामले में श्री सिंघवी द्वारा तर्क दिए गए दावे 2 दिसंबर, 2016 को एम. ई. आर. सी. के समक्ष याचिका दायर करने से पहले तीन साल की अवधि से संबंधित हैं और इसलिए सीमा द्वारा वर्जित हैं।

198. तैयार किए गए प्रशुल्क विनियमों पर अपीलार्थी द्वारा निर्भरता

एम. ई. आर. सी. द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 के तहत बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए शुल्क के निर्धारण के लिए असमर्थनीय है क्योंकि इस मामले में शुल्क विनियमों का कोई अनुप्रयोग नहीं है जहां पी. पी. ए. लागू किए गए हैं।

विद्युत अधिनियम की धारा 63 के तहत बोली प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित किया गया।

199. एम. ई. आर. सी. ने अपने आदेश द्वारा अपीलार्थी के दावे को सही ढंग से खारिज कर दिया

दिनांकित 16.11.2017, धारणः

" 12 .....

..... हालांकि, एल. पी. एस. प्रावधान है

केवल तभी आकर्षित होता है जब

एम. एस. ई. डी. सी. एल. द्वारा मासिक बिलों के बदले भुगतान नहीं किया जाता है।

पी. पी. ए. में निर्धारित समय के भीतर विक्रेता का। कोई भी बदलाव

एल. पी. एस. दरों के आधार पर, द्वारा संशोधनों के परिणामस्वरूप

आर. बी. आई. किसी भी तरह से बिजली की दरों को प्रभावित नहीं करता है।

पी. पी. ए. के तहत बेचे और खरीदे जाने पर सहमति हुई और किसी भी पक्ष के लिए परिणामी वित्तीय प्रभाव जिसके परिणामस्वरूप

प्रभावित पक्ष महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम को क्षतिपूर्ति करने के दायित्व में। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

200. ए. पी. टी. ई. एल. ने एम. ई. आर. सी. के निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की और कहाः

" 16. समग्र रूप से अनुबंध (पी. पी. ए.) की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून में परिवर्तन की घटना के लिए प्रभावित पक्ष को मुआवजे का प्रावधान आवश्यक है

केवल शुल्क को ध्यान में रखें। एल. पी. एस. की दर का शुल्क पर कोई प्रभाव या प्रभाव नहीं पड़ता है। आर. बी. आई. द्वारा किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप एल. पी. एस. दरों के आधार पर कोई भी संभावित परिवर्तन, या उस मामले के लिए, एस. बी. आई. उस दर को प्रभावित नहीं करेगा जिस पर पी. पी. ए. के तहत बिजली बेचने और खरीदने पर सहमति हुई थी और इसके परिणामस्वरूप किसी भी पक्ष के लिए व्यय या आय पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है। एल. पी. एस. केवल उसी की भरपाई करता है जो खो गया था

भुगतान में देरी के कारण धन का वास्तविक मूल्य।

201. जयपुर विद्युत वितरण निगम में इस न्यायालय का निर्णय

लिमिटेड (ऊपर) तथ्यों पर अलग किया जा सकता है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उपरोक्त) में, आयातित कोयले की लागत के लिए बिजली उत्पादन कंपनी द्वारा किए गए कानूनी दावों में बदलाव किया गया था, जो विवादित थे।

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस आधार पर कि उत्पादन कंपनी द्वारा प्रस्तुत बोली आयातित कोयले पर आधारित थी। चूंकि पहली बार में वितरण लाइसेंसधारी द्वारा मूल दावे पर विवाद किया गया था, इसलिए उत्पादन कंपनी कोई भी दावा नहीं उठा सकी।

कानून मुआवजे में बदलाव के लिए पूरक बिल। 202. इस मामले में, जिन बिलों के भुगतान में देरी हुई है, वे ऊर्जा बिल हैं, जो अपीलार्थी को आपूर्ति की गई ऊर्जा से संबंधित हैं; और अपीलार्थी द्वारा खुदरा शुल्क के भुगतान के खिलाफ अपने उपभोक्ताओं को आगे आपूर्ति की जाती है। दूसरा, प्रत्यर्थी बिजली उत्पादन कंपनियों द्वारा उठाए गए ऊर्जा बिलों पर अपीलकर्ता द्वारा कभी भी विवाद नहीं किया गया है, जैसा कि एपीटीईएल ने विवादित निर्णय और आदेश में देखा है, प्रासंगिक भाग जिसके बारे में यहां बताया गया हैः

" 24. यह प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं (जनरेटर) द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

कि 01.07.2010 और के बीच की अवधि के लिए समय पर भुगतान में चूक के कारण अपीलार्थी का एल. पी. एस. दायित्व 31.03.2017 यह स्पष्ट हो गया था और एल. पी. एस. की दर के बारे में विवाद को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया था। इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि अपीलार्थी ने पी. पी. ए. के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी मासिक बिल या पूरक बिल पर विवाद नहीं किया था। यह मांगों को अंतिम और निर्णायक बनाता है। सी. आई. एल. की याचिका पर आधारित नोटिस 2016 में जारी किया गया था, यह मुद्दा पांच साल से लंबित था, जिससे [2021] 5 एस. सी. आर. को वंचित कर दिया गया था।

नुकसान के लिए मुआवजे के उत्पादकों को नुकसान हुआ। एल. पी. एस. का भुगतान तभी शुरू किया जाता है जब एम. एस. ई. डी. सी. एल. द्वारा चूक की जाती है। एल. पी. एस. पी. पी. ए. एस. के तहत लगाया जाता है जिसे एम. एस. ई. डी. सी. एल. द्वारा विधिवत निष्पादित किया गया था। इन परिस्थितियों में, एल. पी. एस. के प्रति बकाया देयता को एम. एस. ई. डी. सी. एल. पर अतिरिक्त बोझ के रूप में पेश करना अनुचित है।

203. एक निर्धारित तिथि के भीतर देय और देय एल. पी. एस. का भुगतान करने के लिए अपीलार्थी को दिए गए निर्देशों के आधार पर विवादित निर्णय और आदेश को श्री सिंह की चुनौती भी टिकाऊ नहीं है।

204. ए. पी. टी. ई. एल. सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, जैसा कि श्री मुखर्जी ने तर्क दिया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर समयबद्ध भुगतान के निर्देश जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के फैसले के अनुरूप हैं। अदानी पावर (ऊपर) जिसे इस न्यायालय ने बरकरार रखा है। इसके अलावा, बिजली अधिनियम के उद्देश्यों में से एक मामलों का समयबद्ध निपटान है। यह अधिनियम की विशेष धारा 111 (5) सहित उक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से स्पष्ट है। चूँकि ए. पी. टी. ई. एल. और एम. ई. आर. सी. सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं हैं, इसलिए ए. पी. टी. ई. एल. के लिए ऐसे आदेश पारित करने के लिए खुला था जो अंततः मुकदमेबाजी को समाप्त कर देंगे।

205. अब इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि एम. ई. आर. सी. जैसे विद्युत नियामक आयोग का गठन

विद्युत अधिनियम, 2003 में न्यायालय के सभी अधिकार हैं। एम. ई. आर. सी. लाइसेंसधारियों और बिजली पैदा करने वाली कंपनियों के बीच सभी विवादों के संबंध में एक दीवानी न्यायालय का विकल्प है। इस प्रस्ताव को तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों से समर्थन मिलता है। पी. पी. एन. पावर जेनरेटिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड ", आंध्र प्रदेश विद्युत समन्वय समिति और अन्य। वी. लैंको कोंडापल्ली पावर लिमिटेड और अन्य। 46 और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम। श्री विश्व मुखर्जी ने अमित कुमार और अन्य के 7 का हवाला दिया।

206. जैसा कि इस न्यायालय ने कर्नाटक राज्य बनाम में अभिनिर्धारित किया है।

श्री मुखर्जी द्वारा उद्धृत विश्वभारती हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और अन्य 48, न्यायालयों के पास अपने आदेश को निष्पादित करने की शक्ति है। इसलिए, आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपीलार्थी के बकाया भुगतान के लिए निर्देश देने के लिए दोषपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है।

45 (2014) 11 एससीसी 53 46 (2016) 3 एस. सी. सी. 468

47 (2021) एससीसी ऑनलाइन 194 48 (2003) 2 एससीसी 412 (पारस 59-62)

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम। लिमिटेड। वी. एम. ई. आर. सी. और ओ. आर. सी. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

इसके अलावा, राज्य नियामक आयोग निरंतर नियामक पर्यवेक्षण का अभ्यास करते हैं जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अखिल भारतीय विद्युत अभियांत्रिकी संघ और अन्य में पुष्टि की गई है। वी. सासन पावर लिमिटेड एंड अदर्स ", श्री मुखर्जी द्वारा उद्धृत।

207. एम. ई. आर. सी. ने नियामक की अपनी शक्ति के दायरे में काम किया

एम. ई. आर. सी. के आदेश में निर्धारित समय के भीतर एल. पी. एस. का भुगतान करने के लिए अपीलार्थी को निर्देश देने में पर्यवेक्षण। ए. पी. टी. ई. एल. ने सही माना दिशा की। किसी भी मामले में, इस तरह के निर्देश को विद्युत अधिनियम की धारा 125 के तहत शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

धारा 100 के तहत दूसरी अपील की शक्ति के अनुरूप है सी. पी. सी., चूंकि किसी अपील पर विचार करने के लिए अनिवार्य शर्त कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का अस्तित्व है।

208. इस अपील की सुनवाई के बाद और

अपील को निर्णय के लिए सुरक्षित रखा गया था, अपीलार्थी ने भारतीय स्टेट बैंक को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रश्नों के रूप में अतिरिक्त तथ्यों और दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लाने के लिए एक आवेदन दायर किया और यह दिखाने के प्रयास में कि पी. एल. आर. आधार दर/एम. सी. एल. आर. प्रणाली में संक्रमण के बाद एस. बी. आई. द्वारा दिए गए अल्पकालिक ऋणों पर लागू नहीं होगा। यह न्यायालय सुनवाई के समापन के बाद पेश किए जाने के लिए मांगे गए किसी भी दस्तावेज पर ध्यान नहीं दे सकता है। किसी भी मामले में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह न्यायालय दूसरी अपील में नहीं कर सकता है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 के तहत अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किए गए तथ्यों के आधार पर एम. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा प्राप्त समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया जाता है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए चालानों को स्वीकार कर रहा था-बिजली पैदा करने वाली कंपनियाँ और अपीलार्थी द्वारा खातों का विधिवत मिलान किया गया था। प्रत्यर्थी बिजली उत्पादन कंपनियों द्वारा लगाए गए एल. पी. एस. पर कभी विवाद नहीं हुआ। इसके अलावा, यह न्यायालय इस दूसरी अपील में पहली बार पेश किए गए दस्तावेजों पर गौर नहीं कर सकता है, जो एम. ई. आर. सी. या ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अन्यथा भी, 12 जुलाई 2021 को देर से एक रैंक आउटसाइडर अलका मेहता द्वारा किए गए प्रश्नों या उनके उत्तरों पर अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य में भरोसा नहीं किया जा सकता है।

209. ऊपर चर्चा किए गए कारणों के लिए, हम कोई आधार नहीं पाते हैं

एम. ई. आर. सी. द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि करने वाले विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. के निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करना। तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है।

या

चिका खारिज कर दी गई।

निधि जैन

9 9 (2017) 1 एस. सी. सी. 487 (पैरा 31)